राजस्थान सरकार

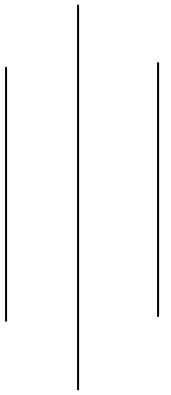

वार्षिक प्रतिवेदन
2010–2011

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

विषय सामग्री	पृष्ठ संख्या
पृष्ठभूमि	**1**
ग्रामीण विकास	
योजनाओं का उद्देश्य एवं संक्षिप्त विवरण	**1**
वर्ष 2010–11 के अभिनव प्रयास एवं मुख्य उपलब्धियां	**2**
उपलब्धियां – एक नजर में	**5**
(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	**7**
बीपीएल सेंसस 2002	**12**
बीपीएल सेंसस 2011	**13**
राज्य ग्रामीण बी.पी.एल. सूची	**13**
महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	**14**
इंदिरा आवास योजना	**22**
जल ग्रहण विकास कार्यक्रम	
(i) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	**28**
(ii) सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**30**
(iii) मरु विकास कार्यक्रम	**31**
(iv) एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना	**32**
सांसद स्थानीय क्षैत्र विकास कार्यक्रम	**33**
सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**36**
डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना	**38**
(ब) राज्य प्रवर्तित योजनाएं	
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**41**
मेवात क्षेत्रीय विकास योजना	**45**
ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना	**46**
डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	**48**
स्व–विवेक जिला विकास योजना	**50**
मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	**51**
अमृता देवी विश्नोई योजना	**53**
सामाजिक अंकेक्षण	**54**
(स) केन्द्रीय/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	
राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना (आर.आर.एल.पी.)–डीपीआईपी–II	**57**
मिटीगेटिंग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर)	**60**
बायोफ्यूल प्राधिकरण	**65**
(द) निगरानी तंत्र	**68**
(य) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	**72**

पंचायती राज		
I पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण		**82**
II जिला आयोजना समिति		**85**
III पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण		**89**
IV जिला परिषदों/पंचायत समितियों के भवनों का विस्तार/ मरम्मत		**89**
V विभागीय प्रकाशन		**90**
VI जनप्रतिनिधियों की जाँच		**90**
VII वित्तीय प्रबंध		**91**
1. अंकेक्षण एवं विशेष लेखा जाँच		**93**
2. महालेखाकार अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति		**93**
3. गबन प्रकरणों का निस्तारण		**93**
4. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति		**93**
VIII पंचायती राज की योजनाएं		
1. तेहरवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान		**94**
2. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग		**96**
3. रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आंवटन		**97**
4. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम		**98**
5. निर्बन्ध राशि योजना		**101**
6 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना		**102**
7. निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना		**102**
8. सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम		**103**
राष्ट्रीय पौषाहार सहायता कार्यक्रम (मिड–डे मील कार्यक्रम)		**105**
परिशिष्ट–ग्रामीण विकास		
वर्ष 2009–2010 की योजनावार वित्तीय प्रगति	परिशिष्ट –1	**112**
वर्ष 2009–2010 की योजनावार भौतिक प्रगति	परिशिष्ट –2	**113**
वर्ष 2010–2011 (माह दिसम्बर, 2010 तक) की योजनावार वित्तीय प्रगति	परिशिष्ट –3	**114**
वर्ष 2010–2011 (माह दिसम्बर, 2010 तक) की योजनावार भौतिक प्रगति	परिशिष्ट –4	**115**
स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विशेष परियोजनाओं का विवरण	परिशिष्ट –5	**116**

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

पृष्ठभूमि

देश के चहुंमुखी विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास ने नया मोड लिया और अति पिछडे तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास किये गये, लेकिन राज्य में ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ठ योजना संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में पुर्नगठन के साथ–साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे ''विशिष्ठ योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग'' का नाम दिया गया। 1 अप्रेल, 1999 से इस विभाग का नाम **''ग्रामीण विकास विभाग''** किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। अतः जिला स्तर पर समन्वय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषद में विलय करते हुये मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसी तरह राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग का विलय किया गया है। वर्तमान में इस विभाग का नाम **''ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग''** है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन ग्रामीण विकास की योजनाएं शासन सचिव, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक नियन्त्रण एवं योजनाओं का क्रियान्वयन आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज के माध्यम से किया जा रहा है।

विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 में क्रियान्वित योजनाओं का उद्देश्यवार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) स्वरोज़गार द्वारा गरीबी उन्मूलन

- स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

(ब) रोज़गार सृजन द्वारा गरीबी निवारण

- महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(स) क्षेत्रीय विकास द्वारा "गरीबी एवं क्षेत्रीय असंतुलन" निवारण

- मरू विकास कार्यक्रम

- सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
- सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना
- डॉग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- स्व–विवेक जिला विकास योजना

(द) गरीब/शोषित हेतु कल्याण योजनाएं

- इन्दिरा आवास योजना
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना (आरआरएलपी)–डीपीआईपी–II
- मिटीगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर)
- अमृता देवी विश्नोई योजना

(य) अन्य

- डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना
- बायोफ्यूल प्राधिकरण–राजस्थान

वर्ष 2010–2011 के अभिनव प्रयास एवं मुख्य उपलब्धियां

- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने एवं रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अनेक नए कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। पूर्व के कार्यक्रमों को संशोधित कर उन्हे और अधिक प्रभावशील बनाने तथा विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण अंचलों में जन सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अधिकतम अवसर एवं गरीब परिवारों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियॉ मय मुख्य परिवर्तनों एवं परिवर्धनों के सम्बन्धित कार्यक्रम के विवरण में दी गई हैं। यहां वर्ष 2010–2011 में किये गये उन अभिनव प्रयासों एवं मुख्य उपलब्धियों का विवरण दिया जा रहा है जिनके फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया में अनेक गुणात्मक एवं क्रियात्मक सुधार किये गये हैं, और उनके निरन्तर अच्छे परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत गुणवत्ता बढाने के उद्धेश्य से प्रति परिवार पूंजी निवेश निरंतर बढाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रति परिवार 25,000 रूपये पूजी निवेश के लक्ष्य के विपरीत राज्य में वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक प्रति परिवार पूंजी निवेश 33068/– रूपये रहा है।

योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2010 तक 35795 स्वरोजगारियों को लाभान्वित कर 118.37 करोड रूपये का साख सृजन किया गया है।

- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत गरीब परिवारों के स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) को लाभान्वित करने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है। इस उद्वेश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक 2266 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा अप्रैल, 1999 से माह दिसम्बर, 2010 तक कुल 211676 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है।
- स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के स्तर पर 15 प्रतिशत राशि विशेष परियोजनाओं हेतु आरक्षित है। इस राशि से ऐसी इनोवेटिव परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है, जिनमें ग्रामीण गरीबों को संगठित करने, उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रोद्यौगिकी, विपणन, प्रशिक्षण आदि तथा उक्त सभी को मिलाकर दीर्घकालीन स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था हो। योजनान्तर्गत वर्तमान में 26 विशेष परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनमे से 6 विशेष परियोजनाएं राज्य स्तरीय एवं 20 विशेष परियोजनाएं बहुराज्य स्तरीय हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना 1 अप्रैल 2008 से राज्य के सभी जिलों में लागू की गई है। वर्ष 2009–10 में 2, अक्टूबर, 2009 से इस योजना का नाम ''महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना'' कर दिया गया है।
- महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत माह दिसम्बर, 2010 तक 2490.95 करोड रूपये के व्यय से 2477.43 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है। योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु माह दिसम्बर, 2010 तक 92.82 लाख परिवारों को जॉबकार्ड जारी किया जा चुका है। माह दिसम्बर, 2010 तक इच्छुक 53.96 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।
- वर्तमान में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत राज्य के जनजातीय क्षेत्र के समस्त पात्र परिवारों एवं शेष अन्य क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों का नवीन आवास निर्माण हेतु 50,000/– रूपये की अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अतिरिक्त सहायता 5000/– रूपये सम्मिलित है। वर्ष 2010–11 में योजनान्तर्गत 63362 नए आवासों के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2010 तक 26116 आवासों का निर्माण कराया गया है तथा 130 आवासों को कच्चे आवासों से पक्के आवासों में क्रमोन्नत कराया गया है।
- वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक डीडीपी योजना में 88.53 करोड़ रूपये एवं डी.पी.ए.पी. योजना में 10.99 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं।
- माननीय विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाये जाने हेतु क्रियान्वित विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक 97.96 करोड रूपये के व्यय से सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के 6676 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य के 8 जिलों यथा सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बून्दी, बांरा, धौलपुर, भरतपुर एवं झालावाड में क्रियान्वित डॉग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक 2.37 करोड रूपये के व्यय से 32 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

- 5 जिलों यथा राजसमन्द, अजमेर, पाली, भीलवाडा एवं चित्तौडगढ़ जिले की 14 पंचायत समितियों में क्रियान्वित मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक योजना के तहत 1.96 करोड रूपये के व्यय से 50 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन (आर.आर.एल.पी.)–डी.पी.आई.पी.–II के प्रस्ताव विश्व बैंक से स्वीकृत कराये गये हैं। प्रस्तावित परियोजना से राज्य के 4 लाख बी.पी.एल. परिवारों को स्थाई जीविकोपार्जन के संसाधन एवं आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इनका आर्थिक स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- जोधपुर संभाग के 6 जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई.एफ.ए.डी.) की सहायता से मिटीगेटिंग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर) परियोजना स्वीकृत कराई गई है। इस परियोजना से उक्त संभाग के जिलों की 6 पंचायत समितियों की 245 ग्राम पंचायतों के 1040 ग्रामों के लगभग 1 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जावेगा।
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के समायोजन पर विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक कुल 335.72 करोड़ रूपये की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समायोजन किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **"ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना"** वर्ष 2010–11 से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के क्रम में लागू की गई है।
- ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना में विकास कार्यो का चयन जन समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाकर कार्य करवाये जायेंगे। योजनान्तर्गत श्मशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों का निर्माण प्रथम प्राथमिकता के रूप में करवाये जायेगें। श्मशान एवं कब्रिस्तान भूमियों का निर्माण 10 प्रतिशत जन सहयोग से सम्पादित करवाया जा सकता है। इस श्रेणी के किसी भी कार्य का प्रस्ताव जिले में न होने पर ही स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता के अन्य कार्य करवाये जा सकेंगे। जिसके लिये सामान्य क्षेत्र में 30 प्रतिशत जन सहयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 20 प्रतिशत जन सहयोग उपलब्ध कराना होगा। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जायेगी।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत राज्य के निर्वाचित जन प्रतिनिधि अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए अपनी अभिशंषा पर अधिक कार्य करवा सके इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विधायक कोष की राशि रूपये 80.00 लाख से बढाकर वर्ष 2010–11 में 1.00 करोड रूपये प्रति विधायक की गई है। राज्य में पेयजल की समस्या को देखते हुए यह बढी हुई राशि जन प्रतिनिधि पेयजल संबंधी कार्यो पर ही उपयोग में ले सकेंगे।
- राज्य में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु बेहतर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में (RUDSETI) प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत अब तक 32 जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ कर दिये गये है एवं शेष 1 जिला बूंदी में प्रशिक्षण केन्द्र शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

- सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था लागू की गई है जिसके तहत वर्ष में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- राज्य स्तर पर विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले एवं गांवों का नियमित दौरा करने की व्यवस्था लागू की गई है। अधिकारियों को आवंटित जिलों में प्रत्येक माह में दो दिवसीय क्षेत्रीय निरीक्षण आवश्यक किया गया हैं इसी प्रकार जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर पदस्थापित विभागीय अधिकारियों के भी क्षेत्र निरीक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। मुख्यालय के अधिकारियों एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट में कार्यक्रम के तहत पायी गई कमियों एवं आवश्यक सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लिये जाकर सम्बन्धित विभागों/जिलों को आवश्यक निर्देश दिये जाते है।
- विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं उनकी उपलब्धियों की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराने हेतु विभागीय वेबसाईट **www.rdprd.gov.in** पर विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की मार्गदर्शिका, महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश, प्रगति आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।
- विभाग द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम की जिलों से प्राप्त प्रगति के आधार पर विस्तृत समीक्षात्मक टिप्पणी तैयार कर जिलों को प्रेषित की जा रही है। इससे जिलों को तुलनात्मक प्रगति जानने के अवसर के साथ–साथ उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हुई है। परिणामस्वरूप कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी हुआ है।
- मुख्यालय पर महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा हेतु प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की अध्यक्षता में साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक बैठकें आयोजित करने से महत्वपूर्ण मुद्दों के निस्तारण में तेजी आयी है।

उपलब्धियां – एक नजर में –

- रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत विभाग जहां एक ओर केन्द्र सरकार से अधिकतम संसाधन प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है तो वही दूसरी ओर क्षेत्रीय विषमताओं व असन्तुलन को दूर करने तथा जनता की भागीदारी के साथ गॉवों में आर्थिक विकास हेतु सुदृढ़ आधारभूत संसाधनों का सृजन करने के लिए राज्य सरकार से राशि जुटा रहा है।
- वर्ष 2009–2010 में विभाग की विभिन्न योजनाओं में केन्द्र सरकार से 557.42 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकार से 403.12 करोड़ रुपये अर्थात कुल 960.54 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये हैं जिसके विपरीत कुल 965.87 करोड़ रुपये व्यय किये गये जो कुल प्राप्तियों का 100.55 प्रतिशत है। वर्ष 2009–2010 की योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति परिशिष्ठ– 1 एवं 2 पर उपलब्ध है।
- इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में वर्ष 2009–10 में 5669.05 करोड रूपये की राशि व्यय कर 4498.09 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है।
- वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक विभिन्न केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र सरकार से 456.48 करोड रूपये एवं राज्य सरकार से 305.18 करोड रूपये

अर्थात कुल 761.66 करोड रूपये की प्राप्तियों के विपरीत 575.55 करोड रूपये व्यय किये गये हैं। वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक की योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति परिशिष्ट– 3 एवं 4 पर उपलब्ध है।

- इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक 2490.95 करोड रूपये की राशि व्यय कर 2477.43 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया है।

(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
(एस.जी.एस.वाई.)

परिचय

- स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार के लिए चल रहा एक मुख्य कार्यक्रम है। पूर्ववर्ती एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और इसके सहायक कार्यक्रमों अर्थात् स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्रायसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (द्वाकरा), ग्रामीण क्षेत्रों में औजार–किटों की आपूर्ति (सिट्रा) और मिलियन वेल्स स्कीम (एमडब्ल्यूएस) के अलावा गंगा कल्याण योजना (जीकेवाई) की पुनःसंरचना कर 1.4.1999 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया।
- स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का मूल उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी अनुदान (सब्सिडी) के माध्यम से आयोपार्जक परिसम्पत्तियां उपलब्ध करा कर सहायता प्राप्त ग्रामीण परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य गरीबों के कौशल और प्रत्येक क्षेत्र की कार्यक्षमता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्यमों की स्थापना करना है। कार्यक्रम का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है :–

''स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना'' एक नजर में
ग्रामीण निर्धनों के लिए सबसे बड़ा स्वरोजगार कार्यक्रम
प्रारंम्भ होने की तारीख : 1 अप्रैल, 1999

उद्धेश्य

एक निश्चित समय सीमा के अंदर आय में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित कर गरीबी रेखा से नीचे के सहायता प्राप्त परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना।

प्रमुख विशेषताऐं :

1. स्वसहायता समूह में संगठित होने योग्य बनाने के लिये ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने पर बल।
2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना – एक ऋण सह सब्सिडी योजना है जिसमें ऋण प्रमुख घटक है और सब्सिडी मात्र सहायक घटक है।
3. मुख्य क्रियाकलापों के चयन में सहभागी नीति।
4. प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप के लिए परियोजना नीति।
5. उपयुक्त हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिये क्रियाकलाप समूहों के विकास पर बल।
6. आवर्ती निधि सहायता के माध्यम से समूहों का सुदृढीकरण।
7. परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में सामूहिक प्रक्रियाओं और कौशल विकास में लाभार्थियों का प्रशिक्षण।
8. बाजार की खोज, उत्पादों में सुधार/ विविधीकरण, पैकेजिंग, बाजार सुविधाओं के सृजन आदि के माध्यम से विपणन सहायता।
9. अप्राप्त महत्वपूर्ण कड़ी (missing link) उपलब्ध कराकर ढांचागत विकास के लिए प्रावधान। ढांचागत विकास के लिए 20 प्रतिशत निधि निर्धारित है।
10. स्वसहायता समूहों के गठन और क्षमता निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका।
11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक एवं विकलांग जैसे उपेक्षित समूहों पर ध्यान देना।
12. निश्चित संख्या में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करने हेतु विशेष परियोजनाओं के लिए 15 प्रतिशत निधि का निर्धारण।

निर्धनों का सामाजिक संगठन

- यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन हेतु सामाजिक संगठन की प्रक्रिया के माध्यम से सबसे निचले स्तर पर निर्धनों के संगठन पर बल देता है। एक स्वसहायता समूह में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 10–20 व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिये। लघु सिंचाई योजनाओं, विकलांग व्यक्तियों तथा दुर्गम क्षेत्रों जैसे पहाडी, मरूभूमि एवं बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों में एक समूह में व्यक्तियों की संख्या 5–20 तक हो सकती है। हालांकि, यदि आवश्यक हुआ तो 20 प्रतिशत और विशिष्ट मामलों में 30 प्रतिशत तक गरीबी रेखा से ऊपर के सदस्य (सीमान्त रूप से गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के साथ निरंतर रहते हों) एक समूह में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते समूह के गरीबी रेखा से नीचे के सदस्य सहमत हों। प्रत्येक स्वसहायता समूह में महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक में 50 प्रतिशत स्वसहायता समूह अलग से महिलाओं के लिए होने चाहिये। सामूहिक क्रियाकलापों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा क्रमिक रूप से अधिकांश वित्तपोषण स्वसहायता समूहों के लिए होना चाहिये।

समूह के गठन में गैर सरकारी संगठनों/बैंकों की भूमिका

- समूह के गठन के साथ साथ उनकी क्षमता निर्माण में गैर–सरकारी संगठनों या समुदाय आधारित संगठनों/समुदाय समन्वयकों/सुविधादाताओं/एसएचपीआई/प्रेरकों को शामिल किया जाना चाहिये।
- स्वसहायता समूह के गठन और विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों/एस एच पी आई/प्रेरकों आदि को चार किस्त में 10,000/– रू. प्रति समूह तक दिए जाएंगे।

क्रियाकलापों का चयन

- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगारियों को ऐसे क्रियाकलापों में सहायता देने पर बल दिया जाता है जिन्हे क्षेत्र में उनकी आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से मुख्य क्रियाकलापों के रूप में निर्धारित और चयनित किया गया हो। प्रत्येक ब्लॉक लगभग 10 मुख्य क्रियाकलाप चुन सकता है परतु मुख्य जोर उन 4–5 मुख्य क्रियाकलापों पर होना चाहिए जो स्थानीय संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक कुशलता और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर हों, जिससे कि स्वरोजगारी अपने निवेशों से दीर्घकालीन आय अर्जित कर सकें।
- ब्लॉकस्तरीय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समितियां मुख्य क्रियाकलापों के चयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं, जिसे सहभागी नीति के तहत किया जाना चाहिए। मुख्य क्रियाकलाप का चयन बैंको, औद्योगिक/तकनीकी संगठनों, स्थानीय खादी एवं ग्रामोघोगों के कर्मचारियों तथा जिला उघोग केन्द्र के साथ परामर्श करके किया जाना चाहिए। चुने गए मुख्य क्रियाकलापों को पंचायत समिति द्वारा अनुशंसित होना चाहिए तथा अंतिम तौर पर इसे जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा अनुमोदित कराना चाहिए। मुख्य क्रियाकलापों की सूची में जिला स्तरीय

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा किसी नए क्रियाकलाप को जोडा जा सकता है परंतु एक ब्लॉक में सामान्य तौर पर चुने गए क्रियाकलाप 10 से अधिक नहीं होने चाहिए।

लक्ष्य समूह

- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार एसजीएसवाई के तहत लक्ष्य समूह हैं। लक्ष्य समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण द्वारा उपेक्षित वर्गो के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किये गए हैं।

वित्तीय सहायता

- वैयक्तिक स्वरोजगारी अथवा स्व–सहायता समूहों के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा सब्सिडी तथा बैंक द्वारा ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। ऋण एसजीएसवाई का महत्वपूर्ण घटक है, सब्सिडी अपेक्षाकृत छोटा और सहायक तत्व है। तद्नुसार एसजीएसवाई में बैंकों की व्यापक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। इन्हें परियोजना रिपोर्टों की आयोजना और तैयारी में, क्रियाकलाप कलस्टरों के चयन, आधारभूत ढांचा आयोजना के साथ साथ क्षमता निर्माण तथा स्व सहायता समूहों की पसंद की गतिविधि में, अलग अलग स्वरोजगारियों के चयन में ऋण की वसूली सहित ऋण लेने से पूर्व के क्रियाकलापों तथा ऋण के बाद की निगरानी के कार्य में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना होता है।
- व्यक्तियों के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक एक समान है जो अधिकतम 7500/–रू. हो सकती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/विकलांगों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत है जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रू. है। स्वरोजगारियों के समूहों के लिए सब्सिडी योजना लागत का 50 प्रतिशत है जिसमें प्रति व्यक्ति सब्सिडी 10,000 रू. या 1.25 लाख रू. इनमें से जो भी कम हो होगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की कोई वित्तीय सीमा नहीं है। सब्सिडी कार्योत्तर (Back ended) है।

आवर्ती निधि (Revolving fund) सहायता

- स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रथम ग्रेड में पात्रता प्राप्त कर लेने के बाद, जिला परिषद् के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ और बैंकों द्वारा नकद ऋण सीमा के रूप में आवर्ती निधियां दी जानी होती है।
- आवर्ती निधि की मात्रा स्वयं सहायता समूह के समूह संचय के बराबर बशर्ते यह कम से कम 5000 रू. तथा अधिकतम 10,000 रू. हो। अनेक बार में कुल सब्सिडी 20,000 रू. तक हो सकती है।
- जिला परिषद् के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान
- बैंक द्वारा ऋण साख सीमा–समूह संचय के दो से दस गुना तक

प्रशिक्षण

- एस.जी.एस.वाई. के तहत सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के जरिए कौशल विकास पर जोर दिया जाता है। प्रशिक्षण की रूपरेखा, अवधि और पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किए जाते हैं कि इनसे चयनित मुख्य क्रियाकलापों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा बुनियादी उन्मुखीकरण (Basic orientation) और कौशल विकास प्रशिक्षण दोनों के लिए किए गए खर्चो को जिला परिषद, एसजीएसवाई निधियों से पूरा करेगा। परंतु यह खर्च प्रति प्रशिक्षु 5000 रू से अधिक नहीं होगा।
- एसजीएसवाई के अंतर्गत, वित्तीय आवंटन का कम से कम 10 प्रतिशत भाग स्वरोजगारियों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए नियत है।

आधारभूत सुविधाओं का विकास –

- प्रत्येक जिले के लिए एस.जी.एस.वाई. के वार्षिक आवंटन की अधिकतम 20 प्रतिशत राशि आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु व्यय करने का प्रावधान है।

विपणन सहायता

- एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वरोजगारियों द्वारा निर्मित सामान के विपणन को बढावा देने की व्यवस्था भी की गई है जिसमें स्वरोजगारियों द्वारा निर्मित सामान के प्रदर्शन और बिक्री हेतु जिला/राज्य/राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन, बाजार सूचना का प्रावधान, विपणन और परामर्शी सेवाओं का विकास तथा निर्यात सहित सामान के विपणन हेतु संस्थागत व्यवस्था शामिल है। जिला परिषद व्यवहार्य क्रियाकलापों की पहचान, उत्पाद और डिजाइन विकास के लिए परियोजनाओं की तैयारी, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग आदि से संबंधित व्यावसायिक निवेश के प्रबंध के लिए प्रतिवर्ष 5.00 लाख रू. तक खर्च कर सकती है।

वित्तपोषण

- एस.जी.एस.वाई. को केन्द्र एवं राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वित्तपोषित किया जाता है।

निगरानी

- एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निगरानी की विस्तृत प्रणाली अपनाई गई है। कार्यक्रम की राज्य स्तर से लेकर निचले स्तर तक निगरानी की जाती है। राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा करती है। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तरीय एस.जी.एस.वाई. समिति और ब्लॉक स्तरीय एसजीएसवाई समितियों द्वारा कार्यक्रम की निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त

एसजीएसवाई के अंतर्गत प्रगति की जिला परिषद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो और विवरणियों के जरिए आवधिक रूप से निगरानी की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारियों की कार्यशाला तथा आवधिक बैठकों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जिसका उद्देश्य ब्लॉक/जिला परिषद स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार किया जाना है। क्षेत्र के दौरों तथा परिसम्पत्तियों की वास्तविक जांच के जरिए भी निगरानी की जाती है।

कार्यक्रम की प्रगति

- वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 (दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	वर्ष 2009–2010			वर्ष 2010–2011 (माह दिसम्बर, 2010 तक)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %
1	साख सृजन	13759.35	19221.50	139.70	15818.55	11836.57	74.83
2	व्यय राशि	8324.00	9207..90	110.62	9600.00	5655.92	58.92
3	प्रति परिवार पूँजी निवेश (राशि रू0 में)	25000	32388	129.55	25000	33068	132.27

- वर्ष 2009–2010 में योजनान्तर्गत 59347 स्वरोजगारियों को लाभान्वित किया गया जिनमें से 19424 अनुसूचित जाति एवं 15974 अनुसूचित जनजाति के स्वरोजगारी थे। वर्ष के दौरान 2846 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया।
- वर्ष 2010–2011 में योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2010 तक 35795 स्वरोजगारियों को लाभान्वित किया गया जिनमें से 11091 अनुसूचित जाति एवं 9355 अनुसूचित जनजाति के स्वरोजगारी हैं। वर्ष के दौरान 2266 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। विगत दो वर्षो के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारी :–

वर्ष	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या		महिला लाभार्थियों का प्रतिशत
	कुल	महिलाएं	
2009–10	59347	42419	71.48
2010–11 (दिसम्बर, 2010 तक)	35795	23619	65.98

- राज्य में 2009–10 में इस योजना में सहायता प्राप्त 59347 स्वरोजगारियों में 774 अपंग स्वरोजगारी थे।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान माह दिसम्बर, 2010 तक इस योजना में सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों की संख्या 35795 है इसमें अपंग व्यक्तियों की संख्या 469 है।
- **विशेष परियोजनाएं**:– स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत 20 बहुराज्यीय एवं 6 राज्यीय विशेष परियोजनाएं स्वीकृत हैं जिनका क्रियान्वयन राज्य में किया जा रहा है। बहुराज्यीय विशेष परियोजनाओं में 75:25 के अनुपात में भारत सरकार व कार्यकारी एजेंसी/अन्य संस्थाओं के मध्य अंशदान वहन किया जाता है। 6 राज्यीय विशेष

परियोजनाओं में से 3 परियोजनाओं में 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा व शेष 3 राज्यीय विशेष परियोजनाओं में 25 प्रतिशत राज्यांश की राशि संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा वहन की जा रही है।

- विशेष परियोजनान्तर्गत अधिकांश परियोजनाऐं प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डवलपमेंट से संबंधित है। जिसमें विभिन्न ट्रेड्स यथा– सिक्योरिटी गार्डस, ब्यूटिशियन, कम्प्यूटर ऑपरेटर, नर्सिंग, हॉस्पिटिलिटी, मैसेनरी, हाई स्पीड स्विंग मशीन ऑपरेटर, प्रोड्यूसर गारमेंट मैन्यूफेक्चरिंग आदि में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। बहुराज्यीय एवं राज्यीय विशेष परियोजना अन्तर्गत परियोजना अवधि में लगभग 57000 बी.पी.एल. युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर कार्यकारी संस्थाओं द्वारा प्लेसमेंट उपलब्ध कराया जायेगा । परियोजनावार विवरण **परिशिष्ठ–5** पर उपलब्ध है।
- राज्य में विशेष परियोजनान्तर्गत भी दस जिलों में ग्रामीण हॉट का निर्माण करवाया गया है जिसमें प्रदर्शनी/मेलों का आयोजन कर दस्ताकारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विपणन व्यवस्था की जाती है। ग्रामीण हाटों का संचालन उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

बीपीएल सेन्सस 2002

- प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों, जिन्हें विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है, का पता लगाने के लिये राज्य सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में बीपीएल जनगणना करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिश के अनुसार अपनाई गई क्रियाविधि में गरीब परिवारों का निर्धारण करने के लिए पूर्व जनगणना में अपनाई गई आय अथवा व्यय पद्वति की बजाय 13 अंक आधारित सामाजिक–आर्थिक सूचकांकों को शामिल किया गया। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को बीपीएल परिवारों का निर्धारण इस तरह करना था जिससे कि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कुल व्यक्तियों की संख्या उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बीपीएल व्यक्तियों की संख्या जैसा कि योजना आयोग द्वारा वर्ष 1999–2000 के लिए अनुमानित है अथवा योजना आयोग द्वारा संगठित समायोजित अंश अथवा इनमें से जो भी अधिक है से अधिक नहीं हो। अस्थायी गरीब लोगों के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट की अनुमति दी गई।
- बीपीएल जनगणना 2002 के परिणामों को वर्ष 2003 में अंतिम रूप दिया जाना था किंतु पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने रिट याचिका संख्या 196 दायर करने के कारण बीपीएल सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। उक्त रोक हटने के उपरान्त भारत सरकार ने अपने पत्र क्रमांक क्यू. 21022/4/2003–एआई (आईडी) दिनांक 10.10.2005 के द्वारा बी.पी.एल. सेन्सस 2002 के माध्यम से सर्वे किये गये परिवारों में से बीपीएल परिवारों के चयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये। तद्नुसार पुनः चयन की प्रक्रिया इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2(11)ग्राविवि/4/2004 दिनांक 25.11.05 के द्वारा शुरू की गई।
- राज्य सरकार द्वारा अपीलों के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में ग्राम सभा/वार्ड सभा से प्रोविजनल सूचियों के अनुमोदन उपरान्त द्विस्तरीय अपील का प्रावधान था, जिसमें प्रथम अपील संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार एवं द्वितीय

अपील जिला कलेक्टर को की जा सकती थी। वार्ड/ग्राम सभा से अनुमोदन एवं द्विस्तरीय अपील की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बीपीएल सूचियां तैयार की गई। बीपीएल परिवारों के चयन हेतु संख्या पूर्व में ही भारत सरकार द्वारा 17.36 लाख निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार के स्तर से सर्वे में 0–52 तक अंक प्राप्त हुए उनका कट–ऑफ बिन्दु निर्धारित करते हुए उक्त परिवारों का चयन किया गया है। कट–ऑफ स्कोर गणना के आधार पर अंक 12 एवं 13 के बीच में आया है अर्थात 12 अंक प्राप्त करने वाले समस्त परिवार एवं 13 अंक प्राप्त करने वाले आंशिक परिवारों का चयन किया गया है।

- दिनांक 15.9.2006 को बीपीएल सूची (नामजद) प्रकाशित/जारी एवं प्रभावी की गई व बी.पी.एल. सूची वेबसाईट bpl2002raj.nic.in पर उपलब्ध है। इसे तुरन्त प्रभाव से ग्रामीण विकास विभाग की योजना हेतु लागू कर दिया गया है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय/भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.2.2006 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पात्र परिवारों का चयन एवं अपात्र परिवारों को सूची से हटाये जाने की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी, जिस हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित सूची अन्तिम नहीं है। अपील के प्रावधानों के अनुसार चयनित परिवारों की संख्या घट–बढ सकती है।
- बीपीएल सेन्सस सूची–2002 के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया विभागीय पत्र दिनांक 25.9.06 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को प्रेषित की गई।
- भारत सरकार द्वारा उल्लेखित परिवार से भिन्न व्यक्ति को चयन की समीक्षा करने व ग्राम स्तर पर 1997 की सूची से चयनित परिवारों में 30 प्रतिशत भिन्नता (कम/ज्यादा) पाये जाने पर स्वयमेव **(Suo Moto)** सर्वे कर अपील करने के निर्देश भी जिला कलेक्टर्स को विभागीय पत्र दिनांक 3.10.2006 व 4.10.2006 से दिये गये। स्वयंमेव पूर्ण सर्वे व अपीलों के आधार पर सभी जिलों की सूची **bpl2002raj.nic.in** पर उपलब्ध है।
- बीपीएल सेन्सस–2002 की सूचियों के सम्बन्ध में अपील की प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार सूचियों के प्रभावी रहने तक सतत् जारी रहेगी ।

बीपीएल सेन्सस–2011

- बीपीएल सेन्सस–2011 हेतु भारत सरकार द्वारा आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण–2010 करवाया गया है जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा मैथोडोलाजी का निर्धारण किया जाएगा। भारत सरकार से अभी तक सर्वे के संबंध में कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

राज्य ग्रामीण बीपीएल सूची

- वर्ष 1997 में चयनित किन्तु बीपीएल सूची–2002 में चयन से वंचित परिवारों हेतु पृथक से राज्य ग्रामीण बी.पी.एल. सूची जारी की गई है। इस सूची में सम्मिलित परिवार मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष एवं मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना से लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
(एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.)

परिचय

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) 2005के जरिये यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अगर किसी ग्रामीण परिवार के कोई वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि में उस परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस अधिनियम को प्रारम्भिक चरण में देश के 200 जिलों में लागू किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य इलाकों में भी दिनांक 01.04.2008 से लागू कर दिया गया है। यह कानून रोजगार के अधिकार को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा जिससे लोगों को रोजगार के नियमित अवसर मिलेगें।
- रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य रोजगार की कानूनी गांरटी को साकार करना है जिससे गांवों के ऐसे प्रत्येक परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जिसके वयस्क सदस्य इस अधिनियम की शर्तो के तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। प्रत्येक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में इस अधिनियम की अनुसूची–। तथा अनुसूची–।। में उल्लेखित न्यूनतम मानकों का अनिवार्य रुप से पालन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को संसद द्वारा पारित कर दिनांक 07 सितम्बर, 2005 को इसे अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम को कार्यान्वयन के प्रथम चरण में 200 जिलों में 2 फरवरी, 2006 से लागू किया गया है। 130 जिलों में 2 मई, 2007 से एवं दिनांक 01.04.2008 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। इस योजना का नाम दिनांक 2 अक्टूबर, 2009 से ''**महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना**'' कर दिया गया है।

आमूल बदलाव

- महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्ववर्ती रोजगार कार्यक्रमों की कमियों को दूर करने का प्रयास करते हुये मजदूरी रोजगार की सम्पूर्ण कार्यनीति में आमूल बदलाव किया गया है, और निम्नलिखित को महत्व दिया गया है –
  - कमियों को दूर करने के लिये मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों की कार्यनीति को पुनः बनाए जाने की आवश्यकता।
  - कानूनी दायरे के तहत कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता।

विशेषताएं :

- योजना जिस क्षेत्र में लागू है, उस क्षेत्र के समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य योजना में लाभ के पात्र होंगें।

- योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिवस के गारंटीशुदा रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका का अधिकार होगा।
- ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को रोजगार दिया जाएगा जिसका वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने का इच्छुक हो।
- यह योजना पूर्ववर्ती मजदूरी रोजगार योजनाओं की तरह आपूर्ति आधारित योजना नहीं होकर एक मांग आधारित योजना है।
- यदि राज्य सरकार किसी परिवार की मांग पर उसे 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने में किन्हीं कारणों से असफल रहती है तो वह बेरोजगार व्यक्ति की निर्धारित दरों के अनुसार परिवार के हकदारी के हिसाब से पात्र आवेदकों को मुआवजे का भुगतान करेगी।
- योजनान्तर्गत पंचायत राज संस्थाओं विशेष रूप से ग्राम पंचायत की विशेष भूमिका मानी गई है। इस योजनान्तर्गत ग्रामवासी स्वयं वार्ड सभा/ग्राम सभा के माध्यम से योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों में से अपने गांव के विकास के लिए कार्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण कर कार्य कराने की अभिशंसा कर सकते हैं।
- योजनान्तर्गत रोजगार के आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। कम से कम एक तिहाई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- योजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की विशेष भूमिका निर्धारित की गई है।
- योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारों को प्रतिबन्धित किया गया है।
- योजनान्तर्गत ऐसे कार्य जो मानव श्रम से संभव है, ऐसे कार्यों को मशीनों से कराने के लिए प्रतिबन्धित किया गया है।
- योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर छायां हेतु शेड, पेयजल, आवश्यक दवाईयां एवं क्रेच की व्यवस्था होना आवश्यक है।
- श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके द्वारा संपादित टास्क के आधार पर किया जाता है।
- योजनान्तर्गत मजदूरों को सम्पादित कार्य की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से अथवा 15 दिवस की अवधि में करना अनिवार्य है।
- योजनान्तर्गत निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर श्रमिक मजदूरी के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का हकदार होगा।
- पुरूष एवं महिलाओं के लिए मजदूरी एक समान होगी।

कार्य और योजनाएं

- इस कार्यक्रम में भूमि विकास तथा जल संरक्षण कार्यों पर जोर दिया गया है और कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित की गई है जो निम्नानुसार है:–
  1. जल संरक्षण एवं जल संचय,
  2. सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण,
  3. सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण,

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों या भूमि सुधार के हिाधिकारियों और भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की स्वयं की गृहस्थी भूमि के लिये सिंचाई प्रसुविधा बागवानी उद्यान ओर भूमि विकास प्रसुविधा।
5. परंपरागत जल स्त्रोतों के पुनर्नवीकरण हेतु जलाशयों से गाद की निकासी,
6. भूमि विकास,
7. बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएं, जिनमें जल भराव से ग्रस्त इलाकों से पानी की निकासी भी शामिल है,
8. गांवों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाना ताकि सभी गांवों तक बारहों महीने सहज आवाजाही हो सके। सडक निर्माण परियोजनाओं में जरूरत के हिसाब से पुलिया भी बनाई जा सकती हैं और गांव के भीतर सड़कों के साथ–साथ नालियां भी बनाई जा सकती हैं,
9. राज्य सरकार के साथ परामर्श के आधार पर, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य कार्य। दिनांक 11.11.09 द्वारा अधिसुचित किया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम ज्ञान संधान केन्द्र और ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का सनिर्माण।

वित्त–पोषण

- केन्द्र सरकार निम्नलिखित लागतें (खर्चे) वहन करेगी –
  (क) अकुशल शारीरिक श्रमिकों के वेतन की पूरी लागत।
  (ख) कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों के वेतन तथा भौतिक लागतों का 75 प्रतिशत अंश।
  (ग) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक पर प्रशासकीय खर्चे। इनमे कार्यक्रम अधिकारियों तथा उनके सहायताकर्मियों के वेतन व भत्ते के साथ–साथ कार्यस्थल पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का खर्चा भी शामिल होगा।
  राज्य सरकार निम्नलिखित मदों से संबंधित लागत को वहन करेगी –
  (क) कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों के वेतन तथा भौतिक लागतों का 25 प्रतिशत अंश।
  (ख) यदि राज्य सरकार 15 दिन के भीतर किसी आवेदक को रोजगार नहीं दे पाती है तो उसको दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता।
  (ग) राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासकीय खर्चे।

एनआरईजीए की शुरुआत

- दिनांक 2 फरवरी, 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को लागू किया गया है। अधिनियम के लागू होने से अधिसूचित जिलों में ग्रामीण परिवारों का यह अधिकार है कि वे अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के रुप में अपनी ग्राम पंचायत में अपना नाम पंजीकृत करा सकते है। ग्राम पंचायत समुचित सत्यापन के पश्चात परिवार का नाम पंजीकृत करेगी और पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी। जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है और व्यक्ति विशेष को अधिनियम के अन्तर्गत काम मांगने और काम की मांग के 15 दिन के अन्दर काम पाने

का अधिकार प्रदान करता है। दिनांक 2 फरवरी, 2006 को 200 जिलों में अधिनियम को लागू होने से ग्रामीण समुदायों को कानूनी अधिकार मिल गया है। राज्य के 6 जिले–बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करोली, सिरोही एंव उदयपुर में यह योजना 2 फरवरी, 2006 से लागू हो गई है। 2 मई, 2007 से राजस्थान के 6 अन्य जिले बाडमेर, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, जालौर, सवाईमाधोपुर एवं टोंक में यह योजना लागू की गई है। दिनांक 01.04.2008 से यह योजना राज्य के समस्त जिलों में लागू हो गई है।

वर्ष 2010–11 में उपलब्धियां

- योजनान्तर्गत कार्यो के संबंध में तकमीने तैयार करना, कार्यो की माप, प्रशासनिक/ वित्तीय/ तकनीकी स्वीकृति जारी करना, कार्यो का सैल्फ तैयार करना, श्रम बजट, अन्य विभागों के साथ Convergence, राज्य स्तर से जारी होने वाली प्रशासनिक स्वीकृतियों हेतु चैक लिस्ट आदि सम्मिलित करते हुए तकनीकी मैन्युअल जारी किया गया है।

- **निरीक्षण के नवीन दिशा निर्देशः–** पूर्व में कार्यों के निरीक्षण के लिये लागू निरीक्षण प्रपत्र को संशोधित कर अधिक प्रभावी किया गया एवं निरीक्षण के संबंध में विस्तृत एवं स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है। यह प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत का वर्ष में एक बार सुनियोजित निरीक्षण सुनिश्चित हो। जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यरत अधिकारियों के निरीक्षण नॉर्म्स पुर्ननिर्धारित किये गये है।

- **मस्टररोल वितरणः–** मस्टररोल वितरण की नई व्यवस्था की गई है, जो कि माह मार्च 2010 से लागू की गई है। इसमें कार्य पखवाडा अलग–अलग ग्राम पचायतों में अलग–अलग तारीख को प्रारम्भ करने के निर्देश दिए गए है ताकि तकनीकी एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के कार्य का माह के सभी दिनों में समान रुप से वितरण हो सकें। इससे **भुगतान में देरी होने की समस्या का निराकरण।**

- **पारदर्शिताः– पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु** ''वाल पेन्टिंग निर्माण'' की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित की गयी है तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड किया जा रहा है।

- **अधिनियम एवं दिशा निर्देश अपडेशनः**– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 में कई संशोधन हो चुके है। अतः आदिनांक तक हुये संशोधन को संकलित करते हुये अधिनियम की संशोधित प्रतियां मुद्रित करवाई जाकर सभी संबन्धित को भिजवायी गई है।

- **योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना के संबंध में निर्देश :–** ग्राम पंचायतवार वार्षिक कार्य योजना बनाने के अलग–अलग तरीके अलग अलग जिलों में प्रयोग में लाये जा रहे है। वर्ष 2011–12 की वार्षिक कार्य योजना बनाने हेतु एक रूपता को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर से दिनांक 10/13.09.2010 को निर्देश जारी किये गए है।

- **संविदा कार्मिकों को समय पर भुगतान** :–योजनान्तर्गत अनुबन्धित कार्मिकों को प्रत्येक माह की एक तारीख को मानदेय आवश्यक रूप से दिये जाने हेतु निर्देश जारी किये है।

- **संविदा कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण** :– नरेगा में प्रक्रियात्मक रूप से कम्प्यूटर के माध्यम से त्वरित रूप से कार्य संविदा आधार पर अनुबन्धित ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायकों को आरकेसीएल के माध्यम से आरएससीआइटी का प्रमाण पत्र कोर्स करवाया जा रहा है। जिससे सम्पादित हो सकें। इस कोर्स पर होने वाला व्यय योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक एवं प्रबन्धन मद की राशि से वहन किया जायेगा।

- **ई–मस्टररोल जारी करना** :– योजनान्तर्गत ई–मस्टररोल जारी करने की कार्यवाही सभी जिलों में प्रारम्भ की गयी है। जिसमें मेट द्वारा श्रमिकों द्वारा सम्पादित कार्य की प्रतिदिन की प्रगति भी दर्ज की जाती है।

- **मस्टररोल ट्रैकिंग सिस्टम :–**योजनान्तर्गत जारी किये जाने वाली मस्टररोल के जारी होने से भुगतान होने तक की प्रक्रिया को समयबद्व एवं सुचारू रूप से लागू करने हेतु मस्टररोल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है।

- **भुगतान में विलम्ब को रोकने हेतु उपाय** :–पोस्ट ऑफिस एवं मिनी बैंक के माध्यम से होने वाले भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिए पोस्ट ऑफिस के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस को रिवोल्विंग फण्ड के रूप में राशि अग्रिम रूप से दिया जाना प्रारम्भ किया गया है ताकि समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकें। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा कराये गये सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि नई व्यवस्था लागू करने के पश्चात भुगतान में विलम्ब पर अंकुश लगा है।

- **रिवाल्विंग फण्ड** :– ग्राम पंचायत स्तर पर योजनान्तर्गत राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर रिवाल्विंग फण्ड स्थापित किया गया है। इसके तहत 1500 जॉब कार्ड तक होने की स्थिति में रू. 4 लाख तथा 1500 से अधिक जॉब कार्ड होने की स्थिति में रू. 5 लाख का रिवाल्विंग फण्ड बनाया गया है।

- **समूहवार नाप एवं भुगतान** :– योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों को उनके द्वारा सम्पादित टास्क का उचित एवं सही नाप एवं भुगतान सुनिश्चित करने हेतु समूहवार नाप एवं भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इससे काम नही करने वाले श्रमिकों पर अंकुश लगाने में मदद मिली है।

- **जिला संवाद** :– योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर पर गैर सरकारी संगठनों/सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ किये जा रहे संवाद की तरह जिला स्तर पर भी गैर सरकारी संगठनों/सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद आयोजित किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

- **कम श्रमिक दर आने पर कार्यवाही** :– योजनान्तर्गत कम श्रमिक दर आने पर कार्यवाही हेतु विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी तय की गयी है। इस संबन्ध में विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि औसत मजदूरी दर रू. 70/–से कम आने पर तुरन्त कार्यक्रम अधिकारी को अवगत कराया जायेगा, जो कि इस संबन्ध में कार्यस्थल का निरीक्षण कर कम श्रमिक दर आने के कारणों का विश्लेषण करेगें एवं मजदूरी दर बढाने का प्रयास करेंगे। औसत मजदूरी दर रू. 30/– से कम आने की स्थिति में जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं के द्वारा जांच की जायेगी।

- **अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिकों हेतु त्वरित भुगतान** :– योजनान्तर्गत नियोजित किये जाने वाले अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिकों जो कि उस ग्राम पंचायत के निवासी नही है जहॉ पर कि उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, को त्वरित भुगतान हेतु बीयरर चैंक के माध्यम से भुगतान किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

- **एण्ड टू एण्ड सोल्यूशन** :– एनआईसी एवं निक्सी के साथ एक एमओयू कर (ईओआई) रुचि की अभिव्यक्ति निक्सी द्वारा जारी की गई है, जिसके तहत नरेगा में होने वाले, मजदूरों के काम की मांग से लेकर भुगतान तथा योजना के क्रियान्वयन सबंधी समस्त कार्यो को रियल टाईम एवं जीआईएस आधारित किया जायेगा। इसके लिए निक्सी के साथ एमओयू अंतिम चरण में है। निक्सी द्वारा ईओआई जारी कर तकनीकी फर्म की चयन प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। डीपीआर निर्माण का कार्य चल रहा है।

- **मेट का कोर्स** :– वर्द्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से मेट के कोर्स का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से पात्र व्यक्तियों को विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से एक कोर्स करवाया जायेगा। इन व्यक्तियों को नरेगा के कार्यो में मेट के रूप में नियोजित करने से प्रशिक्षित मेटों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेंगी।

- **सामग्री क्रय में अनियमितता पर प्रभावी रोकः–** पंचायतों द्वारा व्यय की जाने वाली सामग्री को **पंजीकृत व्यापारियों से ही क्रय करने के निर्देश जारी किये गये है।** ऐसा करने से थोक क्रय का लाभ मिल सकेगा एवं सामग्री अच्छी गुणवत्ता की प्राप्त होगी।

- **नरेगा स्थाई समिति :–** योजना के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नरेगा स्थाई समिति का गठन ग्राम पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता में किया गया है। उक्त समिति द्वारा श्रम मद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के व्यय को किये जाने से पूर्व अपनी संस्तुति ग्राम पंचायत को देनी होगी। समिति की रिपोर्ट ग्राम पंचायत की प्रत्येक पाक्षिक बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

- **शास्ति (penalty) आरोपित करने की प्रक्रिया में सुधारः–** नरेगा के संचालन हेतु जिम्मेदार कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार सहित समस्त राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्व नियम 17 सीसीए अन्तर्गत लघुशास्ति (minor penalty) आरोपित किये जाने हेतु जिला कलेक्टर्स को शक्तियॉ दी गई है। साथ ही जिलो में नरेगा योजना के संचालन हेतु कार्यरत कार्मिकों के द्वारा कर्तव्य विमुखता किये जाने पर उनके विरुद्व की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के सबंध में धारा 91क राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में नई जोडी गई है।

- **अभाव अभियोग नियम** :– अभाव अभियोग नियमों का नया प्रारुप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, जिसमें योजना के क्रियान्वयन के सबंध में प्राप्त शिकायतों का समयबद्व निस्तारण एवं व्यतिक्रम (default) करने पर आर्थिक दण्ड का प्रावधान भी किया गया है। अभाव अभियोग अधिकारी के निर्णय के विरुद्व समयबद्व अपील के प्रावधान भी निहत किये गये है। योजना के क्रियान्वयन में कार्यरत नियमित एवं संविदा कर्मचारियों की सेवाओं में कमी के सबंध में भी प्रावधान रखे गये है।

- **लोकपाल का नियोजन** :– योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले पर एक लोकपाल का नियोजन किया जाना है। 20 जिलों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से 8 लोकपाल का चयन किया जाकर पदस्थापित कर दिया गया है।

- वर्ष 2009–10 में रू0 566905.40 लाख की राशि व्यय की गई है। 65.08 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर 4498.09 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। योजनान्तर्गत 1763015 परिवारों द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया गया है।
- वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक रू0 249094.87 लाख की राशि व्यय की गई है। 53.96 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर 2477.43 लाख मानव

दिवसों का सृजन किया गया। योजनान्तर्गत 175867 परिवारों द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया गया है।

- इस वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित परिवारों को प्रति परिवार औसतन 46 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में इस अवधि तक 66 दिवस का औसत रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

इन्दिरा आवास योजना
(आई.ए.वाई.)

परिचय

- मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवास एक मूल आवश्यकता है और बेहतर जीवन यापन का आधार वह घर है जहॉ अच्छी सुविधाएं मिलती हों। अपना घर होने से व्यक्ति को समाज में पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलता है। मकान के स्वामित्व से बीपीएल परिवार का बुनियादी आत्मविश्वास बढता है और उसमें प्रगति करने की इच्छा पैदा होती है जो गरीबी उपशमन के लिए बेहद जरूरी है।
- भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा आवास योजना चलाई जा रही है। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी कार्यक्रम एक उप योजना के रूप में 1985–86 में शुरू हुई थी जो जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में जारी रही। 1 जनवरी, 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना के रूप में चल रही है। वर्ष 1999–2000 से कच्चे मकानों को पक्के मकानों में क्रमोन्नत करने का कार्य भी इसके साथ जोडा गया है। वर्ष 1999–2000 से ही भारत सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान योजना प्रारम्भ की गई जो इंदिरा आवास योजना का ही एक भाग है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2009–10 में 91670 आवासों के निर्माण एवं वर्ष 2010–11 में 63362 आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित कर बजट प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य

- इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल की स्थाई प्रतीक्षा सूची के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक एवं अन्य जाति के परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासीय इकाईयों के निर्माण/क्रमोन्नत में मदद करना है।

वित्त पोषण एवं संसाधनों का आवंटन

(क) इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत वित्तपोषण पद्वति केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर है। वर्ष 2005–06 से भारत सरकार द्वारा आवंटन मानदण्ड को संशोधित करते हुए राज्यों के लिये आवंटन हेतु आवास की कमी को 75 प्रतिशत महत्ता और गरीबी अनुपात को 25 प्रतिशत महत्ता दी जा रही है। जिलों को आवंटन करते समय आवास की कमी को 75 प्रतिशत महत्ता और अनुसूचितजाति/जन जाति घटक को 25 प्रतिशत महत्ता दी जाती है। जिला स्तर से पंचायतों को आवंटन करते समय आवासों की कमी को 75 प्रतिशत महत्ता और अनुसूचित जाति/जनजाति घटक को 25 प्रतिशत महत्ता दी जाती है।

(ख) 1 अप्रैल, 2010 से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 45,000/– रूपये और पहाडी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 48,500/– रूपये प्रति इकाई है। राजस्थान राज्य में सभी जिलों में नवीन

आवास निर्माण हेतु 45000/– रूपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सभी क्षेत्रों के लिए, मरम्मत न किये जा सकने वाले कच्चे मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने (Upgradation) के लिए सहायता राशि की अधिकतम सीमा 15000/– रूपये है।

(ग) वर्तमान में राज्य के जनजातीय क्षेत्र के समस्त पात्र परिवारों एवं शेष अन्य क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों का नवीन आवास निर्माण हेतु 50,000/– रूपये की अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अतिरिक्त सहायता 5000/– रूपये सम्मिलित है।

(घ) नवीन आवास हेतु इकाई अनुदान के अतिरिक्त DRI योजना में इच्छुक लाभार्थी को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर राष्ट्रीयकृत बैंक से 20,000/– रूपये तक का ऋण भी उपलब्ध है।

प्रमुख प्रावधान

(क) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित राशि में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों एवं अधिकतम 25 प्रतिशत अन्य जाति के पात्र परिवारों के आवासों पर व्यय का प्रावधान है। उक्त सभी श्रेणियों के विकलांग पात्र परिवारों के आवासों पर 3 प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान है।

(ख) बी.पी.एल. सेन्सस–2002 के आधार पर तैयार की गई पात्र परिवारों की आई.ए.वाई. प्रतीक्षा सूची में से वरीयता क्रम से स्वीकृतियां जारी किये जाने का प्रावधान है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में, मरम्मत न किये जा सकने वाले मकानों के उन्नयन की अत्यावश्यकता है। अतः 1.4.2004 से कुल निधियों के 20 प्रतिशत तक का उपयोग मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने और ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ऋण–सह–सब्सिडी योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी को सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। मरम्मत न किये जा सकने वाले कच्चें मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने (Upgradation) के लिए प्रति इकाई 15000/–रू. की अधिकतम सहायता प्रदान की जाती है। ऋण सह–सब्सिडी के अंतर्गत रू. 12,500/– की सहायता दी जाती है एवं अधिकतम 50,000/–रू. का ऋण लिया जा सकता है।

(घ) मकान को निरपवाद रूप से लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम आबंटित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से उसे पति और पत्नि दोनों के संयुक्त नाम से आंबटित किया जा सकता है। तथापि, केवल उस स्थिति में पात्र बीपीएल परिवार के पुरूष को मकान आबंटित किया जा सकता है। जहां पात्र महिला सदस्य नहीं है/जीवित नहीं है।

(ड.) प्रत्येक आईएवाई मकान में सेनिटरी लैटरीन और धुंआ रहित चूल्हा और उपयुक्त ड्रेनेज की आवश्यकता है। आईएवाई मकान से अलग, लाभार्थी की जगह पर ही शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। आवास का निर्माण करना लाभार्थी की ही जिम्मेदारी है। आईएवाई मकान निर्माण के लिए ठेकेदारों को शामिल करना पूर्ण रूप से निषेद्य है। आईएवाई मकान के लिए किसी विशेष डिजाइन का निर्धारण नहीं किया गया है परन्तु लाभार्थी को न्यूनतम 20 वर्गमीटर प्लिन्थ क्षेत्र का आवास बनाना आवश्यक है। आईएवाई मकान के निर्माण हेतु डिजाइन, प्रौद्योगिकी, तकनीक और सामान का चयन करना लाभार्थी का विवेकाधिकार है।

(च) इन्दिरा आवास के लाभार्थी द्वारा स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराये जाने पर उसे इन्दिरा आवास की इकाई अनुदान के अतिरिक्त "संपूर्ण स्वच्छता अभियान" से स्वच्छ शौचालय का अनुदान देय है।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए अतिरिक्त निधियों का प्रावधान

- आपातकालीन स्थितियों जैसे दंगा, आगजनी और आग से पीडित व्यक्तियों को तत्काल/समय पर राहत देने की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को आवंटित आईएवाई (राज्यांश सहित) निधियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है अथवा वे अपने ही संसाधनों में से क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण हेतु पीडितों को सहायता दे और बाद में उसकी प्रतिपूर्ति करें। ऐसी सहायता की अधिकतम सीमा उस वर्ष में प्रति जिला 70 लाख रूपये या उस जिले के आवंटन का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, होगी। राहत सहायता आईएवाई के मानदण्डों के अनुसार होगी। कुल आईएवाई आवंटन में से 5 प्रतिशत उपर्युक्त उल्लेखित स्थितियों से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपने हिस्से के रूप में रखी जाती है। अन्य आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त मकानों के मामले में, जिला प्रबंधन पूर्व अनुमोदन के लिए 5 प्रतिशत आवंटन के अंतर्गत, राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तावों को अतिरिक्त सहायता हेतु भेज सकता है। इस संबंध में अतिरिक्त निधियों को भी केन्द्र और राज्य के बीच में 75:25 आधार पर बांटा जायेगा।

नई पहलकदमियां और अवसर

- उपर्युक्त और पात्र बीपीएल लाभार्थियों की पहचान करना कार्यक्रम का प्रमुख कार्य है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, बीपीएल जनगणना–2002 के परिणामों के आधार पर ग्राम पंचायतवार पात्र परिवारों की स्थाई आईएवाई प्रतीक्षा सूची तैयार की जा चुकी है तथा इसके वरीयता क्रम के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। इस स्थाई प्रतीक्षा सूची को प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदर्शित किया गया है तथा विभाग की वेबसाईट **www.rdprd.gov.in** पर भी उपलब्ध है। इस कदम से लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की मनमानी अथवा अनाचार को दूर किया जा सकेगा।
- योजनान्तर्गत सभी श्रेणी में 3 प्रतिशत विकलांग पात्र परिवारों एवं पात्र अल्प संख्यकों की श्रेणी में 15 प्रतिशत लक्ष्यों की सीमा में इनको लाभान्वित करने हेतु आईएवाई की स्थाई प्रतीक्षा सूची की वरीयता में शिथिलता प्रदान की गई है।
- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत शौचालयों का निर्माण ग्रामीण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत किये जाने का प्रावधान रखा गया है। इससे लाभार्थी को आवास निर्माण करने हेतु उपलब्ध अनुदान सहायता के अतिरिक्त स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु सहायता राशि ग्रामीण स्वच्छता अभियान से देय होगी।

उपलब्धियां

- राजस्थान राज्य में आईएवाई योजना के शुरू होने से वर्ष 2009–10 तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 7.47 लाख मकानों का निर्माण/उन्नयन किया गया है। गत 5 वर्षों में आईएवाई के अंतर्गत हुई प्रगति नीचे दिये अनुसार है –

वर्ष	लक्ष्य (संख्यां)	निर्मित/उन्नयित मकान (संख्या)
2005–06	32070	38471
2006–07	34094	33397
2007–08	47354	47818
2008–09	47350	52386
2009–10	91670	81287

- योजनान्तर्गत 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक केन्द्र एवं राज्य सरकार से कुल 22398.89 लाख रूपये की प्राप्तियों के विपरीत कुल 19696.01 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।
- 2010–11 में आईएवाई योजना के अंतर्गत राज्य में 63362 मकान बनाये जाने के लक्ष्य के विपरीत दिसम्बर, 2010 तक 26246 मकानों का निर्माण/उन्नयन किया गया है तथा 43468 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2010–2011 के लक्ष्यों की स्वीकृतियां आई.ए.वाई. की प्रतीक्षा सूची के आधार पर ही जारी की गई है।
- 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक 19696.01 लाख रूपये में से 12457.27 लाख रूपये अनु.जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर व्यय किये गये हैं। माह दिसम्बर. 2010 की स्थिति के अनुसार कुल व्यय में से अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु व्यय का प्रतिशत 63.25 प्रतिशत है।
- वर्ष 2009–10 में योजनांतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 1185 मकान बनाये गये है। वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिये 617 आवास स्वीकृत किये गये हैं।

निगरानी

- सभी जिलों को आईएवाई योजना के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टे भेजनी होती है। इन रिपोर्टो के प्रपत्र में अनु. जाति/जनजाति घटक, महिला लाभार्थियों की कवरेज, धूंआ रहित चूल्हों और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था, शारीरिक रूप से अपंग लाभार्थियों की कवरेज आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण ब्यौरे दिये जाते है। वित्तीय निगरानी स्वतः समवर्ती प्रक्रिया है जो उपयोग प्रमाण–पत्रों, लेखा परीक्षा रिपोर्टो आदि, जो निधियों की रिलीज का आधार होती है, के माध्यम से की जाती है। राज्य स्तर पर सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति होती है और जिला तथा ग्रामीण स्तर पर भी सतर्कता और निगरानी समितियां है।

- इन्दिरा आवास योजना की क्रियान्विति, मोनिटरिंग एवं निगरानी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक, पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी एवं जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा की जाती है।
- मुख्यालय, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक जिले के लिए क्षेत्र अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है और वे समय–समय पर दौरे करते है और आईएवाई सहित सभी योजनाओं के फील्ड स्तर के क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते है।

जलग्रहण विकास कार्यक्रम
(समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डीपी.), सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) एवं एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना (आई.डब्ल्यू. एम.पी.))

परिचय

- क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों, यथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम(आई.डब्ल्यू.डीपी.) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को वर्ष 1994 तक उनके अपने अलग अलग मार्गदर्शी सिद्धातों, मानदण्डों, वित्त पोषण पद्धति के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा था। हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 1 अप्रैल,1995 से जलग्रहण विकास सम्बन्धी समान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।
- जलग्रहण विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को सितम्बर, 2001 में आगे और संशोधित किया गया था। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में अधिक लचीलापन, पंचायती राज संस्थाओं के लिए विषय केन्द्रित भूमि, द्विमार्गी दृष्टिकोण, बहिर्गमन व्यवस्था (प्रोटोकोल), परियोजना कार्यान्वयन में अधिक सामुदायिक भागीदारी तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों, महिलाओं, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण दस्तकारों आदि को शामिल करते हुए स्व–सहायता समूहों के जरिए परियोजनापरांत रख–रखाव आदि की परिकल्पना की गई है।

जलग्रहण विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः–

- गांव की सार्वजनिक भूमि पर अधिक ध्यान देना।
- लाभों के बंटवारे में समानता।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा परियोजनोपरांत रख–रखाव के लिए गॉव स्तर पर संस्थागत सामुदायिक भागीदारी।
- स्व–सहायता समूहों तथा प्रयोक्ता समूहों (User Groups) के जरिए सतत् सम्पोषणीय ग्रामीण जीविका सहायता प्रणालियों पर जोर देना।
- एक महत्वपूर्ण संघटक के रूप में क्षमता निर्माण।
- निगरानी तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर समिति प्रणालियां।
- जलग्रहण क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा विकेन्द्रीकृत रूप में आयोजना तैयार करना और निर्णय लेना।
- भारत के संविधान के 73 वें तथा 74वें संशोधन के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं को विकास संबधी कार्यक्रमों के बुनियादी स्तर पर कार्यान्वयन में काफी बडी भूमिका प्रदान की गई है। जलग्रहण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय तथा प्रशासनिक दोनों ही रूप में अधिकार सम्पन्न बनाने के उददेश्य से हरियाली नाम से एक नया कार्यक्रम लागू किया है।

- भारत सरकार द्वारा सभी जलग्रहण विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कॉमन गाईड लाईन्स जारी की गई है जो 01.04.2008 से प्रभावी है। मार्गदर्शिका के अनुसार स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी तथा डिस्ट्रिक्ट वाटरशैड डवलपमेन्ट यूनिट जो कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार है, का गठन राज्य सरकार के स्तर पर किया जा चुका है।

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम

- समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, वर्ष 1989–90 से कार्यान्वित किया जा रहा है। 1 अप्रैल, 1995 से इस कार्यक्रम को जलग्रहण विकास के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत जलग्रहण पद्धति के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि के विकास से सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी को बढाए जाने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन में वृद्धि होने की आशा की जाती है जिससे भूमि के सतत विकास और लाभों के समान वितरण में सहायता मिलती है।

बंजर भूमि संबंधी एटलस

- बंजर भूमि मे होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए वर्ष 2003 में राष्ट्रीय बंजरभूमि अद्यतनीकरण मिशन (एन.डब्ल्यू.यू.एम.) की शुरूआत की गई थी। राष्ट्रीय बंजरभूमि अद्यतनीकरण मिशन (एनडब्ल्यूयूएम) ने एक ही समय में एकत्रित आईआरएस ऑकडों (वर्ष 2003 के ऑकडों) का प्रयोग करते हुए वर्ष 2003–05 के दौरान दो वर्षो की अवधि में पूरे देश में बंजरभूमि के नक्शे तैयार करने का कार्य किया। इस क्रिया के परिणामस्वरूप ''भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस–2005'' प्रकाशित किया गया। इस क्रिया के द्वारा प्राप्त हुए अद्यतन अनुमानों के अनुसार देश में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल 55.27 मिलियन हैक्टेयर बैठता है। इन नक्शों से बंजरभूमि/जलग्रहण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए गॉव/जलग्रहण (500 हैक्टेयर) स्तर पर सही–सही सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में 1,01,454 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि है जो पूरे क्षेत्र का 29.64 प्रतिशत है।

उददे्श्य

कार्यक्रम का मूल उददे्श्य बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि का गांव/माइक्रो जलग्रहण योजनाओं के आधार पर समेकित विकास करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित उददे्श्यों को पूरा करना है:–

- भूमि की उर्वरता, स्थल स्थितियों तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को जलग्रहण आधार पर विकसित करना।
- कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों तथा उपेक्षित वर्गो के समग्र आर्थिक विकास को बढावा देना तथा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना ।

- भूमि, जल, वानस्पतिक आच्छादन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण तथा विकास के द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना।
- गांव के समुदाय को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित करना :–
  (क) जलग्रहण (जलग्रहण) क्षेत्र में सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन तथा रख रखाव के लिए तथा प्राकृतिक संसाधनों की संभावना का आगे और विकास करने के लिए सतत् सामुदायिक प्रयास करने।
  (ख) साधारण, सरल और वहन कर सकने योग्य ऐसे प्रौद्योगिकीय समाधान और संस्थागत व्यवस्थाऐं जिनका उपयोग किया जा सके और जिन्हें स्थानीय तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध सामग्री के आधार पर तैयार किया जा सके।
- रोजगार सृजन, गरीबी उपशमन, सामुदायिक अधिकार सम्पन्नता तथा गांव के मानव संसाधन और अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास।

कवरेज

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं सामान्यतः उन ब्लॉकों में स्वीकृत की जाती हैं जो मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अन्तर्गत शामिल नहीं होते है। इस समय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं राज्य के 18 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

वित्त पोषण

- 31.03.2000 से पहले कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण विकास परियोजनां 4000 रूपये प्रति हैक्टेयर के लागत मानदण्ड पर स्वीकृत की जाती थी, इनका वित्तपोषण पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता था। तथापि 01.04.2000 के बाद स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए लागत मानदण्ड को संशोधित करके 6000 रूपये प्रति हैक्टेयर कर दिया गया है। नई परियोजनाओ के वित्त पोषण की राशि को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 5500 रूपये और 500 रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुपात मे बांटा जाएगा।

उपलब्धियां

- वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में 3.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित करने हेतु परियोजनाएं कियान्वित की जा रही है।
- वर्ष 2009–10 में कुल 4950.84 लाख रूपये की उपलब्ध राशि के विपरीत रूपये 3402.41 लाख व्यय किये गये जो कि उपलब्ध राशि का 68.72 प्रतिशत है।
- वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक कुल 1677.26 लाख रूपये की उपलब्ध राशि के विपरीत रूपये 879.73 लाख व्यय किये गये हैं जो कि उपलब्ध राशि का 52.45 प्रतिशत है।

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम

- सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) केन्द्र सरकार ने उन क्षेत्रों, जहां पर लगातार भयंकर सूखे की स्थिति बनी रहती है, की विशेष समस्याओं को हल करने के लिए वर्ष 1973–74 में शुरू किया था। इन क्षेत्रों की विशेषता यह है कि यहां पर मानव जनसंख्या और पशुओ की संख्या अधिक होने के कारण भोजन, चारे तथा ईधन के लिए उन प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार काफी अधिक दबाव पड़ रहा है जो पहले से ही कम है। यहां की मुख्य समस्या वानस्पतिक आच्छादन का सतत् रूप से क्षीण होना, भूमिकटाव में वृद्धि होना तथा भूमि के नीचे जल के भंडार को पुनः भरने के लिए कोई प्रयास किए बिना लगातार दोहन के कारण भू–जल के स्तर में गिरावट आना है।

उद्देश्य

- कार्यक्रम का मूल उददेश्य फसलों के उत्पादन, पशुधन तथा भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधनों पर पडने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है तथा इसके द्वारा अंततः प्रभावित क्षेत्रों को सूखे के प्रभाव से मुक्त कराना है। इसके अलावा क्षेत्र में निवास करने वाले संसाधनहीन गरीब लोगों और उपेक्षित वर्गो की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में संसाधन आधार का सृजन, इसे व्यापक बनाकर और समान वितरण के द्वारा तथा रोजगार के अवसर बढाकर सुधार लाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को बढ़ाना है।

कवरेज

- वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों यथा अजमेर, बांसवाडा, बांरा, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर के 32 ब्लॉको में कार्यान्वित किया जा रहा है।

वित्त पोषण

- मार्च, 1999 तक, निधियां केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर बांटी जा रही थी। तथापि, 1 अप्रैल,1999 से वित्तपोषण केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर बांटा जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 हैक्टेयर क्षेत्र की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है। 1.4.2000 के पश्चात स्वीकृत परियोजनाओं हेतु 6000 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से लागत मानदण्ड लागू किये गये है।

उपलब्धियां

- वर्ष 2009–10 में 3894.58 लाख रूपये की उपलब्ध राशि के विपरीत रूपये 2713.13 लाख व्यय किये गये हैं जो कि उपलब्ध राशि का 69.66 प्रतिशत है।

- वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक कुल 3022.56 लाख रूपये की उपलब्ध राशि के विपरीत रूपये 1099.48 लाख व्यय किये गये जो कि उपलब्ध राशि का 36.38 प्रतिशत है।

मरू विकास कार्यक्रम

- मरू विकास कार्यक्रम (डीडीपी)को राजस्थान में वर्ष 1977–78 में शुरू किया गया था। राजस्थान में गर्म शुष्क (रेतीले) क्षेत्रों के विस्तृत भू–भाग होने के कारण इसकी अलग समस्याएं है। वर्तमान में राज्य के 16 जिलों मे कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। 10 प्रमुख मरू जिलों यथा बाडमेर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली और सीकर में रेत के टीलों के स्थिरीकरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए आडी पट्टियों (शेल्टर बेल्ट) में वृक्षारोपण, रेत के टीलों के स्थिरीकरण तथा वन चरागाह विकास के द्वारा मरूथलीकरण को रोकने हेतु वर्ष 1999–2000 से मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।
- इस कार्यक्रम की परिकल्पना भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण, विकास और इन्हें उपयोग में लाकर पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली के लिए एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के आर्थिक विकास को बढाना और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के संसाधनहीन गरीब लोगो और समाज के उपेक्षित वर्गो की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

उद्देश्य

- फसलों, मानव और पशुधन पर मरूस्थलीकरण और विपरीत जलवायु परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और मरूस्थलीकरण को रोकना।
- प्राकृतिक संसाधनों अर्थात भूमि, जल, वानस्पतिक आच्छादन का उपयोग, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना और भूमि की उत्पादकता बढ़ाना।
- भूमि के विकास, जल संसाधनों के विकास और वनीकरण/चरागाह विकास के लिए जलग्रहण पद्धति के जरिए विकासात्मक कार्यो को कार्यान्वित करना।

कवरेज

- वर्ष 1994–95 तक मरू विकास कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों के 77 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा था। हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के आधार पर 8 नए ब्लॉक को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गयाा। इसके परिणामस्वरूप 1.4.95 से यह कार्यक्रम राज्य के 16 जिलों यथा अजमेर, बाडमेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, सिरोही एवं उदयपुर के 85 ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

वित्त पोषण

- 1 अप्रैल, 1999 से या इसके बाद स्वीकृत की गई जलग्रहण परियाजनाओं के लिए कार्यक्रम को 75:25 के आधार पर वित्तपोषित किया जा रहा है। कार्यक्रम अन्तर्गत 500 हैक्टेयर की परियोजना ली जाती है। 01.04.2000 से स्वीकृत परियोजनाओं के लिये राशि 6000/– रूपये प्रति हैक्टेयर अर्थात 30 लाख रूपये प्रति परियोजना उपलब्ध कराई जा रही है।

उपलब्धियां

- वर्ष 2009–10 में कुल 36829.93 लाख रूपये की उपलब्ध राशि के विपरीत 19918.11 लाख रूपये व्यय किये गये हैं जो कि उपलब्ध राशि का 54.08 प्रतिशत है।
- वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक कुल 20612.14 लाख रूपये की उपलब्ध राशि के विपरीत रूपये 8853.07 लाख व्यय किये गये जो कि उपलब्ध राशि का 42.95 प्रतिशत है।

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना (आई.डब्ल्यु.एम.पी.)

- भारत सरकार द्वारा जलग्रहण विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति हेतु समान दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जो पूरे देश में दिनांक 1.4.2008 से लागू किये गये हैं। अब भू–संसाधन विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाली सभी जलग्रहण परियोजनाऐं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस नये कार्यक्रम यथा समन्वित जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत ही स्वीकृत की जायेगी।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत राशि हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 90 : 10 रखा गया है। नॉन डी.डी.पी. ब्लॉक्स के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति हैक्टेयर उपचार हेतु राशि रु. 12000/– एवं डी.डी.पी. ब्लॉक्स के अन्तर्गत प्रति हैक्टेयर उपचार हेतु राशि रु. 15000/– तय की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2009–10 में राजस्थान राज्य के 32 जिलों के अन्तर्गत 127 पंचायत समितियों में कुल 162 परियोजनाऐं स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 9,25,599 हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित किया जायेगा, जिसकी लागत रु. 129494.22 लाख होगी। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2010–11 में समन्वित जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 32 जिलों की 148 पंचायत समितियों हेतु भारत सरकार द्वारा 213 परियोजनाऐं स्वीकृत हुई है, जिसकी कुल लागत रु. 174647.92 लाख है, जिसके अन्तर्गत 1257463 हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया जायेगा।
- स्वीकृत परियोजनाओं में कार्य आरंभ कर दिया गया हैं जिसके अन्तर्गत जलग्रहण समिति का गठन, प्रत्येक परियोजना हेतु 4 सदस्यीय जलग्रहण विकास दल का गठन, प्रवेश बिन्दु गतिविधि, क्षमता निर्माण, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने जैसी प्रारंभिक चरण की गतिविधियों पर माह दिसम्बर 2010 तक रु. 2127.21 लाख व्यय किये गये है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(एम.पी.एल.ए.डी.)

परिचय

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993–94 में प्रारंभ किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष अपने संसदीय क्षेत्र में क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार सामुदायिक उपयोग के विकास कार्यो को क्रियान्वित कराये जाने हेतु 200.00 लाख रूपये आवंटित किये जाते हैं।

कार्यक्षेत्र

- राज्य में 25 लोकसभा एवं 10 राज्य सभा सदस्यों के क्षेत्रों में योजना कियान्वित की जा रही है।

वित्त पोषण

- यह शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना हैं।

विशेषताएं

- राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लागू है।
- निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन पंचायती राज/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग/रेपूटेड गैर सरकारी संस्था, जो जिला कलक्टर की निगाह में कार्य कराने में सक्षम हो, से कराया जा सकता हैं।
- इस योजनान्तर्गत आवृति व्यय हेतु राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता हैं।
- जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था हैं।
- योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव सांसद द्वारा अभिशंषित कर कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाते हैं तत्पश्चात् इन कार्यों की कार्यक्रम के दिशा–निर्देशानुसार जांच कर कार्य करवाये जाते हैं।
- सांसदों द्वारा देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, चक्रवात, सुनामी भूकम्प, तूफान, अकाल आदि की स्थिति में अपने कोटे से 10.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यों की अभिशंषा मार्गदर्शिका में अनुमत कार्यों हेतु की जा सकती है।
- देश में विकराल प्राकृतिक आपदा आने एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने पर सांसद प्रभावित जिले के लिये अधिकतम 50.00 लाख रूपये के कार्यों की अभिशंषा कर सकते हैं।

- यदि कोई निर्वाचित संसद सदस्य उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिससे वह चुना गया है, की शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार दूसरे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में करना चाहता है तो एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख रूपये शिक्षा एवं संस्कृति से सम्बन्धित कार्य जो मार्गदर्शिका में प्रतिबन्धित नहीं है का चयन कर सकता है।
- योजनान्तर्गत निधियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिये क्रमशः कम से कम 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की लागत के कार्यों की अभिशंषा करने का प्रावधान है।
- योजनान्तर्गत निर्मित करायी जाने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित लाभार्थी संस्था की होगी।
- योजना के तहत सांसद द्वारा प्रस्तावित कार्यों के प्राप्त होने की दिनांक से यथा संभव 45 दिनों के अन्दर प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था की गई है।

योजनान्तर्गत प्रतिबन्धित कार्यो की सूची निम्नानुसार हैं :–

1. केन्द्र, राज्य सरकार, उनके विभागों, सरकारी अभिकरणों/संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबद्ध कार्यालय तथा रिहायशी भवन।
2. कार्यालय तथा रिहायशी भवन तथा निजी, सहकारी और वाणिज्यिक संगठनों से संबद्ध अन्य कार्य।
3. ऐसे सभी कार्य जिनमें वाणिज्यिक प्रष्ठिान/इकाई शामिल हो ।
4. किसी भी प्रकार के रख–रखाव वाले कार्य।
5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध विशेष अनुमति वाली संपत्ति तथा पुरातात्विक स्मारक तथा भवनों को छोडकर सभी नवीनीकरण तथा मरम्मत कार्य।
6. किसी भी केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र के राहत कोष में अंशदान, अनुदान तथा ऋण।
7. किसी व्यक्ति के नाम पर रखी गई संपति।
8. केन्द्र, राज्य , संघ शासित क्षेत्र तथा स्थानीय स्वशासन से संबद्ध वाहन, अर्थ मूवर तथा अस्पताल उपकरण, शैक्षणिक, खेल, पेयजल तथा सफाई उद्देश्यों को छोडकर सभी चल वस्तुओं की खरीद। (यह कार्य, जिसके लिए ऐसी वस्तुओं का प्रस्ताव हो, पूंजी लागत के 10 प्रतिशत के अध्यधीन होगा)।
9. भूमि अधिग्रहण तथा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा ।
10. किसी भी प्रकार के कार्य अथवा मद की समाप्ति अथवा आंशिक समाप्ति की अदायगी।
11. व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ हेतु संपति।
12. समस्त राजस्व और आवर्ती व्यय।
13. धार्मिक पूजन से संबद्ध स्थल तथा धार्मिक आस्था/समूह द्वारा अधिगृहित भूमि के अंतर्गत कार्य।

शेष कार्य दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रियानुसार संचालित कराये जा सकते हैं।

उपलब्धिया

- वर्ष 2009–10 में योजनान्तर्गत रूपये 3796.76 लाख व्यय कर 1480 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2010–11 में योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2010 तक 3137.33 लाख रूपये व्यय कर 1245 कार्य पूर्ण किये गये।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(बी.ए.डी.पी.)

परिचय

देश की करीब 1040 किलोमीटर लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य के बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों के 14 विकास खण्डों शिव, बाडमेर, चौहटन, धोरीमन्ना, जैसलमेर, सम, बीकानेर, कोलायत, खाजूवाला, करणपुर, गंगानगर, पदमपुर, रायसिंहनगर, व अनूपगढ में भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के रूप में मोडीफाईड सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993–94 से लागू किया गया। इस कार्यक्रम के लिये शत–प्रतिशत सहायता राशि भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाती हैं। गृह मंत्रालय (बी.एम.) भारत सरकार द्वारा नए निर्देश जारी किये गये हैं जो फरवरी, 2009 से प्रभावी है।

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र में रहने वाले दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लागों की विशिष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करना हैं ।

वित्त पोषण

- यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं।
- भारत सरकार द्वारा राज्य को राशि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई, विकास खण्ड की जनसंख्या एवं विकास खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर दी जाती है। राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार कुल प्राप्त होने वाली राशि में से 30–30 प्रतिशत राशि बाडमेर एवं जैसलमेर जिलों को 25 प्रतिशत राशि बीकानेर जिले एवं 15 प्रतिशत राशि गंगानगर जिले को आवंटित की जाती हैं।

विशेषताएं

- कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड विशेष इकाई होता है एवं समस्त कार्य विकास खण्ड के क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पादित किये जाते हैं।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो का अनुमोदन राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाता हैं।
- योजना में सामाजिक सैक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं संबंधित कार्यो पर बल दिया जाता हैं।
- सुरक्षा संबंधी कार्य भी कराये जा सकते हैं लेकिन आवंटन का अधिकतम 10 प्रतिशत इस क्षेत्र मे उपयोग किया जा सकता हैं।

- पीने का पानी, एप्रोच रोड, प्रशासनिक भवन, सडक एवं पुलिया इत्यादि समस्त मूलभूत अवसंरचना के कार्यो पर 60 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकती हैं।
- वार्षिक आवंटन की 15 प्रतिशत राशि रखरखाव पर व्यय की जा सकती हैं। कार्यो का सम्पादन राज्य/केन्द्रीय/पैरा मिलिट्री संस्थाये/पंचायती राज संस्थाएं/जिला कोन्सिल/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता हैं।

उपलब्धियां

- वर्ष 2009–10 में इस कार्यक्रम के तहत 9343.23 लाख रूपये की राशि भारत सरकार द्वारा जारी की गई है जिसके विरुद्ध 9145.22 लाख रूपये व्यय किये गये हैं जिनसे 927 कार्य पूर्ण करवाये गये हैं।
- वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक 4372.21 लाख रूपये व्यय कर 405 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना

परिचय

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जो अब जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के रूप में कार्यरत है, विभाग के विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तरीय संस्था है। शुरूआत से अब तक, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आवंटन के एक निश्चित प्रतिशत को अलग रखते हुए उससे डी.आर.डी.ए. एजेन्सियों के लिए प्रशासनिक लागत की पूर्ति की जाती थी। तथापि, जिला स्तर पर गरीबी उपशमन के कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए एक प्रभावकारी एजेंसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिला ग्रामीण विकास एजेसियों के सुद्वढीकरण के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है। इस येाजना के अंतर्गत डी.आर.डी.ए./जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) की संस्थापन लागत की पूर्ति केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के आधार पर की जाती है।

उद्देश्य

- जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के प्रशासनिक व्यय हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन की योजना का प्राथमिक उद्वेश्य जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) को व्यावसायिक स्वरूप देना है ताकि वे गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) से आशा की जाती है कि वे राजकीय विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों के साथ–साथ तकनीकी संस्थाओं के साथ प्रभावकारी ढंग से समन्वय करें, जिससे कि जिले में गरीबी को कम करने के लिए अपेक्षित सहायता और संसाधनों को जुटाया जा सकें।

संगठनात्मक ढांचा

- राज्य के प्रत्येक जिले में जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) कार्यरत है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके प्रमुख अधिकारी है, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है। जिला परिषद के अध्यक्ष जिला प्रमुख होते है।
- जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) एक ऐसी विशिष्ट एजेंसी के रूप में उभरा है, जो एक ओर गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का प्रबन्ध कर सके और दूसरी ओर इन्हें जिले में गरीबी उपशमन के लिए किए जा रहे प्रयासों से जोड सकें।
- जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) की भूमिका, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करने, प्रगति का पर्यवेक्षण/निरीक्षण और निगरानी करने, प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने और भेजने तथा ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त निधियों के लेखों के रख–रखाव की है।
- बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) को विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है।

स्टाफ पद्धति

- जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) की स्टाफ पद्धति में गरीबी उपशमन के लिए योजना बनाना, परियोजना निर्माण, सामाजिक संगठन और क्षमता निर्माण, इंजीनियरी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, परियोजना निगरानी, बही खाता एवं लेखा–परीक्षा कार्य तथा मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन से संबंधित पद शामिल है।
  प्रत्येक जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में निम्नलिखित खण्ड हैः–
  (i) स्वरोजगार खंड,
  (ii) मजदूरी रोजगार खंड,
  (iii) इंजीनियरींग खंड,
  (iv) लेखा खंड,
  (v) निगरानी एवं मूल्यांकन खंड, और
  (vi) सामान्य प्रशासन खंड ।

प्रशासनिक खर्च

- प्रशासनिक व्यय हेतु जिलों को ब्लाक की संख्या के आधार पर श्रेणी में बांटा गया है। जिसके लिये जिला प्रशासनिक लागत निम्न प्रकार निर्धारित हैः–

'क'	श्रेणी के जिले (6 से कम ब्लॉक)	46 लाख रूपये
'ख'	श्रेणी के जिले (6–10 ब्लॉक)	57 लाख रूपये
'ग'	श्रेणी के जिले (11–15 ब्लॉक)	65 लाख रूपये
'घ'	श्रेणी के जिले (15 से अधिक ब्लॉक)	67 लाख रूपये

- उपर्युक्त सीमा वर्ष 1999–2000 से लागू है। मुद्रास्फीति और इसी तरह की अन्य बातों से निपटने के लिए इस सीमा में हर वर्ष 5 प्रतिशत तक की चक्रवृद्धि आधार पर वृद्धि की जाती है।

कार्मिक नीतिः

- कर्मचारियों का बेहतर चयन और स्टाफ पद्धति में लोच सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में कर्मचारियों को निर्धारित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है।
- राज्य स्तर पर परियोजना निदेशकों एवं परियोजना अधिकारियों तथा जिला स्तर पर परियोजना अधिकारियों, सहायक परियोजना अधिकारियों तथा समस्त तकनीकी पदों पर सिद्व क्षमता और प्रेरणा वाले अधिकारी होते हैं जिन्हें चयन समितियों द्वारा निष्पक्ष तरीके से चुना जाता है।

वित्तपोषण पद्धति

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों को केन्द्र और राज्यों में 75:25 के आधार पर बांटा जाता है।

निधियों की रिलीज

- योजना के अंतर्गत जिला परिषदों को केन्द्रीय सहायता सीधे दो किश्तों में, कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप रिलीज की जाती है। स्टाफ लागत का 30 प्रतिशत तक आकस्मिक खर्चो के लिए खर्च किए जाने की अनुमति है। निधियों का 10 प्रतिशत राज्य मुख्यालय द्वारा उपयोग किए जाने की अनुमति है। राज्य की हिस्सा राशि भी इसी अनुरूप में जारी की जाती है।

उपलब्धियां

- वर्ष 2009–10 में केन्द्र सरकार से रूपये 2604.75 लाख एवं राज्य सरकार से रूपये 888.51 लाख अर्थात कुल रूपये 3493.26 लाख की प्राप्तियों के विरूद्ध रूपये 3510.23 लाख व्यय किये गये।
- वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक रूपये 2489.88 लाख व्यय किये गये हैं।

(ब) राज्य प्रवर्तित योजनाएँ

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(एम.एल.ए.एल.ए.डी.)

परिचय

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में ''विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम'' नाम से योजना आरम्भ की गई है। योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1999–2000 में प्रत्येक विधायक महोदय 25.00 लाख रूपये की लागत के कार्य अभिशंषित करने के लिये अधिकृत थे जिसे बढ़ाकर वर्ष 2000–2001 में प्रति विधायक 40 लाख रूपये किया गया। वर्ष 2001–2002 से यह राशि बढ़ाकर 60.00 लाख रूपये, वर्ष 2007–08 से 80.00 लाख रूपये तथा वर्ष 2010–11 से योजनान्तर्गत प्रावधान प्रति विधायक प्रतिवर्ष 100.00 लाख रूपये किया गया है।

उद्देश्य

- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय विधायक महोदय की अभिशंषा पर जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण करवाना तथा क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर करना है।

वित्त पोषण

- यह योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

विशेषताएं

- राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में लागू हैं।
- निर्माण कार्य पंचायती राज/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा/विशेष विधि के तहत गठित निगम, बोर्ड एवं अभिकरण द्वारा कराया जा सकता हैं।
- स्वैच्छिक संस्थाओं/ट्रस्ट/पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के द्वारा कार्यो के क्रियान्वयन कराने के लिये संस्था द्वारा कार्य की लागत का कम से कम 30 प्रतिशत अंश भागीदारी के रूप में देना आवश्यक हैं।
- वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत राशि के प्रस्ताव योजनान्तर्गत पूर्व में निर्मित सामुदायिक उपयोग की परिसम्पत्तियों की मरम्मत कराने हेतु प्रस्तावित किये जा सकते हैं।
- जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था हैं।

- कुछ शर्तो के साथ पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट के लिये 10.00 लाख रूपये तक की लागत की परिसम्पतियों का निर्माण कराया जा सकता हैं बशर्ते प्रस्तावकर्ता विधायक उस संस्था की कार्यकारिणी का सदस्य अथवा ट्रस्ट का सदस्य नहीं हों।
- योजना के तहत विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्यों के प्राप्त होने की दिनांक से यथा संभव 45 दिनों के अन्दर प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था की गई है।
- माननीय विधायकों द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक कुल आवंटित राशि के कार्य अभिशंषित न किये जाने पर अभिशंषा से शेष रही राशि लैप्स करने का प्रावधान किया गया है।
- पंजीकृत संस्था/गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/पंजीकृत सहकारी संस्था के द्वारा कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य कराये जाने पर कार्य की मूल लागत की कम से कम 30 प्रतिशत राशि की भागीदारी दी जायेगी। लेकिन इस प्रावधान से विद्यालय विकास समिति को उसी राजकीय विद्यालय परिसर के अन्दर विकास कार्य कराने हेतु कार्यकारी संस्था नियुक्त की जाती है तो उसे भागीदारी की राशि 30 प्रतिशत जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्रत्येक वर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिये आवंटित राशि का कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों एवं सम्बल ग्रामों के विकास कार्यों पर अनुशंषित करना अनिवार्य होगा। यदि माननीय विधायक अनुशंषा नहीं करें तो जिला कलक्टर 20 प्रतिशत तक की राशि के कार्य स्वीकृत कर सकेंगे।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले अनुमत कार्यो की सूची

- राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में सामुदायिक उपयोग में लिये जाने वाले निम्न प्रकृति के पंचायतीराज संस्था/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/राजकीय स्वामित्व के निर्माण कार्य विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निष्पादित कराये जा सकेंगेः–

1. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की मार्ग दर्शिकाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हो सकने वाले सामुदायिक उपयोग के कार्य ।
2. पेयजल के कार्य ।
3. किसी ग्राम/नगर की आबादी सीमा में सडक (ग्रेवल/मेटल/डामर/सीमेन्ट)/खरंजा एवं नाली निर्माण ।
4. शहरी क्षेत्र में सिवरेज का कार्य ।
5. (अ) चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन ।
   (ब) शिक्षण संस्थाओ के लिए भवन/कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर/अध्ययन–अध्यापन सामग्री/स्काउट सामग्री/खेल सामग्री/फर्नीचर/दरी।
   (स) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा गैर सहायता प्राप्त परन्तु मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के लिये भवन बशर्ते वे शिक्षण संस्थाये कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो ।
   (द) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा के लिये कम्प्यूटर।
6. ग्रेवल/डब्ल्यू.बी.एम./डामर/सीमेन्ट सडक के कार्य ।

7. ग्राम/शहर में तालाबों की सफाई/ डिसिल्टींग का कार्य ।
8. पारम्परिक जलस्त्रोतों के विकास के कार्य।
9. गांवों के सम्पर्क सडकों/रास्तो के लिये पुलिया/रपट का कार्य ।
10. पर्यटन स्थलों के लिए आधारभूत सुविधाओं का कार्य ।
11. पशुधन के लिये पीने के पानी की सुविधा विकसित करने का कार्य ।
12. पशु स्वास्थ्य के लिये चिकित्सालय/डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण कार्य ।
13. (अ) चिकित्सालय हेतु चिकित्सा उपकरण/एम्बूलेन्स ।
    (ब) पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते फिरते दवाखानों की व्यवस्था।
    (स) रेड क्रोस/राम कृष्ण मिशन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिये एम्बूलेन्स।
14. श्मशान/कब्रिस्तान आदि की चारदीवारी एवं सुविधायें विकसित करने का कार्य।
15. पुस्तकालयभवन/बसस्टेण्ड/धर्मशाला/विश्रामगृह/स्टेडियम/वाल्मिकीभवन /सामुदायिक भवन
16. विद्युतिकरण।
17. सार्वजनिक/सरकारी स्वामित्व के योजनान्तर्गत निर्मित भवन निर्माण के मरम्मत कार्य ।
18. चारदीवारी निर्माण ।
19. खेल मैदान/स्टेडियम/स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स हेतु खेल सामग्री
20. जनोपयोगी कार्य ।
21. अन्य योजना में स्वीकृत किन्तु राशि के अभाव मे अपूर्ण कार्य ।
22. जिला परिषदों (ग्रामीण प्रकोष्ठ)/पंचायती राज संस्थाओं हेतु फैक्स मशीन/ कम्प्यूटर।
23. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना।
24. राजस्थान सरकार के स्वीकृत अदालत भवन/कार्यालय भवन/पंचायत राज संस्थाओं के भवन निर्माण का कार्य।
25. इलक्ट्रोनिक परियोजनायें :
    (अ) सूचना फुटपाथ
    (ब) माध्यमिक विद्यालयों में हैल्थ क्लब
    (स) सिटीजन बैण्ड रेडियो
    (द) ग्रंथ सूची–डाटा बेस परियोजनायें।
26. स्थानीय निकाय में नाइट सोयल डिसपोजल सिस्टम।
27. जयपुर मुख्यालय पर सूचना केन्द्र परिसर में निर्मित होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिये स्मृति भवन व अनुसंधान केन्द्र का निर्माण ।
28. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित कॉलेज विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकठ्ठी राशि की व्यवस्था की जानी हैं। परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि विधायक की अभिशंषा पर उपयोग में ली जा सकती हैं।
29. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय/ विषय प्रारंभ करने के

लिये सम्बन्धित विद्यालय विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकट्ठी राशि की व्यवस्था की जानी हैं। परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि भी उपयोग में ली जा सकती हैं।

30. जयपुर मुख्यालय पर प्रस्तावित हज हाउस के निर्माण हेतु राज्य के सभी विधायक यदि वे चाहे तो अपने विधायक कोटे से प्रस्ताव अपने नोडल जिले के माध्यम से जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर सकेंगे ।
31. राजकीय डाक बंगलों में ए.सी. कूलर एवं पंखें ।
32. राजकीय अस्पतालों के लिए चद्दर , कम्बल एवं गद्दे ।
33. राज्य पुलिसकर्मी आवासीय भवन निर्माण का कार्य अकाल प्रभावित क्षेत्रों में श्रम मद अकाल राहत से दिये जाने की शर्त पर सामग्री मद विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जा सकेंगे ।
34. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय/उप अधीक्षक कार्यालय एवं थानों के लिये कम्प्यूटर मय लेजर प्रिंटर, स्केनर एवं फैक्स क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावर्ती व्यय)
35. उपखण्ड कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर मय प्रिन्टर व फैक्स मशीन क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावर्ती)
36. जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर मय प्रिन्टर एवं फैक्स मशीन तथा सूचना प्रमाण–पत्र क्रय किये जा सकेंगे।
37. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर व राज्य के समस्त राजकीय मेडीकल कॉलेजों के चिकित्सालयों में वेन्टीलेटर व अन्य उपकरणों की स्वीकृति हेतु अभिशंषा।
38. परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2009–10 की अनुपालना में जिन महाविद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय प्रारम्भ किए जाने हैं वहां इन संकायों के लिये आवृत्ति व्यय (वेतन–भत्ते एवं अन्य आवृत्ति व्यय) आगामी पांच वर्षो (वर्ष 2009–10 से 2014–15) तक माननीय विधायक द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में अभिशंषित किए जा सकेंगे।

योजनान्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्यो की सूची

1. अनुदान एवं ऋण ।
2. वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए सम्पत्ति ।
3. वस्तु/सामान की खरीद।
4. भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा।
5. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति ।
6. धार्मिक पूजा स्थल।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2009–10 में योजनान्तर्गत राशि रूपये 16000.00 लाख की प्राप्तियों के विरूद्ध 12601.82 लाख रूपये व्यय कर 7867 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक 18000.00 लाख रूपये की प्राप्तियों के विरूद्ध 9795.95 लाख रूपये व्यय कर 6676 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

मेवात क्षेत्रीय विकास योजना

परिचय

- अलवर एवं भरतपुर जिले का मेव बाहुल्य क्षेत्र जो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता हैं, उसके विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1987–88 से मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के विकास को गति देना तथा इस क्षेत्र के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उंचा उठाना हैं।

कार्यक्षेत्र

- यह कार्यक्रम राज्य के 2 मेव बाहुल्य जिलों यथा अलवर एवं भरतपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम अलवर जिले की 8 मेव बाहुल्य पंचायत समितियों (लक्षमणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुण्डावर, किशनगढ़बास, कठूमर, उमरेण एवं कोटकासिम) तथा भरतपुर की 3 पंचायत समितियॉ (नगर, डीग एवं कामां) में क्रियान्वित किया जा रहा है।

वित्त पोषण

- योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

कार्यों का अनुमोदन

- योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्य क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जिला स्तर से कार्य प्रस्ताव प्राप्त कर मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल की सहमति की प्रत्याशा में मेवात कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने का प्रावधान है। जिला स्तर पर इस योजना के संचालन हेतु जिला परिषद को नोडल संस्था बनाया हुआ है।
- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण, क्रियान्विती की समीक्षा एवं उसमें सुधार हेतु मार्गदर्शन देने के लिये मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल का गठन किया हुआ है। मण्डल के अध्यक्ष माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2009–10 में योजनान्तर्गत 535.70 लाख रूपये व्यय कर 93 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक योजनान्तर्गत 252.91 लाख रूपये व्यय कर 110 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना

परिचय

- राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **''ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना''** वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ करने की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में घोषणा के क्रम में लागू की गई है। योजनान्तर्गत विकास कार्यों का चयन जन समुदाय की आवश्यकता के अनुसार किया जाकर कार्य करवाये जायेंगे।

उद्देश्य

- गांव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण।
- रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन।
- सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार।

वित्त पोषण

- योजना शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है।

विशेषताएँ

- योजना केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी।
- इस योजना के तहत नवीन कार्य स्वीकृत किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में अन्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन/अपूर्ण कार्यों को इस योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा।
- इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य का वित्त पोषण निम्नानुसार होगाः–

		राज्यांश	जन सहयोग
(i)	शमशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों का निर्माण	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत
(ii)	अन्य कार्य		
	(अ) सामान्य क्षेत्र	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत
	(ब) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत

- जनसहयोग की राशि का वहन स्थानीय समुदाय/सामाजिक संगठन/गैर सरकारी संस्था/ट्रस्ट/पंजीकृत संस्था/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा किया जा सकेगा। जनसहयोग की राशि पंचायत समिति/जिला परिषद में नकद/ डिमान्ड ड्राफ्ट से जमा करायी जा सकेगी।

कार्यों के प्रस्ताव

- इस योजना के अन्तर्गत शमशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों का निर्माण प्रथम प्राथमिकता के रूप में कराये जावेंगे। इस श्रेणी के किसी भी कार्य का प्रस्ताव जिले में न होने पर ही स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी कार्य कराया जा सकता है, जिससे सामुदायिक परिसम्पत्तियों/सुविधाओं का सृजन हो एवं गांव में त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

उपलब्धियां

- योजनान्तर्गत कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा रही है।

डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

परिचय

- राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी जिलें के दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र मे आर्थिक, सामाजिक, एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डांग क्षेत्रीय विकास योजना को वर्ष 2005–06 के बजट में पुनः प्रारंभ करने की घोषणा के अनुसरण में यह योजना प्रारंभ की गयी हैं।

उद्देश्य

- दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र की आवश्यकता एवं क्षेत्र में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।
- स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यो को विकसित करने एवं उनको जीवकोपार्जन के लिये संसाधन उपलब्ध कराना।

कार्यक्षेत्र

- डांग क्षेत्रीय विकास योजना राज्य के 8 जिलो यथा सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बून्दी, बांरा, धौलपुर, भरतपुर एवं झालावाड की 22 पंचायत समितियों की 371 ग्राम पंचायतो में क्रियान्वित की जा रही है।

वित्त पोषण

योजना शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है। योजना को आवश्यक होने पर अन्य योजनाओं के साथ डवटेलिंग किया जा सकेगा।

विशेषताएं

- योजना डांग क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।
- योजनान्तर्गत प्रमुख रूप से ऐसे कार्य प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है जो राज्य के अन्य योजनाओं के तहत कवर नहीं होते है एवं स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिये लाभप्रद है।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 हेतु शिक्षा एवं स्वरोजगार के कार्य स्वीकृत किये जाएंगे।

- राज्य स्तर पर डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल का गठन माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में किया गया है जिसके माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा एवं कार्यक्रम के तहत कराये जाने वाले कार्य जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

- योजनान्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकेगा जिसमें राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियों/आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सृजन केसाथ–साथ क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित हो ।

योजनान्तर्गत नहीं कराये जाने वाले कार्य

- किसी भी पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट की स्वयं की परिसम्पतियां बनाने के लिये राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी। योजनान्तर्गत अनुदान एवं ऋण, वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए सम्पत्ति, केवल वस्तु/सामान की खरीद, भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा, व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति, धार्मिक पूजा स्थल एवं आवृतक व्यय हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

उपलब्धियां

- वर्ष 2009–10 में योजनान्तर्गत 305.99 लाख रूपये का व्यय कर 87 कार्य पूर्ण कराये गये।
- वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक 236.77 लाख रूपये व्यय कर 32 कार्य पूर्ण कराये गये है।

स्वविवेक जिला विकास योजना

परिचय

- राज्य में क्षेत्र के विकास की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने, रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु जिला कलक्टर्स के स्तर पर स्व–विवेक से निर्णय लेकर विकास कार्य कराये जाने हेतु वर्ष 2005–06 में स्व–विवेक जिला विकास योजना लागू की गई हैं।

उद्देश्य

- क्षेत्र की आवश्यकता एवं उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों में क्षेत्र में जन–आंकाक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- सामुदायिक परिसम्पतियों एवं आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।

वित्त पोषण

- योजना शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है।

विशेषताएं

- यह राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है।
- इस योजनान्तर्गत जिला कलक्टर्स द्वारा क्षेत्र की आवश्यकता, जन आकांक्षाओं एवं आपाताकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विकास कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।
- इस प्रकार इस योजनान्तर्गत एक तरफ आपात कालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिये जिला कलक्टर के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे तो दूसरी तरफ क्षेत्र में जन आकांक्षाओं के अनुरूप परिसम्पत्तियां एवं आधारभूत भौतिक सामुदायिक सम्पत्तियां सृजित हो सकेंगी।
- योजना के फलस्वरूप क्षेत्र के विकास में समरूपता भी लायी जा सकेगी।
- स्वविवेक जिला विकास योजना के तहत बाढ/अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सहायता हेतु जिला कलक्टर्स द्वारा योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

उपलब्धियां

- योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में 533.14 लाख रूपये का व्यय कर 178 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2010–2011 में माह दिसम्बर, 2010 तक 889.28 लाख रूपये व्यय कर 371 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

परिचय

- राजस्थान राज्य के दक्षिणी–मध्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अलावा वह क्षेत्र जो पहाडियों से घिरा हुआ हैं तथा जहां अन्य पिछडी जाति एवं अल्पसंख्यक लोगों का अधिवास हैं को मगरा क्षेत्र कहा जाता है। मगरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ–साथ इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2005–2006 में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया हैं।

उद्देश्य

- क्षेत्र की आवश्यकता एवं क्षेत्र में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।
- स्थानीय एवं अन्य लोगों की जनभागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यो को विकसित करने एवं उनके जीवकोपार्जन की परियोजना लागू करना।

कार्यक्षेत्र

- मगरा क्षेत्र में राज्य के 5 जिलों यथा अजमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, राजसमंद एवं पाली की कुल 14 पंचायत समितियों के 1426 ग्रामो को सम्मिलित किया गया हैं।

वित्त पोषण

- यह शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित योजना है।

विशेषताएं

- योजना मगरा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।
- इस योजना का आवश्यक होने पर अन्य योजनाओं के साथ डबटेलिंग किया जा सकेगा।
- योजना के तहत जन सहयोग से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जा सकेगा।
- इस योजनानतर्गत प्रमुख रूप से ऐसे कार्य प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जावेगी जो राज्य की अन्य योजनाओं के तहत कवर नहीं होते हैं एवं लोगों के आर्थिक उन्न्यन के लिये लाभप्रद हैं।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

- योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकेगा, जिसमें किसी राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियों/आधारभूत सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार अवसर सृजित हो ।

योजनान्तर्गत नहीं कराये जाने वाले कार्य

- किसी भी पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट की स्वयं की परिसम्पतियां बनाने के लिये राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी। इस योजनान्तर्गत अनुदान एवं ऋण, वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए सम्पत्ति, वस्तु/सामान की खरीद, भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा, व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति, धार्मिक पूजा स्थल एवं आवृतक व्यय हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी ।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2009–10 मे 423.35 लाख रूपये के व्यय से 69 कार्य पूर्ण कराये गये।
- वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक 196.04 लाख का व्यय किया गया एवं 50 कार्य पूर्ण कराये गये।

अमृता देवी विश्नोई योजना

- दिनांक 01.04.2008 से संपूर्ण प्रदेश में लागू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसका वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, को उसकी मांग के अनुसार एक वर्ष में 100 दिवस का गारन्टीशुदा रोजगार दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण भी इस योजना का उद्देश्य है।
- अमृता देवी विश्नोई योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण करने के प्रयोजन में एक अतिरिक्त प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का मुख्य कार्य घर परिवार को संभालना है परन्तु जो महिलाएं अपने सैकडों कार्यों के अतिरिक्त अपने परिवार, अपने बच्चों के लिये 100 दिवस कडी मजदूरी करती है, राज्य सरकार द्वारा इन महिला श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से अमृता देवी विश्नोई योजना प्रारम्भ की गई है।

पात्रता

- योजना के तहत केवल वही महिलाएं पात्र होगी जो कि एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत 100 दिवस का अकुशल श्रमिक का रोजगार पूर्ण करेंगीं। वित्तीय वर्ष की गणना वर्ष 2007–08 से की जावेगी।
- उक्त रोजगार प्राप्त करने का प्रमाण जॉबकार्ड में हुये इन्द्राज से किया जावेगा।
- उक्त जॉबकार्ड अनुसार उस वर्ष में परिवार के किसी ओर सदस्य ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, राजस्थान के तहत रोजगार प्राप्त नहीं किया हो।

चयन

- योजना के तहत पात्र महिलाओं की सूची नरेगा के रिकार्ड के आधार पर ग्राम सेवक व ग्राम रोजगार सहायक द्वारा तैयार कर संयुक्त हस्ताक्षरों सहित कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी।
- कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में मूल रिकार्ड अनुसार इस सूची का सत्यापन कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

देय लाभ

- पात्र महिलाओं को रूपये 250/– के मूल्य के घाघरा–ओढनी/साडी उपलब्ध करवायी जा रही है।

वित्तीय प्रबन्धन

- योजना का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से किया गया है।

उपलब्धि

- योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में माह दिसम्बर, 2009 तक रूपये 111.54 लाख की राशि जिलों को जारी की गई है।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर, 2010 तक रूपये 154.44 लाख की राशि जिलों को जारी की गई है।

सामाजिक अंकेक्षण

- सामाजिक अंकेक्षण अथवा लोक अंकेक्षण किसी विशेष परियोजना अथवा कार्यों से संबंधित सभी लेखों की जॉच करने के साथ–साथ कार्य की गुणवत्ता, विशेष उपलब्धियां, कार्यों, लाभान्वितों और कार्यस्थल आदि का अंकेक्षण है। वित्तीय अंकेक्षण में धन के सही उपयोग का निरीक्षण होता है, जबकि सामाजिक अंकेक्षण से धन के सही उपयोग के साथ यह भी देखा जाता है कि उस धन के खर्च का क्या प्रभाव हुआ है। सामाजिक अंकेक्षण व वित्तीय अंकेक्षण एक दूसरे के पूरक है। सामाजिक अंकेक्षण एवं वित्तीय अंकेक्षण कार्य की सही तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं।
- विभाग द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का कार्य वर्ष 1996–97 से प्रारम्भ किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 24.09.1996 को एक परिपत्र जारी किया गया। इसकी उपयोगिता को देखते हुये सामाजिक अंकेक्षण निर्देशिका जारी की गई है। सामाजिक अंकेक्षण की निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार योजनाओं का अंकेक्षण वर्ष में 2 बार (वित्तीय वर्ष के प्रथम व अंतिम त्रैमास में) किया जाता है।
- सामाजिक अंकेक्षण सबको साथ लेकर चलने की सफल सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें न केवल विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ती है, बल्कि भ्रष्टाचार को कम करने में बहुत ही अहम् भूमिका सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से निभाई जा सकती है। सामाजिक अंकेक्षण लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक अच्छा औजार है, जो गरीबी और भ्रष्टाचार तथा भुखमरी को दूर करने में सहायक बन सकता है।
- राज्य में वर्ष 2009–10 में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय का गठन किया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण की परिधि में योजनाएं व कार्यक्रम

- समाजिक अंकेक्षण पंचायत द्वारा क्रियान्वित समस्त योजनाएं यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना राजस्थान, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जलग्रहण विकास, टीएफसी, एसएफसी, एमपीएलएडी, एमएलएएलएडी, डांग, मगरा, मेवात, बीआरजीएफ, बीएडीपी, टोटल सैनीटेशन कैम्पियन, स्वयं की आय, गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय आदर्श गॉव योजना इत्यादि के अन्तर्गत कराये गये है।
- व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जैसे एसजीएसवाई, इंदिरा आवास योजना, डीपीआईपी आदि।

ग्राम स्तर की सेवाओं का सामाजिक अंकेक्षण

- आंगनबाडी
- ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र
- पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र
- विद्यालय

- मिड–डे मील
- उचित मूल्य की दुकान
- ग्रामीण पेयजल योजनाएं
- कृषि विस्तार कार्यकर्ता (AEW)

सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया
अंकेक्षण कब किया जावेगा ?

- वर्ष में 4 ग्राम सभाएं आयोजित करना अनिवार्य है। वर्ष में योजनाओं का अंकेक्षण 2 बार होगा (वित्तीय वर्ष के प्रथम व अंतिम त्रैमास में)। विकास अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण का कलेण्डर इसी अनुरूप जारी करेंगे। यह सुनिश्चित कर लें कि एक दिन में उतनी ही पंचायतों की बैठक रखी जावे जिनमें पंचायत समिति स्तर का एक अधिकारी बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित रह सके।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, राजस्थान में प्रत्येक कार्य पर बनाई गई सतर्कता समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही व समय–समय पर निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं संबंधी की गई कार्यवाही का ब्यौरा सामाजिक अंकेक्षण हेतु बुलाई गई ग्राम सभा के समक्ष रखा जावेगा।
- सामाजिक अंकेक्षण हेतु अगले वर्ष का कलेण्डर फार्म–। में माह फरवरी में विकास अधिकारी द्वारा तैयार कर पंचायत समिति की बैठक में अनुमोदन करवाकर जारी किया जावेगा। इसकी सूचना सामाजिक अंकेक्षण मंच के अध्यक्ष को भी सीधी भेजी जावेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण संबंधी ग्राम सभाओं का कलेण्डर समय पर जारी हो जाता है।
- कलेण्डर तैयार करते समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि ग्राम सभा में पैरा–3 में अंकित योजनाओं व गतिविधियों का पिछले 6 माह के कार्यों का अंकेक्षण हो जावे।

सामाजिक अंकेक्षण कैसे किया जावेगा ?

- यद्यपि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है लेकिन ग्राम सभा एक दिन में समस्त रिकार्ड इत्यादि नहीं देख सकती इसलिये व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक सामाजिक अंकेक्षण मंच (Social Audit Forum) का गठन किया जावे।
- सामाजिक अंकेक्षण मंच में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होंगे जिनमें से दो सदस्य महिलाएं हों, जो सामान्यतः :–
    - विवाद रहित व्यक्ति तथा सर्वमान्य प्रतिष्ठित ग्रामवासी हो। इन मंचों के अध्यक्ष संबंधित पंचायत क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य होंगे।
    - सेवानिवृत राजकीय कर्मी हो (अध्यापक, लेखाकार, फौजी, महिला अध्यापक/लेडी सुपरवाईजर/आशा/महिला वार्ड पंच/सक्रिय किशोर–बालिका आदि को प्राथमिकता)।
    - शिक्षित हो।

- सामाजिक अंकेक्षण मंच में एक सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का भी होना अनिवार्य है।

- इस अंकेक्षण मंच में से दो सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण कार्यकर्ता जिनमें भी यथा संभव एक महिला हो, को(वोलियन्टर्स)के रूप में नामित किया जायेगा जो कि :–
  - माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हो।
  - सेवानिवृत राजकीय कर्मी हो, जिसमें लेखाकार, लिपिक, अध्यापक/अध्यापिका /महिला पर्यवेक्षक या आशा/महिला पंच एवं फौजी को प्राथमिकता दी जायेगी।
  - विवाद रहित प्रतिष्ठित नागरिक हो।
- इन मंचों का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। ग्राम सभा सचिव को मनोनीत करेगी।

प्रगति

- वर्ष 2010–11 में प्रथम छमाही का समाजिक अंकेक्षण कराया जा चुका है।
- सामाजिक अंकेक्षण की गाईडलाइन्स तैयार की जा रही है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना
(डी.पी.आई.पी–II)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तिय वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना लागू करने की घोषणा की गई। जिसके क्रम में **''राजस्थान रूरल लाईवलीहुड परियोजना''** के प्रस्ताव तैयार कर विश्व बैंक को प्रस्तुत किये गये। विश्व बैंक द्वारा परियोजना स्वीकृत कर दी गई है। प्रस्तावित परियोजना से राज्य के 4 लाख बीपीएल परिवारों को स्थाई जीविकोपार्जन के संसाधन एवं आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाकर इनका आर्थिक स्तर गरीबी रेखा से उपर उठाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना गतिविधियों की क्रियान्विति माह मई–2011 से प्रस्तावित है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य

(1) 4 लाख चयनित बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाना (आय में स्थाई वृद्धि)।

(2) चयनित परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोडते हुये क्षमता वर्धन के माध्यम से सशक्तिकरण।

(3) गठित स्वयं सहायता समूहों का बैंक साख हेतु क्षमता वर्धन।

परियोजना लागत

प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत रू. 870 करोड़ (बैंक ऋण के अतिरिक्त) आंकलित की गई है। आंकलित लागत के स्त्राोत निम्न प्रकार हैः–

अ	विश्व बैंक (आई.डी.ए.) हिस्सा	रू. 769.90 करोड़
ब	राज्यांश	रू. 100.10 करोड़
कुल परियोजना लागत (अ+ब)		**रू. 870.00 करोड़**

परियोजना की विशिष्टतायें

1. स्वयं सहायता समूहों के साथ– साथ उनकी उच्च स्तरीय संस्थाओं का गठन।
2. एक से अधिक स्वरूप में वित्तीय सहायता।
3. अनुदान के स्थान पर बचत एवं साख की पद्धति ज्यादा सफल।
4. आजीविका संसाधनों का विकेन्द्रीयकरण।
5. सामुदायिक एवं आजीविका सुरक्षा।
6. राज्य स्तर से गांव स्तर तक समर्पित संस्थापन।
7. समुदाय की लागत आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण।
8. समुदाय से समुदाय का क्षमतावर्धन।
9. दक्षतावर्द्धन एवं सुनिश्चित रोजगार।
10. प्रभावी संचालन :–
    (अ) जी.आई.एस. आधारित सीएमआईएस सिस्टम।
    (ब) आईसीटी आधारित मोबाईल ट्रेकिंग।
    (स) टेली के द्वारा लेखा एवं वित्तीय प्रोसेस मोनेटरिंग।

अन्य योजनाओं के साथ कनवर्जेन्स

परियोजना के अन्तर्गत इस बिन्दु पर ध्यान दिया जायेगा कि परियोजना क्षेत्र में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिये संचालित योजना का लाभ भी गरीबों को पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके, जैसे कि एन.आर.एच.एम., सर्व शिक्षा अभियान, टी.एस. सी., नरेगा एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनायें जो कि गरीबी उन्मूलन से सीधा संबंध रखती है।

परियोजना क्रियान्वयन

परियोजना का क्रियान्वयन परियोजना सहयोग दल (पी.एफ.टी) के माध्यम से करवाई जावेगी। परियोजना सहयोग दल गरीबों के स्वयं सहायता समूहों का गठन, क्षमता वर्धन, जीविकोपार्जन गतिविधियों के लिये तकनीकी सहायता, समूहों की गुणवत्ता एवं स्थायित्व, समूहों के उत्पादों की विपणन व्यवस्था, समूहों का फेडरेशन एवं प्रोडूसर ओर्गेनाईजेशन के गठन एवं विकास इत्यादि कार्य आवश्यकतानुसार करवाये जायेगे।

परियोजना का क्षेत्र

परियोजना राज्य के निर्धनतम 17 जिलों (बांसवाडा, बारां, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड, करौली, कोटा, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं उदयपुर) में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का गठन

राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लाइवलीहुड से समबन्धित समस्त कार्यक्रमो के प्रभावी संचालन हेतु राज्य मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 29.9.2010 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (सोसायटी) के गठन का अनुमोदन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके अध्यक्ष, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इसके उपाध्यक्ष तथा मुख्य सचिव परिषद के सचिव है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्धियॉ

(i) परियोजनान्तर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु आवश्यक सोसियल एसेसमेंट, ट्रायबल डवलपमेंट फ्रेम वर्क एवं जेण्डर एक्सन प्लान अध्ययन विकास संस्थान के माध्यम से तैयार करवाये जाकर इनको परियोजना रिपोर्ट में समाविष्ट किया गया है।

(ii) एनवायरमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की विस्तृत रिपोर्ट ''दी एनर्जी एण्ड रिसोर्स इन्स्टीट्यूट'' (टेरी) से तैयार करवाकर उसके प्रावधान भी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन प्लान में शामिल किये गये है।

(iii) परियोजना क्रियान्वयन हेतु विस्तृत रिर्पोट तैयार करने की गतिविधि के अन्तर्गत, प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन (पीआईपी), वित्तीय, प्रोक्योरमेंट, कम्यूनिटी ऑपरेशनल एवं एच.आर. मेन्युअल के ड्राफ्ट तैयार कर विश्व बैंक को प्रस्तुत किये गये जिन पर विश्व बैंक द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विश्व बैंक बोर्ड की बैठक दिनांक 11.1.2011 में परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

प्रस्तावित क्रियान्वयन

परियोजना हेतु तैयार किये गये प्रोजेक्ट इम्पलीमेटेशन प्लान (PPI) में परियोजना अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों का वर्षवार कार्यक्रम निम्न प्रकार तैयार किया गया है। विश्व बैंक के साथ हुये नैगोशियेशन के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन माह मई–2011 से प्रस्तावित है:–

परियोजना गतिविधियों के चरण							
क्रम संख्या	**गतिविधि**	**प्रथम वर्ष**	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**चतुर्थ वर्ष**	**पंचम वर्ष**	**कुल**
1	जिला			17			**17**
2	पी.एफ.टी. संस्थापन	34	76				**110**
3	ग्राम प्रवेश (प्रतिशत)	18	65	17			**100**
4	परियोजना में स्वयं सहायता समूह	2550	19398	9684	1368		**33000**
5	क्लस्टर डवलपमेन्ट आर्गेनाईजेशन	340	1123	646	91		**2200**
6	पी.एफ.टी. एरिया फैडरेशन			17	38		**55**
7	उत्पादक संघ			8	9		**17**
8	कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण	680	5100	5100	6120		**17000**
9	ग्रुप लिंकड विद् बैंक्स		1785	13579	6779	958	**23100**

मिटीगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर)

परियोजना का परिचय

राज्य सरकार द्वारा जोधपुर संभाग के छः जिलों में अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) की सहायता से पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना, (Mitigating poverty in western Rajasthan) **MPOWER** परियोजना स्वीकृत की गई है । राज्य के जोधपुर संभाग के बायतु (बाडमेर), सांकडा (जैसलमेर), बाप (जोधपुर), सांचोर (जालोर), बाली (पाली) तथा आबू रोड (सिरोही) पंचायत समितियों में यह परियोजना संचालित की जा रही है। इन पंचायत समितियों में राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किये गये गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले शत–प्रतिशत बीपीएल परिवार परियोजना के लक्षित समूह होंगे। परियोजना की प्रस्तावित अवधि छः वर्ष है। इस परियोजना से 245 ग्राम पंचायतों के 1040 ग्रामों के लगभग एक लाख परिवारों को सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

परियोजना लागत

परियोजना की लागत 415 करोड़ रूपये हैं जिसमें आईफेड का 124 करोड़ रूपये, राज्य सरकार का 87.50 करोड़ रूपये, लाभान्वितों का अंशदान 10.50 करोड़ रूपये, बैंकों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को ऋण के रूप में 180 करोड़ रूपये एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट से अनुदान के रूप में 13 करोड़ रूपये सम्मिलित हैं।

परियोजना का मूल उद्देश्य

गरीब परिवारों के स्थाई आजीविका के अवसरों का सृजन करना ताकि गरीब परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके। इस परियोजना के विशिष्ठ उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

अ. अकाल की सम्भावनाओं को कम करना एंव जल सुरक्षा मुहैया करना।

ब. आय में वृद्धि एवं रोजगार सृजन।

स. बाजार की आवश्यकतानुसार उत्पादकता में सुधार।

द. उत्पादकों की उनके उत्पादनों के उचित मूल्य प्राप्ति हेतु बाजार तक पहुंच तथा इस हेतु Backward एवं Forward Linkages की स्थापना।

य. महिलाओं पिछड़ों एवं निराश्रितजनों को मुख्य धारा में लाने हेतु उनका सशक्तिकरण करना।

र. राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध राशि का उपयोग परियोजना से समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित कर सुनिश्चित करना।

इस योजनान्तर्गत आजीविका गतिविधियों के साथ–साथ सामुदायिक आधारभूत विकास (Infrastructure Development) कार्य हेतु रूपये 104 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसका उपयोग सूखे के प्रभाव को कम करने, प्रचलित आजीविका कौशल को संरक्षित करने एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से मेंड बंदी, खेत तलाई, मृदा सुधार हेतु गतिविधियां, उधानिकी, कुओं का निर्माण, चारागाह विकास, चारे के प्रसंस्करण एवं भण्डारण तथा उत्पादकता एवं विपणन व्यवस्था हेतु सी.एफसी. (Common Facility Centre) निर्माण आदि कार्यों हेतु किया जावेगा।

परियोजनान्तर्गत विशिष्ट नवाचार

अ. परियोजना के संसाधनों से प्रेरक राशि उपलब्ध कराने के साथ– साथ क्षेत्र में क्रियान्वित होने वाली अन्य सरकारी योजनाओं विशेष रूप से राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के साथ सामंजस्य (Convergence) स्थापित कर उपलब्ध कोष एवं कार्यों को डोवटेल किया जावेगा, जिससे परियोजना संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि सम्भव होगी।

ब. परियोजना के दौरान गांव के सभी वर्गों में समानता के मुद्दों को महत्व दिया जाएगा।

स. स्वयं सहायता समूहों को क्रय–विक्रय समूहों में (मार्केटिंग ग्रुप्स्) विकसित कर उन समूहों को लघु उद्यमी के रूप में विकसित किया जावेगा। इस प्रकार परियोजना क्षेत्र में सामाजिक सशक्तिकरण को आर्थिक सुदृढ़ीकरण में परिवर्तित किया जाएगा।

परियेाजना की उपलब्धियां

- बैस लाईन सर्वे किया जा चुका है।
- सभी ब्लॉक में RIM सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

संचालन समितियां

- राज्य परियोजना संचालन समिति] (SPSC) परियोजना संचालन समिति (PSC) एवं जिला परियोजना संचालन समितियों (DPCC) का गठन किया जाकर नियमित बैठके करवाई जा रही है।
- परियोजना की वेबसाईट विकसित की जा चुकी है। (**www.mpowerraj.in**) तथा नियमित प्रविष्टियां दर्ज करवाई जा रही है।
- परियोजना कार्मिकों की दो दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण तथा **M&E** की कार्यशाला सम्पन्न करवाई जा चुकी है।

- सभी परियोजना प्रबन्धकों को हरिशचन्द्र माथुर प्रशिक्षण केन्द्र में राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान वितीय एवं लेखा नियमों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है।
- IFAD Procurement Guideline की जानकारी देने एवं वितीय प्रबन्धन हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला करवाई जा चुकी है।
- सूचना एव संचार प्रोद्योगिकी के तहत CMIS का कार्य परियोजना की सहभागी संस्था सर रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है।
- दिनांक 25.7.10 से 27.7.10 तक परियोजना की प्रारम्भिक कार्यशाला (Start-up Workshop) सम्पन्न करवाई जा चुकी है।
- कुल छः विकास खण्डों में 14 गैर सरकारी संगठनों का चयन हो चुका है एवं FNGOs द्वारा कार्मिकों का पदस्थापन भी किया जा चुका है। जैसलमेंर जिले के सांकडा विकास खण्ड में Project Facilitation Teem (PFT) पैटर्न पर कार्मिको का चयन कर कार्य प्रारम्भ करवाया जा चुका है तथा FNGO के माध्यम से 939 गांवों में एवं PFT के माध्यम से 101 गांवों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- समुदायिक नियमावली विकसित की गई है ।
- वित्तीय नियमावली का प्रारूप तैयार कर राज्य परियोजना संचालन समिति (SPSC) मे रखा गया जिसे प्रशासनिक विभाग से विस्तुत समीक्षा हेतु ग्रामीण विकास विभाग मे भिजवाया जा चुका है तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा सुझाये गये सुझावो अनुसार संशोधन कर पुनः ग्रामीण विकास विभाग को भिजवाया जा चुका है ।
- राज्य परियोजना संचालन समिति (SPSC) की प्रथम बैठक का आयोजन 13.09.2010 को किया जा चुका है ।
- एमपॉवर परियोजना में चयनित गैर सरकारी संगठनो को महानरेगा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को परियोजना क्षेत्र में संचालित करने हेतु FNGO को कार्यक्रारी संस्था (Executive Agency) राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जा चुका है ।

बुनियादी सामुदायिक संस्थाओं का सशक्तिकरण

- दक्ष प्रशिक्षकों के दो समूहों का (Batches) प्रशिक्षण पूर्ण करवाया जा चुका है ।
- दिनांक 10–12 जून–2010 को FNGO के स्टाफ का तीन दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण सम्पन्न करवाया जा चुका है ।
- परियोजना क्षेत्र मे माह दिसम्बर–2010 तक कुल 1379 स्वंय सहायता समूहो का गठन किया जा कर उन्हे प्रशिक्षण करवाया जा रहा हैं तथा स्वंय सहायता समूह के सदस्यो को प्रबन्धन पर शैक्षणिक भ्रमण (Exposure visit) पर भी भेजा जा रहा है।
- PRA/PLA एवं ग्राम योजना (Village Planning) हेतु कुल 6 (Batches) का प्रशिक्षण करवाया जा चुका है ।
- स्वंय सहायता समूह की अवधारणा पर परियोजना समन्वयक, टीम लीडर एवं CF के तीन (Batches) का प्रशिक्षण करवाया जा चुका है यह प्रशिक्षण SRTT की नोडल एजेन्सी CMF के माध्यम से करवाया गया है ।
- स्वंय सहायता समूह Modules (TOT) पर तीन Batch मे का प्रशिक्षण CFs को दिया जा चुका है ।

- स्वंय सहायता समूहों के लिये वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को बढावा देने के लिये एवं बैंकर्स की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु एक राज्य स्तरीय बैंकर्स कार्यशाला करवाई जा चुकी है ।
- आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्य प्रगति पर है।
- स्वंय सहायता समूहों के लिये वितीय सेवाओं की उपलब्धता को बढावा देने के लिये एवं उनकी साख को सुनिश्चित करने हेतु बैंकर्स के साथ वार्ता कर एक विकास खण्ड बाप हेतु यूकों बैंक एवं अन्य पांच विकास खण्डों हेतु स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के साथ शीघ्र ही अनुबन्ध किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- माह दिसम्बर 2010 तक 1379 स्वंय सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है तथा उनमें से 263 समूहों के खाते बैंक में खोले जाकर उन्हें बैंक से जोडा जा चुका है तथा शेष हेतु प्रयास जारी है।

आजीविका

- परियोजना क्षैत्र में विभिन्न उत्पादों (Trade) के तहत सिलाई मशीन ऑपरेटर, स्पिनिंग ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड एवं कम्पयुटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिलवाये जाने हेतु माह दिसम्बर 2010 तक 258 युवाओं को प्रशिक्षण में भेजकर प्रशिक्षित किया गया है।
- कुल 123 युवाओं को प्रशिक्षण उपरान्त विभिन्न संस्थाओं मे नौकरी दिलवाई जा चुकी है।
- विभिन्न उत्पादों हेतु प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान करवाई जा रही है तथा RMOL मार्गदर्शिका अनुसार चयनित संस्थाओं में युवाओं को प्रशिक्षण करवाये जाने का कार्य प्रगति पर है तथा वितीय वर्ष 2010–11 की समाप्ति तक कुल 1200 युवाओं को प्रशिक्षित करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
- परियोजना क्षेत्र में कुल 33 फसल प्रदर्शन करवाकर किसानों की आजीविका बढ़ाने के प्रयास किय गये है।
- परियोजना क्षेत्र में कुल 60 पशु टीकाकरण कैम्प्स आयोजित किये जा चुके हैं।

सामुदायिक आधारभूत विकास कोष

- आजीविका कौशल को स्थिर करने एवं उत्पादकता मे वृद्धि करने हेतु परियोजना क्षेत्र के 330 गांवो की विकास योजना तैयार कर उनके 20 आजीविका आधारित सामुदायिक आधारभूत विकास गतिविधियां जिसमें चारागाह विकास एवं खडीन निर्माण आदि सम्मिलित है, की पहचान की जा चुकी है।
- व्यक्तिगत लाभ (केटेगरी–IV) के कार्यो की पहचान कर कुल 18 करोड रुपये के कार्य महानरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स कर करवाया जाने हेतु महानरेगा की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करवाया गया है।

वितीय प्रगति

परियेाजना हेतु वर्ष वार बजट आवंटन एवं किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः–

(रूपये लाखों में)

क्रम संख्या	वर्ष	बजट प्रावधान	संशोधित प्रावधान	व्यय राशि		
				परियोजना कोष	एस.आर.टी.टी.	कुल
1	08-09	0.50	0.50	2.42	-	2.42
2	09-10	839.00	690.00	668.40	20.00	688.40
3	10-11	1400.00	850.00	726.00	20.93	747.19
	कुल	**2239.50**	**1540.50**	**1397.08**	**40.93**	**1438.01**

बायोफ्यूल प्राधिकरण–राजस्थान

परिचय

- बायो–फ्यूल ईंधन ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों के रूप में ऊभर कर आया है, जिसके द्वारा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। डीजल के विकल्प के रूप में बायो–फ्यूल ईंधन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। राजस्थान की बंजड़ भूमि में रतनजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती के द्वारा बायो–फ्यूल के उत्पादन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2005–06 में माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में ''बायो–फ्यूल मिशन'' का गठन किया गया। मिशन के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में बायो–फ्यूल पॉलिसी घोषित कर अलग से बायो–फ्यूल प्राधिकरण (BFA) का गठन किया गया है। राज्य के 12 जिले (बारा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमन्द, सिरोही, उदयपुर एवं प्रतापगढ़) रतनजोत एवं अन्य समकक्ष तैलिय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए है।

उद्देश्य

- बायोफ्यूल प्राधिकरण का उद्देश्य रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती, अनुसंधान प्रसंस्करण, विपणन और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। इससे संबंधित क्षैत्र में बंजर भूमि का विकास होगा तथा आय, रोजगार एवं औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी, ग्रामीण क्षैत्र में व्याप्त गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी तथा राज्य का चहुँमुखी विकास संभव हो सकेगा।

मुख्य बिन्दु

- जिले में उपलब्ध काश्त योग्य बंजड भूमि का न्यूनतम 70 प्रतिशत भाग बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पंचायत, कृषि सहकारी समिति एवं पंजीकृत समिति एवं ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति को आवंटित की जावेगी। जिसमें बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जावेगी। शेष काश्त योग्य बंजडभूमि, अधिकतम 30 प्रतिशत भाग, भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत निजी कम्पनियों एवं राजकीय उपक्रमों को आवंटित करने का प्रावधान है।

- उन राजकीय उपक्रम एवं निजी कम्पनियों को प्राथमिकता (preference) दी जावेगी जिसमें बायो–फ्यूल हेतु रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती के साथ–साथ निम्न कार्य किया जावेगा –
  - प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
  - बायो डीजल रिफाईनरी की स्थापना
  - पैकेज ऑफ प्रेक्टिस हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य
  - उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज के विकास हेतु नर्सरी स्थापना
  - रतनजोत, करंज एंव अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती
  - बायो–फ्यूल उद्योग में रोजगार एवं कृषि कार्यो में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जावेगा

- जिले के निर्धारित क्षेत्र में बायो–फ्यूल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादित रतनजोत की खरीद की जावेगी।
- राजफेड द्वारा रतनजोत की 9/– रूपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है।
- वित्त विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 135 दिनांक 09.03.08 के द्वारा रतनजोत, क्रूड बायोडीजल एवं 100 प्रतिशत बायो डीजल (B-100) को VAT से मुक्त कर दिया गया है।

उपलब्धियां

- चिन्हित 12 जिलों के कलक्टर्स द्वारा कुल 41127 हैक्टेयर बंजड़ भूमि चिन्हित की गई हैं। जिसमें से 12858.50 हैक्टेयर भूमि आंवटित की जा चुकी हैं। 8436.95 हैक्टेयर भूमि 941 स्वयं सहायता समूहों को (बीपीएल परिवारों के) तथा 4421.56 हैक्टयर 418 ग्राम पंचायतों को रतनजोत की खेती हेतु गैर खातेदारी आधार पर आंवटित की जा चुकी है।
- भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 और 2006–07 में क्रमशः रू 225 लाख व रू. 500 लाख कुल 725.00 लाख रतनजोत पौधारोपण हेतु आंवटित किये गये थे। राशि से जिलो में रतनजोत के पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2010 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य (पौध तैयार करने का)	उपलब्धियॉ (पौध तैयार करने की)	पौधारोपण	राशि का उपयोग
2006–07	75.00	66.00	61.00	191.80
2007–08	174.00	147.81	134.01	292.80
2008–09	38.85	46.63	46.63	124.50
2009–10	30.75	9.94	6.83	25.86
2010–11 (दिसम्बर, 10तक)	22.10	9.21	9.21	18.45

- भारत सरकार द्वारा राजसमन्द जिले के कुम्भलगढ़ खण्ड में तथा बांसवाड़ा जिले के गढ़ी खण्ड में रतनजोत के मॉडल के रूप में एक पायलेट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत पौधारोपण का कार्य चल रहा है। इस परियोजना में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं शुष्कवन अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर का तकनिकी सहयोग लिया जा रहा है।
- वर्ष 2011–12 से रतनजोत के पौधारोपण का कार्य नरेगा के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु आगामी वर्ष की कार्य योजना में प्रावधान करने के निर्देश जारी कर दिये गये है।

राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड

- राज्य बंजरभूमि विकास, बंजर भूमि विकास से संबंधित सभी विभागों, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार में समन्वय स्थापित कर बंजर भूमि पर एकीकृत रूप से जल एवं भू–संरक्षण कार्य, सामाजिक वानिकी, चारागाह विकास व बायोफ्यूल गतिविधियों हेतु समुचित रूप से दीर्घकालीन योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करने एवं बंजर भूमि पर किए वृक्षारोपण से प्राप्त उत्पादों के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है।

- **बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 14.10.2009 को आयोजित हुई जिसमें :–**
-

1. राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि का श्रेणीवार (पंचायत भूमि, चारागाह भूमि, राजस्व भूमि, वनभूमि, अनाधिकृत कब्जे वाली बंजर भूमि इत्यादि) एवं पंचायत समिति अनुसार विवरण जिला कलक्टर्स द्वारा तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करानें।
2. राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि का चिन्हिकरण कर उसको अन्य योजनाओं के साथ विकसित करनें,।
3. राज्य में विदेशी बबूल को जड से उखाडकर कोयला बनाने पर पाबन्दी लगाने जैसे निर्णय लिए गए है।

बिन्दु संख्या 3 की क्रियान्विति हो चुकी है। बिन्दु संख्या 1 व 2 की क्रियान्विति की जा रही है।

निगरानी तंत्र

परिचय

- विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं क्षेत्रीय विकास के असंतुलन को दूर करने हेतु केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनायें उनके लिये निर्धारित किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जावे, जिससे ग्रामीण गरीबों एवं कम विकसित क्षेत्रों को पूरा लाभ मिल सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सम्पूर्ण निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

मासिक प्रगति रिपोर्ट

- विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न याजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्टों का संकलन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर किया जा रहा है। पंचायत समितियां मासिक प्रगति सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्राप्त कर उसके संकलन के उपरान्त जिला परिषद् को प्रेषित करती हैं। जिला परिषदों द्वारा प्रगति संकलित कर सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभारियों को प्रेषित की जाती है। कार्यक्रम प्रभारियों से प्राप्त प्रगति के आधार पर मुख्यालय स्थित मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन अनुभाग द्वारा राज्य स्तर पर सभी योजनाओं की योजनावार एवं जिलेवार इकजाई प्रगति के प्रपत्र तैयार कर उच्च अधिकारियों को गत वर्ष से तुलनात्मक स्थिति मय समीक्षात्मक टिप्पणी के प्रस्तुत किये जाते हैं। उक्त प्रगति के आधार पर जिन जिलों की प्रगति कम है, उन्हें प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव महोदय की ओर से अ0शा0 पत्र प्रेषित कर आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम प्रभारियों द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति निर्धारित प्रपत्रों में मासिक/त्रैमासिक भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को समीक्षा हेतु प्रेषित की जाती है।

आन–लाईन निगरानी

- जिलों द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाओं की प्रगति ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाईट पर ऑनलाईन किये जाने से मासिक प्रगति प्रतिवेदनों की रिपोर्टिंग की गुणवत्ता एवं समय बद्धता में सुधार हुआ है तथा योजनाओं की नियमित समीक्षा को आधार प्रदान हुआ है। इसके अतिरिक्त विस्तृत एम.आई.एस. हेतु राज्य योजनाओं के प्रपत्रों में आवश्यकता अनुसार संशोधन करते हुए जिलों से आन–लाईन प्रगति प्राप्त करने हेतु साफ्टवेयर तैयार किया जाकर ऑनलाईन प्रगति प्राप्त की जा रही है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र/लेखा परीक्षा रिपोर्ट

- विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिलों को दी जाने वाली राशि की रिलीज के लिये अपनाई गई कार्यविधि में यह निर्धारित किया गया है कि जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) इस

आशय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिये किया गया है जिसके लिये ये स्वीकृत की गई थी और निधियों को अन्यत्र नहीं लगाया गया है। दूसरी और परावर्ती किश्तों की रिलीज के लिये लेखों तथा रिपोर्टों की लेखा परीक्षा एक पूर्व शर्त है। जिला परिषद को सलाह दी गई है कि वे उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता सुनिश्चित करें। इन दस्तावेजों की मांग होने से निधियों के अन्यत्र उपयोग, यदि कोई हो पर भी रोक लगती है।

क्षेत्र दौरे

- राज्य स्तर पर विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिले एवं गांवों का नियमित दौरा करने हेतु जिलों का आवंटन किया गया है। अधिकारियों को उनके आवंटित जिलों में प्रत्येक माह में दो दिवसीय नियमित क्षेत्रीय निरीक्षण आवश्यक किया गया हैं इसी प्रकार जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर पदस्थापित विभागीय अधिकारियों के भी क्षेत्र निरीक्षण हेतु प्रावधान किया हुआ है। मुख्यालय के अधिकारियों एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट में कार्यक्रम के तहत पायी गई कमियों एवं आवश्यक सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लिये जाकर सम्बन्धित विभाग/जिलों को आवश्यक निर्देश दिये जाते है।

सतर्कता और निगरानी समितियां

- सतर्कता और निगरानी समितियों की भूमिका और गतिविधियों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उन्हे विभागीय योजनाओं के कार्यक्रमों की क्रियान्विति की प्रभावी निगरानी का महत्वपूर्ण जरिया बनाने के लिये प्रत्येक राज्य क्षेत्र और प्रत्येक जिले के लिये इन समितियों को राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर अक्टूबर, 2004 में पुनर्गठित किया गया है। सभी संबद्ध लोगों को इन पुनर्गठित समितियों की संरचना, भूमिका और कार्यों के बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। तय किया गया है कि इन समितियों की बैठकें त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाएं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राज्य समिति की अध्यक्षता करते हैं, जबकि नामित संसद सदस्य जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों की अध्यक्षता करते हैं।
- समितियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ प्रभावपूर्ण संबंध और समन्वय करना होता है ताकि सभी योजनाएं कार्यक्रम दिशा–निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जा सके।

ई–गवर्नेस क्रियाकलाप

- विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं उनकी उपलब्धियों की जानकारी, निगरानी हेतु विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in का 5 जुलाई 2006 को शुभारम्भ किया गया है। विभागीय वेबसाईट पर विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की मार्गदर्शिका, महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश, प्रगति आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री सूचना तंत्र (CMIS)

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा CMIS सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके माध्यम से विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं की प्रगति, बजट भाषण एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समय–समय पर की गई घोषणाओं, कार्ययोजना आदि की प्रगति मुख्यमंत्री कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित की जाती है।

समीक्षात्मक बैठकें

- विभाग द्वारा मुख्यालय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की त्रैमासिक बैठक आयोजित कर विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की जाती है। उक्त बैठक में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों का तत्काल समाधान कर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं। संभाग स्तर पर भी बैठकें आयोजित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय के कार्यक्रम प्रभारियों द्वारा उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों की विस्तृत एवं गहन समीक्षा हेतु जिलों के कार्यक्रम से सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों की मासिक/आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित किये जाने की व्यवस्था भी लागू की गई है।

समीक्षा टिप्पणी

- विभाग द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम की जिलों से प्राप्त प्रगति के आधार पर विस्तृत समीक्षात्मक टिप्पणी तैयार कर जिलों को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। इससे जिलों को तुलनात्मक प्रगति जानने का अवसर प्राप्त हुआ है एवं उनमें प्रतिस्पर्द्धा की भावना जागृत हुई है। परिणामस्वरूप कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी तरीके से हुआ है।

मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक बैठकें

मुख्यालय पर महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा हेतु प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक बैठक आयोजित किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। इससे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के निस्तारण में तेजी आयी है।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग

- ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के तत्काल समाधान हेतु जिला कलेक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्स आयोजित कर आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं।

राष्ट्रस्तरीय मोनिटर्स (NLM)

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणात्मक सुधार एवं गहन मोनिटरिंग करने हेतु राष्ट्र स्तरीय मोनिटर्स (**NLM**) का मनोनयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सिविल एवं रक्षा सेवाओं के सेवा निवृत अधिकारियों में से किया जाता है। उक्त मनोनीत अधिकारी उन्हे आवंटित जिलों में मंत्रालय की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम स्तर पर निरीक्षण कर क्रियान्वयन में पाई गई कमियों एवं सुझावों को प्रतिवेदन में समावेश करते हुये प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। जिसके आधार पर मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रतिवेदन में पाई गई कमियों एवं दिये गये सुझावों के संबंध में अनुपालना सुनिश्चित की जाती है।

इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

- इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान एक स्वशासी पंजीकृत संस्था के रूप में दिनांक 25.3.1989 से कार्यरत है जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से विभिन्न स्तरों पर जुड़े जन प्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है । संस्थान को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है ।

पंचायती राज अभिनवन प्रशिक्षण अभियान

1. पंचायती राज प्रशिक्षण हेतु विकेन्द्रित अभियान : 2010–11

- इस अभियान के तहत राज्यों समस्त निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण (1.20 लाख) व उनके संबद्ध अधिकारीगण (लगभग 12,000)–अतः **कुल 1.32 लाख पंचायती राज कर्मियों का संयुक्त आमुखीकरण, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुमोदित 100–दिवसीय कार्य योजना के तहत संपन्न कराया गया ।** इस अभियान में लगभग 1350 प्रशिक्षण कार्यशालाएँ–100 दिन के अभियान में संपन्न कर – एक से सवा लाख पंचयती राज कर्मी प्रशिक्षित हुए ।

- दो नीतिगत राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएँ क्रमशः **(क) पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, 1996 के प्रभावी क्रियान्वयन** हेतु 13–16 सितंबर, 10 के दौरान एनआईआरडी व एसआईआरडी राजस्थान के संयुक्तज तत्वावधान में PESA(पेसा) क्षेत्र के पंचायती राज व स्वैच्छिक संस्था प्रतिनिधियों हेतु संपन्न **(ख) पंचायत एम्पावरमंट एण्ड अकान्टेबिलिटी इन्सेन्टिव** स्कीम विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला –पंचायती राज मंत्रालय, केन्द्र सरकार के आग्रह पर 1–2 दिसंबर, 2010 में संपन्न–जिसमें 10 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD)

- राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) सन् 1988–89 से अपनी गतिविधियां HCM-RIPA मे संचालित करता था । सन् 1999 में इसका विलय इंदिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान में किया गया । प्रत्येक राज्य में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ग्रामीण विकास के विषयों में प्रशिक्षण हेतु स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर एवं राज्यों में स्थापित विभिन्न राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों का समन्वय वित्तीय सहायता राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद व ग्रामीण विकास मंत्रालय दिल्ली से प्राप्त की जाती है ।

  1. **केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान :** केन्द्र सरकार से एसआईआरडी मद के अन्तर्गत वेतन तथा कार्यालय संचालन हेतु राशि प्राप्त होती है।
     इसके अतिरिक्त एसआईआरडी मद के अन्तर्गत स्थाई निर्माण एवं विभिन्न संसाधनों के प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते है। जैसे हॉस्टल निर्माण कराना, जनरेटर सैट, कम्प्यूटर, प्रशिक्षण उपकरण इत्यादि क्रय करना। गत वर्ष कुल

66.69 लाख रूपये केन्द्र से वेतन एवं आवर्तक मद में स्वीकृत किये गये है। इस वर्ष 130.80 लााख के प्रस्ताव केन्द्र को प्रेषित किये गये है।

2. **राज्य सरकार द्वारा अनुदान :** राज्य सरकार हेतु वेतन की पूर्ण राशि दी जाती है तथा साथ ही उन पदों का 50 प्रतिशत वेतन भी दिया जाता है जिनका शेष 50 प्रतिशत भाग एसआईआरडी मद में भारत सरकार से देय होता है।

3. **परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान :** इसके अन्तर्गत समय समय पर राज्य सरकार / भारत सरकार या अन्य किसी ऐजेन्सी द्वारा प्रशिक्षण हेतु राशि दी जा सकती है जिसका व्यय केवल प्रशिक्षण कार्य पर होता है। इस समय मुख्य परियोजना पीआरआई के सदस्यों के प्रशिक्षण का चल रहा है, इसके अतिरिक्त नरेगा, एसजीएसवाई, बीआरजीएफ, यूरोपियन कमिशन, वाटरशेड आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

4. **PG DSRD :** इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद के सहयोग से दुरस्थ शिक्षा के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ससटेनेबल रूरल डवलपमेन्ट प्रोग्राम आरम्भ किया गया। जो कि एक वर्ष का डिप्लोमा (दो सेमेस्टर में आयोजित) कार्यक्रम है। परियोजना निदेशक एवं संयुक्त निदेशक (एसआईआरडी) इस प्रोग्राम के राजस्थान एवं गुजरात राज्य के समन्वयक है।
प्रथम सेमेस्टर का कार्य एवं परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुकी है। द्वितीय सेमेस्टर मार्च 2011 के अन्त में संस्थान में आयोजित किया जावेगा।

5. **बी.आर.जी.एफ. ग्रान्ट के अन्तर्गत तीनों पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण :** इस वर्ष तीनों पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए बी. आर. जी. एफ. मद में 42.00 लाख प्रत्येक पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त हुए है। तीनों पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों का कार्य इसी वर्ष योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस कार्य हेतु तीनों पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्य क्षेत्र के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

एनआरईजीए के प्रस्ताव

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में प्रशिक्षण हेतु संस्थान द्वारा 24.45 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित किए गए, जिसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने 14.31 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की तथा प्रथम किश्त के रूप में 6.24 करोड़ की राशि एसआईआरडी को उपलबध कराई गई थी।

उपलब्धियाँ

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत् वित्त वर्ष 2009–10 के लिए भारत सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) से 06.24 करोड़ रूपये की प्रथम किस्त संस्थान को प्राप्त हुई। इस धनराशि के द्वारा नरेगा के अन्तर्गत विभिन्न हित–धारको (Stake Holders) ऑफिशियल/नॉन आफिशियल का प्रशिक्षण आयोजित कराया गया है।
- संस्थान द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत संस्थान स्तर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें एमआईएम मैनेजर, अधिशाषी अभियन्ता, स्टेट लेवल आर्बजर्वर के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।
- नरेगा योजनान्तर्गत संस्थान द्वारा विभिन्न हित धारको को खण्ड एवं ग्राम पंचायत क्लस्टर स्तर पर भी सरपंचो एवं ग्राम रोजगार सहायाकों को प्रशिक्षित किया गया। जिनमें लगभग 18 हजार लोगो को प्रशिक्षित किया गया।
- संस्थान द्वारा नरेगा योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना के तहत् प्रशिक्षण आयोजित कर संभागियों को प्रशिक्षत किया गया।
- संस्थान द्वारा वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत् संस्थान स्तर पर दिसम्बर 2010 तक 1402 व्याक्तियों को 19 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जा चुका है।

जलग्रहण

(अ) भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थान को प्रदत्त राजस्थान के 15 जिलों (अजमेर, झालावाड़, टोंक, राजसमन्द, जालौर, जयपुर, बूँदी, सिरोही, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, बारां, कोटा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, बीकानेर) के 28जलग्रहण क्षेत्र के माईक्रोवाटरशेड के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य दिया गया था, जिसको संस्थान द्वारा समय पूर्व संपादित कर संपूर्ण रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है।

(ब) अतिरिक्त सचिव, भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संस्थान को प्राप्त पत्र के आधार पर जलग्रहण प्रकोष्ठ द्वारा नई कॉमन गाईडलाइन्स आधारित Capacity Building Programme पर प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजा गया था जिसकी स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त की राशि रूपये 63,54,820/–

संस्थान को मय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संस्थान को प्राप्त हो चुकी है, उस पर आधारित प्रशिक्षण कार्यशालाएं प्रगति पर हैं।

(स) भारत सरकार द्वारा 01 अप्रेल, 2008 से लागू जल ग्रहण विकास कार्यक्रम की नई कॉमन गाईड लाईन्स पर आधारित सभी सात स्तरों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल व संबंधित संदर्भ सामग्री का निर्माण किया जा चुका है। संस्थान के जलग्रहण प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण हेतु तैयार निम्न प्रशिक्षण मॉडयूल्स :–

1. राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय नॉडल एजेन्सी–प्रतिनिधियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल्स
2. दक्ष प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु (T O T) चार दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल्स
3. जलग्रहण विकास दल के सदस्यों हेतु पांच दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल्स
4. उपभोक्ता समूह के सदस्यों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल्स
5. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल्स
6. जलग्रहण विकास समिति के सदस्यों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल्स
7. ग्राम सभा सदस्यों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल्स
8. सभी स्तरों के प्रशिक्षण मॉड्यूल्स पर आधारित संदर्भ सामग्री

- मार्च, 2010 से पूरे राज्य में विकेन्द्रिकृत प्रशिक्षण की श्रृंखला में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रगति पर है।

(द) संस्थान के जलग्रहण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2010–11 में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यशालाऐं:–

1. PIA/WDT हेतु दो दिवसीय चार आमुखीकरण कार्यशालाएं
2. Geo-Informatics Application in Watershed Development पर पांच दिवसीय दक्ष प्रशिक्षकों हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला
3. Planning & Implementation of Watershed Projects (New Guidelines) -STAP-TOT-II पर पांच दिवसीय दक्ष प्रशिक्षकों हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला
4. भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थान को प्रदत्त प्रोजेक्ट Capacity Building for Watershed on New Common Guidelines Management के अंतर्गत विकेन्द्रिकृत प्रशिक्षण श्रृंखला के तहत आयोजित कार्यशालाएं :–
   - क. दक्ष प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु आयोजित चार दिवसीय तीन कार्यशालाओं में 87 दक्ष प्रशिक्षक संस्थान स्तर पर तैयार किये गये।
   - ख. जलग्रहण विकास दल के सदस्यों हेतु आयोजित पांच दिवसीय दो कार्यशालाओं में 76 संभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
   - ग. उपभोक्ता समूह के सदस्यो हेतु आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में 40 संभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
   - घ. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों हेतु आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में 45 संभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

ड. जलग्रहण विकास समिति के सदस्यों हेतु संस्थान व पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर, जोधपुर, डूंगरपुर व अजमेर में आयोजित दो दिवसीय विकेन्दिकृत प्रशिक्षण कार्यशालाओं में कुल 800 संभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

- विभिन्न उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यशालाओं में लगभग 1550 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(य) Capacity Building on Watershed Management पर कृषि मंत्रालय, भारत सरकार व German Technical Cooperation (GTZ) Natural Resources Management Programme-India, New Delhi के संयुक्त तत्वाधान में Capacity Building पर जलग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीन पायलट राज्यों कर्नाटक,उत्तराखण्ड व राजस्थान का चयन हुआ है। इसके 12 सदस्यीय Consortium Partners में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान भी एक Consortium Partner है। इस Consortium के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर Capacity Building on Watershed Management हेतु मास्टरर्स टीम तैयार की जा रही है जिसकी दो कार्यशालाएं ISTM, New Delhi Department of Personnel & MANAGE, Hyderabad में की जा चुकी है। संस्थान की ओर से प्रभारी अधिकारी, जलग्रहण प्रकोष्ठ ''पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम'' (PPPP) हेतु राजस्थान की नॉडल अधिकारी नियुक्त हुई है। इस कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम प्रगति पर है।

(र) संस्थान स्तर पर माह मार्च, 2011 तक विभिन्न स्टेकहोल्डर हेतु होने वाले प्रशिक्षण का विवरण भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार व आयुक्त, आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण को प्रेषित किया जा चुका है।

स्वर्ण जयंन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई)

1. **एस.जी.एस.वाई प्रकोष्ठ द्वारा निम्न स्कीम/योजनाओं का प्रशिक्षण कार्य सम्पादित किया जा रहा है :–**
   - एस.जी.एस.वाई/नेशनल रूलर लाईबिलीहुड मिशन (ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
   - खाद्य मिलावट एवं उपभोक्ता प्रशिक्षण (उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार)
   - साक्षर भारत मिशन (मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार)
   - एच.आई.वी./एड्स पर रोजगार सहायकों का प्रशिक्षण (नाको, भारत सरकार)
   - बी.पी.एल. पायलेट प्रशिक्षण (ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
   - एस.जी.एस.वाई के अन्तर्गत विशेष परियोजनाएं (ग्रामीण विकास मंत्रालीय, भारत सरकार)
   - लैब टू लैण्ड कार्यक्रम (ग्रामीण विकास मंत्रालीय, भारत सरकार)
   - यूरोपियन कमीशन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार)

- यू.एन.डी.पी. द्वारा कनवर्जेन्श पर कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)
- सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

2. वर्ष 2010–11 में उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्न विशेष उपब्धियां प्राप्त की गई :

- वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना पर 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान स्तर पर एवं 613 कार्यक्रम विभिन्न जिलों में आयोजित किये गये जिसमें लगभग 7,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।
- सूचना के अधिकार पर राज्य के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को जनवरी 2011 में प्रशिक्षित किया जावेगा।
- राज्य के 16 जिलों हेतु बी.पी.एल. पायलेट प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- साक्षर भारत मिशन के अन्तर्गत पंचायती राज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना बनाई गई जिसे फण्ड्स प्राप्त होते ही क्रियान्वित किया जावेगा।
- अजमेर एवं उदयपुर जिले के सभी रोजगार सहायकों को एच.आई.वी./एड्स पर प्रशिक्षित किया जावेगा।
- भीलवाडा जिले की सुवाणा पंचायत समिति में लेब टू लेण्ड नामक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
- राज्य के 11 जिलों में विशेष परियोजनाओं की मॉनटिरिंग की जिनके अन्तर्गत बी. पी.एल. युवकों को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

सेटकॉम परियोजना

- राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही सेटेलाइट कम्यूनिकेशन परियोजना एक उपग्रह आधारित संचार परियोजना है जिसके तहत राज्य मुख्यालय को सभी जिला एवं पंचायत समिति मुख्यालयों से जोड़ा जाएगा। सेटकाम परियोजना का संचाालन राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों यथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि, शिक्षा विभाग, सहकारिता, ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं तकनीकी आदि हेतु प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों के समेकित संचालन के दृष्टिकोण से किया जा रहा है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग परियोजना के संचालन हेतु नोडल एजेन्सी है। परियोजना के संचालन पर होने वाला व्यय विभिन्न विभागों द्वारा सामूहिक रूप से वहन किया जाता है। प्रत्येक संबंधित विभाग द्वारा प्रति वर्ष 10–12 लाख रूपये आवर्ती व्यय मद में अंशदान किया जाता है।
- परियोजना के संचालन हेतु आवश्यक इण्टीग्रेटेड अपलिंक स्टेशन संस्थान के नवीन हॉस्टल भवन में स्थापित किया गया है जिसे टेलीमेडिसिन, एजुसेट एवं ग्राम सेट हेतु उपयोग में लिया जाता रहा है।
- परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारम्भिक दौर में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता वाली समन्वयन समिति द्वारा यह तय किया गया था कि परियोजना के वित्तीय लेन–देन हेतु अलग से सोसायटी रजिस्टर्ड नही करवाई जाएगी अपितु संस्थान के माध्यम से बजट संधारण एवं भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। संस्थान द्वारा नियमित रूप से परियोजना अन्तर्गत होने वाले वित्तीय कार्य व्यवहार का लेखा

संधारण किया जा रहा है। गत चार वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा कुल 101.00 लाख रूपये संस्थान के खाते में हस्तान्तरित किये गये है जिनमें से संस्थान द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेशो के अनुसार भुगतान किया जाता रहा है।

- परियोजना की आवश्यकता अनुसार 237 पंचायत समिति मुख्यालयों पर रिसीव ओनली टर्मिनल्स (ROTs) तथा 32 जिला परिषद मुख्यालयों पर सेटेलाइट इन्टरएक्टिव टर्मिनल्स (SITs)(दो तरफा विडियो एवं ऑडियो) स्थापित किये गये है।
- परियोजना अन्तर्गत सीधे प्रसारण हेतु स्टूडियों निर्माण कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेकू, इसरो, अहमदाबाद के तकनीकी सुपरविजन में किया गया है। विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार स्टूडियों का भवन निर्माण,विद्युतीकरण एवं आंतरिक साज सज्जा कार्य पूर्ण हो चुका है। स्टूडियों कंट्रोल रूम में रिकार्डिंग उपकरण, केमरा एवं यूपीएस आदि स्थापित किये जा चुके है। प्रसारण का नमूना परीक्षण भी किया जा चुका है।
- स्टूडियो का विधिवत् उद्घाटन दिनांक 18.02.2010 को माननीय केन्द्रीय मंत्री दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी तथा माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। स्टूडियो का विधिवत् उद्घाटन दिनांक 18.02.2010 को माननीय केन्द्रीय मंत्री दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी तथा माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। विभाग द्वारा सीधा प्रसारण निम्नानुसार करवाया गयाः–

दिनांक	विषय	संकाय सदस्य	संभागी
05.05.2010	जिला परिषदों के दायित्व, कृत्य एवं शक्तियाँ	डॉ. अनिता	जिला परिषद अधिकारीगण एवं स्टाफ
07.05.2010	सूचना का अधिकार एवं विकेन्द्रीकृत आयोजना	प्रो. अजयवीर सिंह एवं श्री योगेन्द्र सिंह पूनिया	जिला परिषद अधिकारीगण एवं स्टाफ
11.05.2010	वाटरशेड न्यू कॉमन गाइडलाइन्स, 2008	डॉ. विमलेश चौधरी	प्रोजेक्ट ऑफिसर (एल. आर.) सहायक प्रोजेक्ट ऑफिसर (एल. आर.) डब्ल्यू.डी.टी. टीम मेम्बर्स
13.05.2010	महानरेगा	प्रो. बी. एस. प्रधान	जिला परिषद अधिकारीगण एवं स्टाफ एवं प्रत्येक पंचायत समिति से एक प्रतिनिधि

- संस्थान द्वारा स्टूडियो निर्माण हेतु 50.29 लाख रूपये की राशि एसआईआरडी मद अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भी स्टूडियो निर्माण में 44.00 लाख रूपये की राशि का अंशदान किया गया है। इस प्रकार स्टूडियो निर्माण हेतु संस्थान में संधारित खाते से कुल 94.29 लाख रूपये हस्तान्तरित किये गये है।

BRGF प्रशिक्षण

- बैकवर्ड रीजन्स ग्रान्ट फन्ड (BRGF) केन्द्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की अभिनव योजना है। यह योजना वर्ष 2006 से 2012 तक देश के चयनित सबसे पिछडे 250 जिलों के लिये 100 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रिय सहायता उपलब्ध करायगी। पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) कार्यक्रम के गठन का उदेश्य–विकास में क्षेत्रीय असमनताएँ दूर करना हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए जिलों में विकास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती हैं। राजस्थान में (BRGF) कार्यक्रम के तहत चयनित जिले : बांसवाडा, बाडमेर, चित्तोडगढ, प्रतापगढ, डूगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, करौली, सवाइमाधोपुर, सिराही, टोंक, एंव उदयपुर हैं।
- BRGF समर्थित प्रशिक्षण अभियान वर्ष 2007–08 में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के नेतत्व में जिला स्तर के अधिकारियों एवं 13 बीआरजीएफ जिलों की समस्त 83 पंचायत समितियों के प्रशिक्षण दल सदस्यों को भी संस्थान स्तर से भी प्रशिक्षण किया गया था । इसी प्रकार बीआरजीएफ जिलों की समस्त ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सेवकों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थी ।
- बर्ष 2008–09 एवं 2009– 10 में बीआरजीएफ जिलों के ब्लोक स्तरीय प्रशिक्षण दल के सदस्यों का पुनश्चय आमुखीकरण प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इन प्रशिक्षणों में ब्लॉक स्तर से बी0डी0ओ0 सीडीपीओ, पंचायत प्रसार अधिकारी, एनजीओं के प्रतिनिधि व जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षत किया जा रहा है । बर्ष 2009–10 अब तक 452 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षत किया गया है । इसके अतिरिक्ति बीआरजीएफ के अर्न्तगति 576 बेयर फुट इंजिनियरस को तीनों पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों व जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। बर्ष 2010–11 में बीआरजीएफ ग्रान्ट के तहत पंचायती राज विभाग में नव नियुक्त 148 कनिष्ठ अभियन्ताओं हेतु 12 दिवस का आधारभूत आवासीय प्रशिक्षण इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर एवं पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर, डुंगरपुर तथा मंडोर में दिनांक 29/11/ 2010 से 10/12/2010 तक सम्पादित किया गया। बर्ष 2010 में बीआरजीएफ प्लान प्लस के तहत इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में तीन प्रशिक्षण सम्पादित किये गये ।
- बीआरजीएफ के तहत विभिन्न प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु दिसम्बर 2009 में 6.87 करोड रुपयें प्राप्त हुए है। इस राशि से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान तथा तीनों पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र (अजमेर, डुंगरपुर एवं मंडोर) का सुदृढीकरण एवं रिनोवेशन किया जा रहा है। उक्त राशि में से करीव 362.00 लाख रुपये 13 बीआरजीएफ जिलों में पंचायती राज विभाग के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के

प्रशिक्षण हेतु आंवटित किये गये। यह प्रशिक्षण जुलाई 2010 में पूर्ण करा लिये गये है। उक्त राशि से ग्राम सेवकों को राज्य के संस्थान आर0 के0 सी0 एल0 के माध्यम से कम्पयुटर प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की गई है। साथ ही बीआरजीएफ के 13 जिलों में स्थापित 3278 ग्राम सेवकों को भी पांच दिवसीय पुनश्चय: प्रशिक्षण राज्य में स्थापित तीनों पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर, डूंगरपुर एवं मंडोर में आयोजित किये जा रहे है। राज्य के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं संबधित अधिकारियों को भी इसी मद के तहत केरला पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन हेतु भ्रमण पर ले जाया गया तथा जन प्रतिनिधियों को महाराष्ट्र एवं आंध्रप्रदेश भी उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु ले जाया जावेगा ।

- संस्थान में प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वीकृत कुल 53 पद वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत है।

संस्थान में स्वीकृत पदों का विवरण

आयोजना भिन्न मद

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	पे बेण्ड
1.	महानिदेशक, आई.ए.एस.	1	67000–79000
2.	अतिरिक्त निदेशक, आर.ए.एस.	1	37400–67000
3.	उप निदेशक, आर.ए.एस.	2	15600–39100
4.	प्रोफेसर	2	37400–67000
5.	सहायक निदेशक	4	15600–39100
6.	लेखाधिकारी	1	15600–39100
7.	व. निजी सहायक	1	9300–34800
8.	शीघ्र लिपिक	2	9300–34800
9.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	9300–34800
10.	कनिष्ठ लेखाकार	1	9300–34800
11.	हॉस्टल वार्डन	1	9300–34800
12	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	9300–34800
13.	वरिष्ठ लिपिक	1	9300–34800
14.	अवधाता	1	9300–34800
15.	कनिष्ठ लिपिक	7	5200–20200
16.	टेलिफोन ऑपरेटर	1	5200–20200
17.	इलेक्ट्रीशियन	1	5200–20200
18.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	4750–7440
19.	फर्राश	4	4750–7440
20.	बुक अटेन्डेन्ट	2	4750–7440
21.	चौकीदार	2	4750–7440
	योग –	**41**	

एस.आई.आर.डी. मद

क.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	पे बेण्ड
1.	प्रोफेसर	2	37400–67000
2.	एसोसियेट प्रोफेसर	2	15600–39100
3.	परि. निदे. एवं संयुक्त निदे.	1	15600–39100
4.	सहायक प्रोफेसर	2	15600–39100
5.	शीघ्र लिपिक	3	9300–34800
6.	वाहन चालक	2	5200–20200
	योग	**12**	

पंचायती राज

I पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढीकरण :

- संविधान में 73वां संशोधन की पालना में मंत्रिमण्डल आज्ञा 154/2010 दिनांक 29.9.2010 के तहत प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तर की निधियां, गतिविधियॉ एवं स्टाफ (Funds, Functions & Functionaries) पूर्ण कटिबद्वता के साथ प्रभावी रूप से हस्तान्तरित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया। समिति के निर्णयानुसार पंचायती राज संस्थाओं को 5 विभागों की गतिविधियॉ, फण्ड्स फंक्शन्स एवं फंक्शनरीज हस्तान्तरित करने के आदेश जारी किये गये है।

- पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभागों के कार्य कलापों के एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए संबन्धित विभागीय लेखा शीर्षों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित लघु शीर्ष 196, 197 एवं 198 के अधीन प्रावधान किया जावेगा। जिनमें जिला स्तर के विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों एवं अन्य दिशा–निर्देशों के संबंध में विस्तृत उल्लेख है।
- मुख्य सचिव महोदय, पंचायती राज विभाग एवं संबंधित विभागों के निर्देशों में हस्तान्तरित विभागों की समस्त गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को दी गई है तथा यह व्यवस्था की गई है कि हस्तान्तरित विषयों के संबंध में पैतृक विभाग संबंधित विभागाध्यक्ष एवं सचिव स्तर के अधिकारी सीधे कोई निर्देश विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों को जारी नही करेंगें। सभी निर्देश, अपेाक्षित सूचना रिपोर्ट एवं पत्र व्यवहार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति को सम्बोधित होगें।
- हस्तान्तरित अधिकारी, कर्मचारी एवं कार्यालय पंचायती राज संस्थाओं के अधीन माने जावेगें एवं विवाद की किसी भी स्थिति में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा। हस्तान्तरित स्टाफ का संर्वग नियन्त्रण पैतृक विभागों द्वारा किया जावेगा एवं रिक्त पदों की भर्ती उन्हीं के द्वारा जावेगी। इसी प्रकार सी.सी.ए. नियम, अवकाश, दौरे व उपस्थिति, वार्षिक कार्य मूल्याकन आदि के संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की गई है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कार्मिक विभाग एवं वित्तीय मामलों के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश प्रभावी होगें।
- हस्तान्तरित गतिविधियों एवं स्टॉफ आदि के क्रियान्वयन के सुचारू रूप से संपादित करने व हस्तान्तरण को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु तीन सदस्यीय मंत्रिगणों की समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में जिला स्तर पर स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है।

- तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने में भर्ती प्रक्रिया में अधिक समय लगता था, अतः ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए तथा पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता के विकेन्द्रीकरण के तहत सशक्त करने की श्रृंखला के क्रम में पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं पंचायती राज नियम, 1996 में आवश्यक संशोधन किया जाकर, यह भर्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्थान पर ज़िला परिषदों के माध्यम से कराई जाने का प्रावधान किया जाकर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतो में रिक्त चल रहे ग्राम सेवको के 650 पदो की पूर्ति के लिये राज्य के 25 जिलो में जिला परिषदो के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस हेतु दिनांक 13 फरवरी 2011 को परीक्षा आयोजित की जा रही है।
- राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के परिवीक्षाधीन 75 अधिकारियों को दिनांक 23.12.10 को नियुक्ति प्रदान की गई है। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के वर्ष 2008–09 के 75 एवं वर्ष 2009–10 के 74 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है।
- सहायक अभियन्ताओं के 14 पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।
- विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं के 170 रिक्त पदो पर भर्ती की कार्यवाही की गई, जिसमें से 164 कनिष्ठ अभियन्ताओं ने विभिन्न पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों पर कार्यग्रहण कर लिया है।
- वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ताओं के 121 पदो पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इसके लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना प्रेषित कर दी गई है।
- जिला प्रमुखों की यात्राओं के लिए निर्धारित दिवसों की संख्या 120 से बढाकर 240 दिवस तथा प्रधानों के लिये यात्राओं के दिवसों की संख्या 60 दिन से बढाकर 120 दिन प्रति वर्ष किये जाने के आदेश जारी किये गये।

1. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं 11 नई पंचायतों का नवसृजन :

- पंचायती राज अधिनियम/नियम में पंचायती राज संस्थाओं के निश्चित तिथि को आम चुनाव कराये जाने के बाध्यकारी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 33 जिला परिषदों, 248 एवं 9166 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव जनवरी–फरवरी, 2010 में सम्पन्न करवाऐं जा चुके है । पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव से पूर्व कुछ पंचायतों को नगर निगमों/ नगरपालिकाओं की सीमाओं में सम्मिलित कर लिया गया था । इनमें से नगर निगम, अजमेर से पुनः प्रथक हुई ग्राम पंचायत, रसूलपुरा, सेन्दरिया, नारेली, घूघरा, माकडवाली, हाथीखेडा तथा कायड, (पंचायत समिति,श्रीनगर) व ग्राम पंचायत, तबीजा, दौराई व सोमलपुर (पं.स.पीसांगन) तथा नगरपालिका, किशनगढ–रेनवाल से पृथक हुई ग्राम पंचायत, मुण्डलीरणजीतपुरा (पंचायत समिति, सांभरलेक) को पुनः ग्राम पंचायत बनाया गया है तथा जिनके आम चुनाव जनवरी–फरवरी, 2011 में सम्पन्न करवाऐ जायेंगे।

2. ग्राम सभा के कृत्य :

- पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–8 क. में ग्राम सभा और उसकी बैठेकें आयोजित किये जाने के प्रावधान है । राज्य में ग्राम संभाओं का आयोजन राष्ट्रीय पर्वो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एवं 1 मई को नही किया जाकर इन तिथियों के 15 दिन के अन्दर अन्दर किये जाने का परिपत्र जारी किया गया है । उक्त ग्राम सभाऐं संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयाजित की जाती है ।
- पंचायती राज अधिनियम की धारा–8 ड. में ग्राम सभा, ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये निम्नलिखित कार्य करेगीः–

(क). समाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का, वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित योजनाओं, कार्येक्रमों और परियोजनाओं में से पूर्विकता क्रम में, ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पंचायत द्वारा क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिये जाने के पूर्व, अनुमोदन करना,

(ख). गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्याक्तियों की, उनकी अधिकारियों के अधीन आने वाली विभिन्न वार्ड सभाओं द्वारा पहचाने गये व्यक्तियों में से, पूर्विकता क्रम में पहचान या चयन,

(ग). संबंधित वार्ड सभा से यह प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना कि पंचायत के खण्ड (क) में निर्दिष्ट उन योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी निधियों का सही ढंग से उपयोग कर लिया है जिनका उस वार्ड सभा के क्षेत्र में व्यय किया गया हैः–

(घ). कमजोर वर्गो को आंवटित भूखण्डों के संबंध में सामाजिक संपरीक्षा करना,

(ड.). आबादी भूमियों के लिए विकास की योजनाएं बनाना और अनुमोदित करना,

(च). सामुदायिक कल्याण कार्येक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नकद अथवा दोनों ही प्रकार के अभिदाय जुटाना,

(छ). साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को प्रोत्साहित करना,

(झ). किसी भी विशिष्ट क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के बारे में पंचायत के सदस्यों और पंचायत के स्पष्टीकरण मांगना,

(ज). वार्ड सभा द्वारा अभिशंसित संकर्मो में से पूर्विकता क्रम में विकास संकार्मो की पहचान और अनुमोदन,

(ट). लधु जल निकायों की योजना और प्रबन्ध,

(ठ). गोण वन उपजों का प्रबन्ध,

(ड) सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण,

(ढ) जनजाति उप–योजनाओं को सम्मिलित करते हुए स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के स्त्रोतों पर नियंत्रण,

(ण). ऐसी पंचायत सर्किल के क्षेत्र की प्रत्येक वार्ड सभा द्वारा की गयी अभिशंसाओं के बारे में विचार और अनुमोदन, और

(त). ऐसी अन्य कृत्य जो विहित किये जायें ।''

3. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार :

- अनुसूचित क्षेत्रों में खान विभाग द्वारा किसी गौण खनिज के संबंध में कोई भी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति खनन पट्टा या कोई अन्य खनित रियायत पंचायती राज संस्थाओं की पूर्व सिफारिश अभिप्राप्त किये बिना मंजूर नही की जायेगें जो 30 दिन में अपनी सहमति व्यक्त करेगी । खान विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 20 जून, 2002 को जारी की गई है ।
- *Rajasthan Money lander Act,* 1963 के अंतर्गत संशोधन कर, आयुक्त, टीएडी को रजिस्ट्रार जनरल एवं अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत समिति को रजिस्ट्रार एवं ग्राम पंचायत को सहायक रजिस्ट्रार की शक्तियां राजस्व विभाग की अधिसूचना दि0 17.4.02 के द्वारा दी जा चुकी हैं ।

- *Rajasthan Tenancy Act,* 1955 की धारा *183D* के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के अतिक्रमी का *summary ejectment* की कार्यवाही तहसीलदार के स्थान पर पंचायत समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान राजस्व विभाग की अधिसूचना दि0 17.4.2002 द्वारा किया गया है ।

II जिला आयोजना समिति :

- विकेन्द्रीकृत योजना की परिकल्पना को भारतीय संविधान में अंगीकार किया गया है। विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण के प्रयासों की शुरूआत प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) से की गई। काफी प्रयासों एवं इस हेतु गठित विभिन्न समितियों कें सुझावों को मध्यनजर विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण के अथक प्रयास किये गये, परन्तु प्रक्रिया कारगर नही रही।

- संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने स्थानीय सरकारों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है और विकेन्द्रीकृत योजना के लिये नीचे से नया और सुदृढ़ राजनैतिक आधार और सार्वजनिक मंच प्रदान किया हैं। संविधान के 73 वें संशोधन में योजना निर्माण की प्रक्रिया में जन–सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जिला आयोजना समितियों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- जिला आयोजना समितियों को कार्य जिले की विकास योजना का प्रारूप तैयार करना है। जिला योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के समग्र विकास हेतु जनप्रतिनिधियों, जनता एवं राजकीय विभागों की सक्रिय भागीदारी से विकास का दृष्टिकोण, योजना एवं प्राथमिकताएं तय करना है।

- संविधान के अनुच्छेद 243क में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जिला आयोजना समिति का समावेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 में किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 350, 351 एवं 352 में जिला आयोजना समिति के गठन, निर्वाचन एवं समिति की शक्तियों एवं कृत्यों का विस्तार से प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला आयोजना समिति में कुल 25 सदस्य होगे, उनमें से 20 सदस्य जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों

की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद/नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में से और उनके द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

जिला आयोजना समिति में निम्नलिखित पांच नाम निर्देशित सदस्य होगें :–

(क) जिले का कलेक्टर
(ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
(ग) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
(घ) संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित स्वैच्छिक अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से दो व्यक्ति।

- उक्त नाम निर्देशित सदस्यों में से प्रथम तीन (क,ख, व ग) स्थाई सदस्य होते हैं।
- जिला प्रमुख, जिला परिषद् जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष होते हैं।
- मुख्य आयोजना अधिकारी जिला आयोजना समिति के सचिव होते है। जिला आयोजना शाखा जिला परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्य आयोजना अधिकारी के अधीन जिला आयोजना समिति के सचिवालय का कार्य कर रही है।

जिला आयोजना समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य

- संविधान के किए गए प्रावधान के अनुसार प्रत्येक जिले में गठित जिला आयोजना समिति का मुख्य कृत्य जिले की पंचायत समितियों और नगर निकायों द्वारा तैयार की गयी वार्षिक योजनाओं का समेकन कर सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार कर, राज्य सरकार को अग्रेषित करना है।

जिला आयोजना समितियों के गठन की वर्तमान स्थिति

- संविधान के उक्त प्रावधानानुसार राज्य के सभी 33 जिलों में जिला आयोजना समितियों का गठन किया जा चुका है।

11वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12

- विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण के अन्तर्गत राज्य में पहली बार योजना आयोग की वास्तविक मंशानुसार लगभग 40,000 से अधिक ग्रामों में ग्राम सभाओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों, जनता एवं राजकीय सक्रिय भागीदारी से विकास का दृष्टिकोण, योजना एवं प्राथमिकताएं तय करते हुए, 11वी पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12 एवं जिला वार्षिक योजना 2007–08 का निर्माण किया गया। विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं प्रपत्रों के अनुसार ये योजनाएं ग्राम, वार्ड़, ग्राम पंचायत, नगरपालिका एवं पंचायत समिति स्तर पर तैयार की जाकर जिला योजना में सम्मिलित की गयी है ताकि स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं के दृष्टिकोण एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इनकी पूर्ति 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना के दौरान होकर क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सके।
- 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना निर्माण के क्रम में योजना आयोग से प्राप्त निर्देशों एवं विकेन्द्रीकृत योजना के संबंध में वी. रामचन्द्रन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों को दृष्टिगत रखकर, ग्राम स्तर से जिला योजना निर्माण के

संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई जिसके तहत योजना निर्माण को कार्य सम्पन्न कराया गया।

योजना निर्माण में अपनाई गई प्रक्रिया

1. ग्राम स्तर से योजना तैयार करने हेतु चिन्हित 13 सैक्टरों (पेयजल, सड़क व पुलिया, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, जलसंग्रहण कार्य, वन विकास, आवास, स्वच्छता, अन्य वकास संबंधी मांगें, पोषाहार एवं कृर्षि) के आवश्यक प्रपत्र, दिशा–निर्देश तैयार किये गये।
2. योजना निर्माण के आरम्भिक चरण में राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गयें।
3. मुख्य आयोजना अधिकारियों को इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में जिला योजना निर्माण से संबंधित दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया एवं प्रशिक्षण के दौरान चिन्हित 13 सेक्टरों के प्रपत्र एवं दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये गये।
4. जिलों में मुख्य आयोजना अधिकारियों द्वारा संबंधित सेक्टरों के जिला स्तरीय अधिकारियों/उपखण्ड़ अधिकारी एवं विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
5. ब्लॉक स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों/विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया।
6. जिला योजना के प्रस्ताव प्राप्त के लिये ग्राम एवं वार्ड़ सभाओं का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर, कार्यक्रम का व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया गया जिससे ग्राम/वार्ड सभाओं में अधिक संख्या में आमजन एवं जन–प्रतिनिधि उपस्थित होकर जिला योजना निर्माण में सक्रिय भागीदार हो सके।
7. निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ग्राम/वार्ड़ सभाआं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में विकेन्द्रीकृत आयोजना के संबंध में जानकारी देते हुए जिला योजना तैयार करने, क्रियान्वयन एवं मोनेटरिंग में स्थानीय निकायों की भूमिका से अवगत कराया गया।
8. इन सभाओं में ग्राम/वार्ड़ के सम्पूर्ण विकास को दृष्टिगत रखते हुए करवाये जाने वाले विभिन्न कार्य्र को सूचीबद्ध कर ग्राम/वार्ड़ सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तथा ग्राम/वार्ड़ सभाओं में इन प्रस्तावित कार्यो पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाकर प्राथमिकताऐं तय की गयी। ग्राम/वार्ड़ सभाओं द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों कों ग्राम सेवक एवं विभागीय कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में संकलन किया जाकर योजना पंचायत समिति स्तर पर प्रस्तुत की गई।
9. पंचायत समिति स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय योजनाआं को इकजाई किया गया तथा प्राप्त प्रस्तावों का विभिन्न विभागों के पंचायत समिति स्तर के अधिकारियों द्वारा उनके निर्धारित विभागीय मापदण्ड़ो के आधार पर Vetting करवायी जाकर निम्न तीन श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया हैः–

   (i) वे प्रस्ताव जो कि विभागीय मापदण्ड़ों के अनुरूप पाये गये।
   (ii) वे प्रस्ताव जो कि विभागीय मापदण्डों के अनुसार नही पाये ंगये, परन्तु औचित्यपूर्ण थे।
   (iii) वे प्रस्ताव जो कि विभागीय मापदण्ड़ों व अन्य दृष्टि से भी औचित्यपूर्ण नही थे।

उक्त प्रस्तावों को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पंचायत समिति स्तरीय योजनाओं में प्राथमिकता से शामिल किया गया एवं पंचायत समिति स्तरीय योजनाऐं पंचायत समिति की साधारण सभा के अनुमोदन पश्चात् जिला स्तर पर प्रेषित की गई।

10. जिला स्तर पर प्राप्त पंचायत समिति स्तरीय योजनाओं को उपलब्ध संसाधनों व विभागीय मापदण्ड़ों के आधार पर जिला योजना में इकजाईकरण कर जिला योजना तैयार की गई। जिला योजना पर जिला आयोजना समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा एवं अनुमोदन के उपरांत ये योजनायें आयोजना विभाग को प्रेषित की गई।

11. 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12 के लिये संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2007–12 हेतु सैक्टर दृष्टि पत्र तैयार किया गया जिसमें जिले की सामान्य जानकारी के साथ–साथ निम्न बिन्दुओं को विस्तृत रूप से सम्मिलित किया गयाः–

(i) संबंधित सैक्टर की राज्य व राष्ट्रीय सूचकांकों की तुलना जिलें की स्थिति (situational analysis i.e. where we are?).

(ii) ग्यारवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस लक्ष्य तक पहुॅचना है?(where we have to reach? Goals & Objectives).

(iii) लक्ष्यों तक कैसे पहुॅचना है? ?(How to reach from here to there? strategies).

(iv) पूर्व चल रही योजनाओं का Critical Evaluation.

(v) योजनाओं पर किये जा रहे निवेश के Successful outcomes हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।

(vi) प्रत्येक योजना के प्रभाव मूल्यांकन (Impact Evaluation)के लिये outcome indicators का निर्धारण।

12. 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना के तहत ग्राम/वार्ड स्तर से प्राप्त प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए ही राज्य की वार्षिक जिला योजना 2007–08, 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 का निर्माण किया गया है।

13. वार्षिक जिला योजना 2011–12 के लिये जिला आयोजना प्रकोष्ठ पंचायतीराज विभाग द्वारा आयोजना विभाग राजस्थान सरकार से प्राप्त आयोजना सीमा का जिलेवार निर्धारण करने हेतु संबंधित 17 प्रमुख विभागों के विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित की जाकर सैक्टोरल आयोजना सीमा का निर्धारण कर सभी जिला स्तरिय अधिकारी एवं मुख्य आयोजना अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। वार्षिक जिला योजना 2011–12 निर्माण प्रक्रियाधीन है।

III पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण :

- पंचायती राज संस्थाआें के जन प्रतिनिधियों / अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके कार्य की कार्य प्रणाली एवं पंचायती राज अधिनियम व नियमों की जानकारी दिये जाने के लिये इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर स्थापित है। इसके साथ ही तीन ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र भी संचालित है।

1.	**ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर (जोधपुर)**	**15 अगस्त, 1960 से**
2.	**पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र डूंगरपुर**	**03 फरवरी, 1994 से**
3	**पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर**	**18 मई, 1996 से**

- इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर मुख्य रूप से ग्राम सेवकों, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं पंचायत प्रसार अधिकारियों का अभिनवकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 दिवसीय) चलाये जाते है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह दिसम्बर 2010 तक आयोजित किये गये प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. माह अप्रेल 2010 से दिसम्बर 2010 तक ग्राम सेवकों के 42 प्रशिक्षण शिविर, पंचायत प्रसार अधिकारियों के 10 प्रशिक्षण शिविर व कनिष्ठ अभियन्ताओं के 8 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये है।
2. इसके अतिरिक्त बी.आर.जी.एफ. जिलों के ग्राम सेवकों का अभिनवकरण प्रशिक्षण ग्राम सेवकों का 24 शिविर आयोजित किये गये।
3. इसके अतिरिक्त वाटर शेड कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के 2 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये।
4. नवनिर्वाचित कनिष्ठ अभियन्ताओं का 12 दिवसीय प्रशिक्षण के 3 शिविर आयोजित किये गये।
5. इस वित्तीय वर्ष में नव निर्वाचित पंचायती राज के सभी लगभग 1 लाख 20 हजार से अधिक पंचायती राज जनप्रतिनिधियों (वार्ड पंच से लेकर जिला प्रमुख तक) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी व ग्रामसेवकगण को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाया गया है।
6. इसके अतिरिक्त बी.आर.जी.एफ. जिलों के ग्राम सेवकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी स्वंय सेवी सस्था आर.के.सी.एल. के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाये जा रहे है।

IV (अ) जिला परिषदों/पंचायत समितियों के भवनों का विस्तार/ मरम्मत :

- जिला परिषद्ों/पंचायत समितियों की आवश्यकतानुसार भवनों का विस्तार/परिवर्तन/ परिवर्धन/मरम्मत के लिये 50 प्रतिशत राशि निजी आय से उपलब्ध होने पर 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आयोजना मद से उपलब्ध करायी जाती है। इस हेतु वर्ष 2010–11 में 50 लाख का प्रावधान है। जिसके विरूद्ध कार्यो की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(ब) नवगठित 11 पंचायत समितियों के भवनों का निर्माण

राज्य में 11 नवीन पंचायत समितियों का गठन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2010–11 की पालना में नवगठित पंचायत समितियों के भवन निर्माण हेतु 550.00 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। उदयपुर जिले की ऋषभदेव पंचायत समिति (न्यायालय का स्थगन आदेश) को छोडकर शेष सम्बन्धित पंचायत समितियों को राशि का आवंटन कर दिया गया है।

V विभागीय प्रकाशन :

पंचायती राज विभाग द्वारा 'राजस्थान विकास' पत्रिका का प्रकाशन माह अगस्त, 1983 से नियमित किया जा रहा है। पत्रिका में पंचायती राज से सम्बन्धित आलेख, विभाग द्वारा समय–समय पर निकाले गये आदेशों, निर्देश एवं अधिसूचनाएं, परिपत्रों, पंचायती राज जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीण जनता के उत्थान की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही ग्रामीण परिवेश की कहानी, कविता और लघुकथा प्रकाशित किये जाने का प्रावधान है।

अक्टूबर–दिसम्बर, 2010 अंक पंचायती राज पर केन्द्रित है। पत्रिका के इस अंक का विमोचन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री माननीय श्री भरत सिंह द्वारा 13 जनवरी 2011 को जयपुर में किया गया। आलोच्य अवधि में माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री महोदय के कार्यक्रमों के मुख्य समाचारों का संकलन किया गया है। हस्तांतरित पांचों विभागों के क्रियाकलापों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रकाशित की गई है।

इसी प्रकार विभाग की विभिन्न योजनाओं विषयक'' नागरिक अधिकार पत्र'' भी प्रकाशित करवाया गया। 'राजस्थान विकास' पत्रिका का नवीनतम प्रकाशित अंक पंचायती राज की वेबसाइट **www.rajpanchayat.gov.in** पर भी उपलब्ध रहता है।

VI जनप्रतिनिधियों की जाँच :

पंचायती राज संस्थाओ के जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध बकाया जाँच प्रकरणों में विभागीय स्तर पर 364 प्रकरणों का निस्तारण विधिवत नियमों की पालना करते हुये वर्ष 2010 में किया गया जिसमें 139 प्रकरण जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 एवं 39 के तहत कार्यवाही की जाकर परिनिर्णय लेखबद्ध/अयोग्य घोषित किया गया, 165 प्रकरण परीक्षण उपरान्त समाप्त किये गये, 35 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति देने/ नहीं देनें का निर्णय लिया जाकर निस्तारण किया गया।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 (ठ) के तहत कुल 15 प्रकरण निर्णित किये जाकर जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर अयोग्य

घोषित किया गया। उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर होने के कारण धारा 19 (ठ) के प्रकरणों में माह अप्रेल, 2008 से कार्यवाही नही की जा रही हैं।

VII वित्तीय प्रबंध :

- पंचायती राज विभाग के द्वारा मुख्यतयाः पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक नियंत्रण तथा संस्थापन व्यय के प्रबंधन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की अभिशंषा के अनुसार अनुदान राशि का उपयोग ग्रामीण विकास के कार्यो में किया जाता है।

- 1.4.2010 से 31.12.2010 तक पंचायती राज के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को दी गई राशियों का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रूपयों में)

क्र. स.	मद	1.4.2010 से 31.12.2010 तक			
		आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो	योग
1.	2515–पंचायती राज के कार्मिकों के वेतन भत्तों हेतु (जिला परिषद्/पंचायत समिति)	150.21	–	–	150.21
2.	2515–राज्य वित्त आयोग के तहत अनुदान	–	-	–	-
3.	2515–तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुदान	201.53	–	–	201.53
4.	2515–पिछड़ा जिला विकास कोष (बी.आर.जी.एफ.)	–	166.06	–	166.06
5.	2515– चुंगी के बदले अनुदान	2.00	–	–	2.00
6.	2515–प्रशिक्षण केन्दों के लिए	0.62	–	–	0.62
7.	2515–जिला आयोजना कार्यालयों का संस्थापन्न व्यय	6.19	–	–	6.19
8.	2515–मुख्यालय के संस्थापन्न हेतु	4.34	–	–	4.34
9.	2515–जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण	–	–	–	–
10.	2515– निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना	–	2.02	–	2.02
11.	2515– निर्बन्ध राशि योजना	–	8.25	–	8.25
12.	2515– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	–	–	–	–
13.	2215–पेयजल सप्लाई/हैण्ड पम्प संधारण एवं कार्मिकों के वेतन भत्तें	26.95	–	–	26.95
14.	2401–कृषि सहायकों के लिए	–	–	–	–
15.	4515– अन्य	–	5.50	–	5.50
	कुल योग	391.84	181.83		573.67

बजट 2010–11, एक दृष्टि में (बी.ई. 2010–11 के अनुसार) :

(अ) कुल उपलब्ध राशि : (राशि करोडों में)

क्र. स.	मद	राशि	प्रतिशत
1.	आयोजना–भिन्न	358.58	44.05
2.	आयोजना	455.52	55.95
3.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	0.00	0.00
	कुल योग	**814.10**	**100.00**

(ब) प्रयोजन जिसके लिए राशि उपलब्ध होगी :

(करोड़ रूपयों में)

क्र. स.	मद	राशि	प्रतिशत
1.	संस्थापन हेतु	358.58	44.05
2.	योजनाओं की कियान्विति हेतु	455.52	55.95
	कुल योग	**814.10**	**100.00**

(स) संस्थाएं जिनके द्वारा राशि का उपयोग किया जावेगा :

(करोड़ रूपयों में)

क्र. स.	मद	राशि	प्रतिशत
1.	जिला परिषद्	23.22	2.85
2.	पंचायत समिति	339.14	41.66
3.	ग्राम पंचायत	437.95	53.80
4.	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र	0.89	0.11
5.	मुख्यालय व्यय	6.18	0.76
6.	जिला स्तर पर संस्थापन व्यय	6.72	0.82
	कुल योग	**814.10**	**100.00**

(द) व्यय का माध्यम :

(करोड़ रूपयों में)

क्र. स.	मद	राशि	प्रतिशत
1.	कोष कार्यालय के माध्यम से	391.30	48.06
2.	निजी निक्षेप खातों के माध्यम से	422.80	51.94
	कुल योग	**814.10**	**100.00**

1. अंकेक्षण एवं विशेष लेखा जाँच :

- महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं पर हुये व्यय का अंकेक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है।
- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा समस्त पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण किया जाता है जबकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा सभी जिला परिषदों, सभी पंचायत समितियों तथा लगभग एक तिहाई ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में (यदि गबन आदि की सम्भावना हो) विशेष जाँच व अंकेक्षण भी कराया जाता है। अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना का कार्य मुख्यालय द्वारा जिला परिषदों व पंचायत समितियों से समन्वय कर, किया जाता है।

2. महालेखाकार अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति :

- महालेखाकार अंकेक्षण आक्षेपों में 1.4.2010 से 31.12.2010 तक जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों से अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त कर 536 आक्षेपों का निस्तारण करवाया गया।
- अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति निम्नानुसार है :–

विवरण	जिला परिषद् एवं पंचायत समितियाँ
1.4.2010 को शेष	17439
1.4.2010 से 31.12.2010 तक जुड़े	1439
1.4.2010 से 31.12.2010 तक निस्तारण	536
31.12..2010 को शेष	18342

3. गबन प्रकरणों का निस्तारण :

- माह दिसम्बर, 2010 तक पंचायती राज संस्थाओं में रूपये 50,000 व अधिक राशि के 280 (पोषाहार के प्रकरणों को छोडकर) गबन प्रकरणों में रूपये 6.55 करोड़ बकाया है। इन गबन प्रकरणों में से रूपये 1.78 करोड़ की वसूली कर ली गई है। शेष गबन प्रकरणों में वर्णित राशि की वसूली की कार्यवाही जारी है।

4. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति :

- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के 1.4.2010 से 31.12.2010 तक 4196 आक्षेपों का निस्तारण करवाया गया। शेष आक्षेपों के निस्तारण हेतु स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर के साथ जिला स्तर पर सामूहिक अभियान आयोजित किये जा रहे हैं।
- **अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति निम्नानुसार है :–**

विवरण	**जिला परिषद् एवं पंचायत समितियाँ**
1.4.2010 को शेष	42492
1.4.2010 से 31.12.2010 तक जुड़े	10842
1.4.2010 से 31.12.2010 तक निस्तारण	4196
1.12.2011 को शेष	49138

VIII पंचायतीराज की योजनायें

1. तेरहवां वित्त आयोग :

प्रस्तावना

- तेरहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2010–15 (5 वर्ष) है। राजस्थान राज्य की पंचायती राज संस्थओं हेतु आयोग वित्तीय वर्ष 2010–11 से सामान्य बुनियादी अनुदान, सामान्य निष्पादन अनुदान तथा विशेष क्षेत्र सामान्य बुनियादी अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान का वर्ष 2011–12 से प्रावधान किया गया है।
- सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान के लिये आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को़ पूर्ण करना आवश्यक होगा।

उददे्श्य

- तेरहवें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाले अनुदान से उपयोग से पूर्ण किये जाने वाले प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

    1. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संबंधी सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने एवं इसे सुव्यवस्थित करने हेतु आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना।
    2. ग्रामीण स्वच्छता एवं मलजल व्यवस्था ठोस अपशिष्ठ पदार्थ प्रबंधन की व्यापक अवधारणा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थाओं, सामुदायिक परिसंपत्तियों विद्यालयों आदि में स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु शौचालयों/मूत्रालय का निर्माण कराने, ग्रामीण परिवारों के आवास गृहों में निजी शौचालय स्थापित करने को प्रोत्साहित करने, उपशिष्ट का सुरक्षित ढ़ग से निपटान, ग्रामीण वातावरण में सामान्य साफ–सफाई और स्वच्छता बनायें रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। स्ट्रीट लाईटों को सेवा के स्वीकार्य स्तर पर मुहैया कराना।
    3. पंचायती राज संस्थाओं में डाटाबेस सृजन और पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के उपयुक्त संधारण की व्यवस्था करना।
    4 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं से सम्बन्धित परिसम्पतियों का रख रखाव तथा समूचित संधारण करना।

कार्यकारी ऐजेन्सी

- तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु कार्यकारी ऐजेन्सी ग्राम पंचातयी ही होगी। जिला परिषद एवं पंचायत समिति उक्त अनुदान के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी।

राशि का अन्तरण

- पंचायती राज संस्थाओं हेतु 13 वें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त राशि में से राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य के 33 जिलो हेतु राशि आवंटन के संबंध मं निर्धारित किये गये जिलेवार भारांकन के आधार पर प्रत्येक जिले को आवंटित होने वाली कुल राशि में से प्रत्येक किश्त की कुल राशि की 3 प्रतिशत राशि जिला परिषदो के पी. डी.खातों में एवं 12 प्रतिशत राशि पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में तथा 85 प्रतिशत का आवंटन ग्राम पंचायतों को बैंकिग चैनल से बैक खातो में किया जावेगा। पंचायत समितियों को होने वाले अन्तरण की पंचायत समितिवार सूचना विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा लेखाधिकारी जिला परिषद को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।
- जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को उक्तानुसार उपलब्ध करायी जाने वाली क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत राशि का उपयोग ऐसी ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने हेतु किया जायेगा जिनमें जनसंख्या के अनुपात में उपरोक्ताानुसार प्राप्त होने वाली राशि उन ग्राम पंचायतों की पेयजल एवं स्वच्छता की समग्र आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। इस हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और 13 वे वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि/संसाधन की मांग ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप संबंधित पंचायत समिति अथवा जिला परिषद से की जायेगी, जिसका परीक्षण संबंधित पंचायत समिति अथवा जिला परिषद 13 वें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों में अंकित उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए किया जाकर संबंधित ग्राम पंचायत को अतिरिक्त राशि/संसाधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे। अतिरिक्त राशि/संसाधन का आवंटन करते समय जिला परिषद एवं पंचायत समितियॉ यह अवश्य ध्यान में रखेंगे कि उक्तानुसार किये जाने वाले अतिरिक्त आवंटन से ग्राम पंचायतों में सामान्य तौर पर समानुपातिक विकास हो सके।

सम्पादित करवाये जाने वाले कार्य

- तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान के उपयोग के लिए योजनाओं के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार कार्य कराये जायेगेः–

  1. पेयजल आपूर्ति हेतु कुंओं एवं पानी की सार्वजनिक टंकियों का निर्माण।
  2. बावड़ियों, टांकों, कुओं, पनघट, हैंडपम्प आदि जिनसे पेयजल आपूर्ति हो सुदृढ हो सके, का जीर्णोद्धार/निर्माण/संवर्धन/तथा खराब हैंण्डपम्पों का उचित संधारण कराना।
  3. पेयजल संग्रहण स्थानों जैसे कुऍ, पानी की टंकियॉ इत्यादि से ग्रामीण जन के आवासों/शिक्षण/संस्थाओं/सामुदायिक/भवनों आदि तक पेयजल आपूर्ति हेतु आवश्यक पाईपलाईन बिछाने की व्यवस्था करना।
  4. सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सार्वजनिक शौचालयों/चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6. पंचायत क्षेत्रों में गदें पानी के निकास हेतु नालियों का निर्माण
7. तरल एवं ठोस अपशिष्ठ के निपटान एवं निकास के लिए व्यवस्था करना।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाने वाले हाट बाजार, मेला स्थल, सार्वजनिक, प्रदर्शनी स्थल आदि के लिए चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
9. पंचायत क्षेत्र में कूडें करकट के निपटान एवं सामन्य साफ–सफाई बनाये रखने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करना।
10. ग्रामीण जन को स्वच्छ पेयजल तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता की महत्ता संबंधी विषय पर उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लघु–पुस्तिकाओं, पम्पलैट्स, आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार की यथावश्यक व्यवस्था करना। स्ट्रीट लाईटों की सेवा के स्वीकार्य स्तर पर मुहैया कराने की व्यवस्था करना।
11. पंचायत क्षेत्र में ऐसे स्थल जहां गंदे पानी के एकत्रित हाने की संभावना हो जिससे मच्छर पनपने अथवा बीमारी फेलने का अंदेशा हो सकता हो, का चिह्नीकरण कर उपचारात्मक उपाय करना।
12. ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे शौचालयों को फ्लश वाले शौचालयों में बदलना और यदि कही हो तो, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की उपयुक्त व्यवस्था करना।
13. भूमिगत जलस्त्रोंतो से पेयजल आपूर्ति हेतु टंकियों में जलसंग्रहण करने हेतु यदि आवश्यकता प्रतीत होती हो तो, यंत्र/मोटर के संधारण की उचित व्यवस्था करना।
14. ऐसे अन्य कार्य जिनसे तेरहवें वित्त आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों में उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सके।

प्रगति

- योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2010 तक भारत सरकार से प्रथम किस्त की राशि बेसिक ग्रान्ट के रूप में 185.03 करोड़ रूपये (सामान्य में 183.34 एवं स्पेशल ऐरिया में 1.69 करोड़ रूपये) प्राप्त कर उसे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई है।

(राशि करोडों में)

वर्ष	तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश	भारत सरकार से प्राप्त राशि	जिलों को हस्तांतरित राशि
2010-11	370.10	185.03	185.03

2. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रक्रिया राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए उक्त योजनान्तर्गत राशि रू. 15000.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

3. रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आंवटन

- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के प्रावधानों में संशो0 कर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दरों (2 रूपये से 10 रूपये, प्रति वर्ग मीटर) पर आंवटित किये जा सकेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के निम्नांकित कमजोर वर्गों के ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं हो, पात्र होंगेः–
    - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार
    - स्वच्छकारों व पिछड़े वर्गों के परिवार
    - ग्रामीण कारीगर (आर्टिजन के परिवार)
    - श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन परिवार
    - विकलांग व्यक्ति
    - गाडिया लुहार, यायावर (घुमक्कड) जनजातियों के परिवार
    - ऐसे बाढ़ग्रस्त परिवार जिनके गृह बाढ़ में बह गये हैं या गृह या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं।
    - सरहद पर पूर्व सैनिक
- पात्र परिवार के उन परिवारों को प्राथमिकता दी जावेगी जिन्होंने परिवार नियोजन को स्थायी रूप से अपना लिया है। उपरोक्त पात्र परिवारों के वयस्क विवाहित पुत्र जो इनके साथ एक ही स्थान पर रहता है किन्तु अब वह पृथक से रहने की इच्छा रखता है, तो जिसके पास कृषि भूमि या अन्य स्थान पर स्वयं का कोई आवासीय भूखण्ड अथवा मकान न हो तो वह भी भूखण्ड पाने का पात्र होगा।

निःशुल्क आवासीय भू–खण्ड आवंटन–

- पंचायतों को सशक्त करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे (बी.पी.एल. में चयनित) परिवारों, घुमक्कड भेडपालकों के परिवारों को निःशुल्क भू–खण्ड आवंटन करने की शक्तियां पंचायतों को दिये जाने हेतु नियम 158 में संशोधन के आदेश दिनांक 9.4.07 एवं 18.6.07 को जारी कर दिये गये है।
- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अंतर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे, कब्जों के आधार पर जारी करने का प्रावधान था। अब राज्य सरकार ने नियम 157 में दिनांक 9.4.07 से संशोधन कर दिया गया है। गाँवों में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए कोई भू–खण्ड नहीं है लेकिन उन्होंने वर्ष 1996 के बाद आबादी भूमि पर झौंपड़ी अथवा टापरी का निर्माण कर लिया है। ऐसे परिवार जिनके पास न कोई भू–खण्ड है और न ही कोई अन्य मकान है, उनके वर्ष 2003 तक के कब्जे नियम 157 (2) के तहत निःशुल्क नियमित कर दिये जायेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नियमन करने पर पट्टे अब केवल महिलाओं के नाम से ही जारी किये जायेंगे।

- ग्राम पचांयतों द्वारा दिये जाने वाले भूखण्डो में से 30 प्रतिशत विधवा/निराश्रित महिलाओं को आवंटित करने बाबत नियमों में संशोधन कर दिया गया है।

रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आंवटन की वर्षवार प्रगति निम्नानुसार हैः–

वर्ष	लक्ष्य	अ.जाति	अ.ज.जाति	अन्य	योग
2007–2008	17000	8098	5211	10255	23564
2008–2009	17000	5851	2971	7993	16815
2009–2010	17000	4923	2561	5952	13436

नियम 158 के तहत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन की वर्षवार प्रगति निम्नानुसार हैः–

वर्ष	लक्ष्य	अ.जाति	अ.ज.जाति	अन्य	योग
2007–2008	13000	4265	3033	7718	15016
2008–2009	13000	6175	4473	9369	20017
2009–2010	13000	5387	3194	5755	14336

नियम 157 के तहत पुराने भवनों के पट्टे जारी करने की वर्षवार प्रगति निम्नानुसार हैः–

वर्ष	अ.जाति	अ.ज.जाति	अन्य	योग
2007–2008	12238	6266	29876	48380
2008–2009	8116	4297	16120	28533
2009–2010	6888	3826	13439	24153

नियम 157(2) के तहत कब्जों के आधार पट्टे जारी करने की वर्षवार प्रगति निम्नानुसार हैः–

वर्ष	अ.जाति	अ.ज.जाति	अन्य	योग
2007–2008	6468	4215	12206	22889
2008–2009	5232	3386	11627	20245
2009–2010	4272	2697	7693	14662

- वित्तीय वर्ष 2010–11 मे माह दिसम्बर, 2010 तक प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 की प्रगति सहित **नियम 158 के तहत** रियायती दर पर 51892 आवासीय भूखण्ड आंवटन, 106697 **पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन,** नियम 157 के तहत 255527 पुराने भवनों के पट्टे एवं 20632 कब्जों के आधार पट्टे जारी किये गये, इस प्रकार कुल 434748 पट्टे जारी किये जा चुके है।

4. पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (*BRGF*) कार्यक्रम

- उद्देश्य– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित जिलों के पिछडेपन को दूर करने हेतु प्रमुखयता ढ़ॉचागत विकास एवं दक्षता निर्माण के क्षेत्र में प्रभावी कार्य करते हुये क्षेत्र का समेकित आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है।

- **प्रगति** – वित्तीय वर्ष 2010–11 में रूपये 28852.00 लाख का वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध भारत सरकार से दिसम्बर, 2010 तक 26071.00 लाख रूपये की राशि प्राप्त हो गई है। जिसे कार्यकारी संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

    - विकास कोष के तहत वार्षिक योजना 2009–10 की द्वितीय किस्त के रूप भारत सरकार से रूपयें 4524.00 लाख प्राप्त हुए है जो संबंधित चार जिलों को हस्तान्तरित कर दिये गये है। वार्षिक योजना 2010–11 की प्रथम किस्त के विरूद्ध 12082.00 लाख रूपये प्राप्त हुए है जिन्हें जिलो को हस्तान्तरित कर दिये गये है। वार्षिक योजना 2010–11 की द्वितीय किस्त के रूप में 9465.00 लाख रूपयें की राशि भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है जिसे जिन्हे जिलों को हस्तान्तरित कर दिये गये है। तीन जिलों की राशि रूपयें 3552.00 लाख रूपयें प्राप्त होना अपेक्षित है।
    - आलौच्च वर्ष 2010–11 में कार्यकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध राशि 27162. 32 लाख के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2010 तक 20837.71 लाख रूपये की राशि व्यय हो चुकी है। योजनान्तर्गत 16212 कार्य करवाने के लक्ष्य के विरूद्ध 4819 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है तथा 8488 कार्य प्रगतिरत है।

- पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम आरम्भ किया है। कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों के कुल 250 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें राज्य के 12 जिलों यथा– बांसवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, करौली, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर सम्मिलित थे। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिलों का पुनर्गठन कर नवसृजित किये गये प्रतापगढ़ जिले को भी वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत सम्मिलित किया गया हैं। राज्य स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग मनोनीत किया गया है। जिला स्तर पर अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी है।

- योजना के तहत भारत सरकार द्वारा क्षमता निर्माण एवं विकास कोष हेतु शत–प्रतिशत अनुदान राशि 1. क्षमता निर्माण एवं 2 विकास कोष मद में उपलब्ध करवाई जाती हैः–

1. क्षमता निर्माण निधि

- इस मद में मूलतः नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी, लेखांकन, जवाबदेही तथा पारदर्शिता के अनुसार सुधार की क्षमता जुटाना आदि प्रमुख है। पंचायत समिति स्तर पर पंचायत रिसोर्स सेन्टर स्थापित किये जाकर इन केन्द्रों पर आउटसोर्सिंग के जरिये विषय विशेषज्ञों की सेवायें लिये जाने का भी प्रावधान रखा हुआ है। इस मद में प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष 1.00 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।
- क्षमता निर्माण_वार्षिक योजना वर्ष 2006–07 हेतु 7.87 करोड की राशि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में विभाग को उपलब्ध कराई गई थी। उक्त राशि का उपयोग जिला एंव पंचायत समिति स्तर पर तकनीकी सेवाओं की

आउटसोर्सिंग, कार्यालय व्यय, ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटरीकरण एवं बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर पर जनप्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण एवं आर्थिक पिछडेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिये बेसलाइन सर्वे हेतु किया गया है। इस मद में स्वीकृत राशि 7.87 करोड़ के विरूद्ध वर्तमान तक राशि रूपये 7.33 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

- क्षमता निर्माण मद योजना 2007–10 के तहत भारत सरकार द्वारा 32.08 करोड़ की राशि जारी की गई है। उक्त राशि का उपयोग जिला एंव पंचायत समिति स्तर पर तकनीकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग, पंचायत रिसोर्स केन्द्र की स्थापना मॉनेटेरिंग एवं सहायता केन्द्रो की स्थापना जिला योजना निर्माण हेतु तकनीकी सेवाओं की आउट सोर्सिंग, मूल्यांकन स्टेडी, ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण एवं प्रशिक्षणों का आयोजन आदि कार्यो में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि 32.08 करोड़ के विरूद्ध वर्तमान तक राशि रूपये 17.36 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2. विकास कोष मद

- इस मद में राशि का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों के रूप में चयनित जिलों की आधारभूत संरचना में व्याप्त Critical Gaps को भरने हेतु किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निम्न मानदण्डों के आधार पर राशि जारी की जाती हैः–

  (क) प्रत्येक जिले को न्यूनतम 10 करोड़ धनराशि प्रतिवर्ष।

  (ख) बाकी बची 50 प्रतिशत राशि सभी पिछड़े जिलों की कुल आबादी में उस जिले की जनसंख्या के हिस्से के आधार पर एवं शेष 50 अनुपात जिलों के कुल क्षेत्रफल में उस जिले के हिस्से के आधार पर आवंटित की जाती है।

- कार्यक्रम के विकास कोष के तहत प्रत्येक वर्ष में राज्य को 250.99 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है। उपरोक्त फार्मूले के आधार पर प्रत्येक चयनित जिले को उपलब्ध होने वाली राशि का निर्धारण, भारत सरकार के स्तर पर किया हुआ है परन्तु बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिले को पुर्नगठन के उपरान्त नवसृजित प्रतापगढ़ जिले को भी राशि आवंटन करने हेतु बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिले को उपलब्ध कराने वाली राशि में से आनुपातिक राशि प्रतापगढ़ के लिये आरक्षित करते हुए 13 जिलों को उपलब्ध होने वाली राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया गया हैः–

(राशि करोडों में)

1	बासंवाडा	15.56	2.	बाडमेर	33.59
3.	चित्तौडगढ	14.53	4.	डूंगरपुर	15.04
5.	जैसलमेर	37.11	6.	जालौर	20.45
7.	करौली	16.64	8.	सवाई माधोपुर	15.70
9.	सिरोही	15.38	10.	टोंक	11.59
11.	उदयपुर	23.13	12.	झालावाड	16.85
13.	प्रतापगढ	9.41			

ग्राम पंचायतों/नगर निकायों के मध्य राशि का वितरण –

- जिले को उपलब्ध होने वाली राशि में से ग्राम पंचायतों एवं नगरनिकायों के मध्य राशि का वितरण, जिले की 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है।
- जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में ग्राम पंचायतों/वार्डो के मध्य राशि का वितरण निम्नानुसार किया जा रहा हैः–
    - ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के लिये उपलब्ध होने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों/वार्डो में वर्ष 2002 की बी.पी.एल. सेन्सस के दौरान चिन्हित बी.पी.एल. परिवारों की संख्या के अनुपात में किया जाता है ताकि बी.पी.एल. परिवारों की अधिकता वाली ग्राम पंचायतों/वार्डो को योजनान्तर्गत अधिक राशि उपलब्ध हो सके।
    - शेष 50 प्रतिशत राशि का ग्राम पंचायतों/वार्डो के मध्य वितरण उनकी 2001 की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

वित्तीय प्रगति

- विकास कोष के तहत वर्तमान तक राशि रूपये 759.80 करोड़ राशि प्राप्त हो चुकी है जिसके विरूद्व वर्तमान तक राशि रूपये 69834.96 करोड़ (92.00 प्रतिशत) व्यय हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल उपलब्ध राशि रूपये 271.62 करोड़ के विरूद्व 208.38 करोड़ (76.72 प्रतिशत) का व्यय कर लिया गया है जो वार्षिक योजना 2010–11 की द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित स्तर से अधिक है।
- भारत सरकार को वार्षिक योजना 2010–11 की द्वितीय किश्त की राशि आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है एवं वर्तमान तक 9 जिलों के लिये राशि रूपये 94.65 करोड़ की राशि भी जारी की जा चुकी है। शेष 3 जिलों को भी द्वितीय किश्त राशि शीध्र ही प्राप्त होना संभावित है।

5. निर्बन्ध राशि योजना

- 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना के लिए ग्राम/वार्ड सभाओं के माध्यम से प्राप्त विकास कार्यो की क्रियान्विति को मूर्तरूप देने के उददेश्य से यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से आरम्भ की गई। प्रत्येक जिले को योजनान्तर्गत 1–1.00 करोड़ रूपये निर्बन्ध राशि के रूप में उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान किये हुए है।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 32.00 करोड़ रूपये जिले को उपलब्ध करवाये गये थे परन्तु वित्तीय वर्ष 2008–09 में 32 करोड़ के प्रावधानों को वित्त विभाग द्वारा संशोधित कर 16.00 करोड़ कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप जिलों को 50 प्रतिशत राशि ही उपलब्ध करवाई गई। वित्तीय वर्ष 2009–10 में योजनान्तर्गत प्रावधित राशि 16.50 करोड़ के विरूद्व 16.00 करोड़ की राशि जिले को विगत वर्ष के अपूर्ण कार्यो के लिये हस्तान्तरित की गई है। इस प्रकार जिलों को वार्षिक योजना 2009–10 के लिये योजनान्तर्गत कोई भी राशि उपलब्ध नही

करवाई जा सकी है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजनान्तर्गत प्रावधीत राशि के विरूद्ध राशि रूपये 8.25 करोड रूपये उपलब्ध करवाई गई है।

- योजनान्तगर्त वर्ष 2007–2008 में आवंटित राशि 3171.00 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर 2010 तक 2831.66 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है, जो कि आंवटित राशि का 89.30 प्रतिशत है। तथा वर्ष 2008–2009 में आवंटित राशि 3200. 00 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर 2010 तक 2811.30 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है, जो कि आंवटित राशि का 87.85 प्रतिशत है।
- निर्बन्ध राशि की वार्षिक योजना 2007–08 में स्वीकृत 1649 कार्यो के विरूद्व 1387 कार्य पूर्ण करा लिए गये है, एवं 96 कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार वार्षिक योजना 2008–09 में स्वीकृत 1559 कार्यो के विरूद्व 1274 कार्य पूर्ण करा लिए गये है, एवं 116 कार्य प्रगति पर है। वार्षिक योजना 2010–11 के लिये योजनान्तर्गत आवंटित राशि रूपये 8.25 करोड के विरूद्व 150 कार्यो की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है।

6. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

- यह योजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। जिसमें 75 प्रतिशत की राशि भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। योजनान्तर्गत भवन रहित नवीन पंचायत भवनों का निर्माण कार्य एवं पंचायत भवनों के विस्तार/जिर्णोद्धार के कार्य होते है। इस में 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/आवंटित की जाती है।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में भारत सरकार द्वारा माह दिसम्बर 2009 में रिलीज द्वितीय किश्त रूपये 300.00 लाख एवं राज्य मद की मैचिंग शेयर राशि 100.00 लाख इस प्रकार कुल 400.00 लाख की राशि हस्तांतरित की गई । उक्त राशि के अन्तर्गत 16 जिलों में 88 नवीन ग्राम पंचायतों भवनो के निर्माण एवं 158 ग्राम पंचायत भवनो के विस्तार/जिर्णोद्वार के स्वीकृत कार्यो में से वित्तीय वर्ष 2010–11 में कार्य प्रारंभ करवाये जाकर 42 कार्य पूर्ण एवं 159 कार्य प्रगति पर है तथा आवंटित राशि के विरूद्व माह दिसम्बर 2010 तक 187.45 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजनान्तर्गत 0.01 लाख रू0 का प्रावधान है।

7. निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना

- सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान किये जाते है। ऐसी पुरस्कृत ग्राम पंचायतों को राज्य स्तर पर भी लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य में निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2007–08 से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को निम्नानुसार पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने के प्रावधान हैः–
- निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि रूपये 1.00 लाख, यदि किसी पंचायत समिति में 10 से अधिक ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम

पुरस्कार प्राप्त होता है तो उस पंचायत समिति को राशि रूपये 5.00 लाख, 30 से अधिक पुरस्कृत पंचायतों वाली जिला परिषद को राशि रूपये 10.00 लाख।

प्रगति

- निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य सरकार द्वारा 23 ग्राम पंचायतों को लाभान्वित किया गया था।
- भारत सरकार द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार–2008 के लिये राज्य की 141 ग्राम पंचायतों एवं निर्मल ग्राम पुरस्कार वर्ष 2009 के तहत 43 ग्राम पंचायतो को पुरस्कृत किया गया है। इन 184 ग्राम पंचायतों में बीकानेर जिले की पंचायत समिति लूणकरणसर एवं श्री गंगानगर जिले की पंचायत समिति पदमपुर तथा जिला परिषद बीकानेर को भी पुरस्कृत किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2010–2011 में पुरस्कृत 184 ग्राम पंचायतों के लिये 184.00 लाख, पंचायत समिति लूणकरणसर एवं पदमपुर को राशि रूपये 5–5 लाख एवं जिला परिषद बीकानेर को राशि रूपये 10.00 लाख योजनान्तर्गत 204.00 लाख विभागीय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 651 दिनांक 25.10.10 द्वारा स्वीकृत की गई है। ग्राम पंचायत शीथल एवं आलमपुर पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर के नगर पालिका में विलय होने के कारण राशि रूपये 2.00 लाख वित्त विभाग के निर्देशानुसार राज्य मद में पुनः जमा कराई गई है।
- वित्तीय वर्ष 2011–2012 में योजनान्तर्गत टोकन राशि रूपये 0.01 लाख प्रावधित है।

8. सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम

- सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में इसे केवल 4 जिलों में ही शामिल किया गया था और वर्ष 2005–06 तक चरणबद्ध तरीके से इसे राज्य के समस्त जिलों में लागू किया गया । इस कार्यक्रम के तहत मुख्यतः घरेलू, विद्यालय, आगनवाडी केन्द्रों व सामुदायिक भवनों में शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट एवं गन्दे पानी के निकासी की गतिविधियां प्रमुख है।
- यह कार्यक्रम मांग आधारित र्थना पर परिकल्पित है इसके अन्तर्गत बी.पी.एल. द्वारा शौचालय निर्माण हेतु कुल 2500 रूपये प्रति शौचालय (2200 राजकीय अनुदान एवं 300 लाभार्थी द्वारा), विद्यालय में शौचालय हेतु 35000 रूपये (दो यूनिट महिला/पुरूष), आंगनबाडी में 8000 रूपये का अनुदान दिया जाता है। शेष गतिविधियों पर कोई अनुदान देय नही है।
- सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम मंत्रीमण्डल संचिवालय की अधिसूचना दिनांक 30.11.2010 की पालना में अब पंचायती राज विभाग स्तर से क्रियान्वित किया जाना है। इस कार्यक्रम को लागू करने हेतु अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नोडल विभाग बनाया गया है।
- राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम को दिशा देने एवं निगरानी हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वच्छता एवं सेनीटेशन मिशन गठित है। जिला स्तर पर प्रमुख जिला परिषद की अध्यक्षता में जला एवं सेनीटेशन मिशन एवं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला एवं स्वच्छता कमेटी गठित है। जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा इस कार्यक्रम की जिला योजना तैयार कर भारत सरकार को भिजवाई जाती है।

जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रति वर्ष प्रगति के आधार पर धनराशि जारी की जाती है।

- जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को लागू करने हेतु एक जिला समन्वयक अनुबंध के आधार पर जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा रखा जाता है। इसी तरह ब्लाक स्तर पर भी ब्लाक कार्डीनेटर अनुबंध पर रखा जाता है। इस कार्यक्रम के समस्त लेखा जोखा एवं धनराशि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संधारित किए जाते है। इस प्रकार यह कायर्यक्रम जिला परिषद व जिला कलेक्टर द्वारा ही जिला स्तर पर संचालित किया जाता हैं।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के दोरान जिलों को आंटित राशि 3613.35 लाख के विरूद्ध माह दिसम्बर तक 3179.00 लाख रू0 व्यय कर 152000 व्यक्तिगत शौचालय (*BPL* परिवारो के लिये), 5138 स्कूल शौचालय एवं 1262 आंगनबाडी शौचालयों का निर्माण कराया गया।

राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम
(मिड– डे मील कार्यक्रम)

परिचय

- मिड–डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सभी 33 जिलों में समस्त राजकीय, राज्य अनुदानित शालाओं, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों तथा मदरसों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययरनत विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उद्देश्य

- कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सार्वजनिकरण, नामांकन में वृद्धि एवं बच्चों का शाला में ठहराव सुनिश्चित करना तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी

- कक्षा 1 से 8 तक कुल **80,670** सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत कुल **74.94 लाख** छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- प्रारम्भ में कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सरकारी, अनुदानित एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केन्द्रों तथा मदरसों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन कर रहे सभी छात्र–छात्राओं का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था परन्तु अक्टूबर परन्तु अक्टूबर, 2007 में भारत सरकार द्वरा मिड–डे मील कार्यक्रम का विस्तार कक्षा 1 से 8 तक छात्रों के लिए कर दिया गया।
- यह कार्यक्रम सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत समितियों एवं शहरी एवं नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका/नगर परिषद् एवं नगर निगमों की है। विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शाला विकास प्रबन्ध समिति (एस.डी.एम.सी.) की है।
- राज्य सरकार द्वारा सूखा ग्रस्त घोषित क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध सहायता

- भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 100 ग्राम एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र प्रति कार्य दिवस की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
- भोजन बनाने के लिए भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2010–11 से प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन के लिए लागत राशि में वृद्धि की गई है। अब प्राथमिक स्तर के प्रतिछात्र प्रतिदिन राशि रूपये 2.69 (पूर्व में रूपये 2.08) तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए रूपये 4.03 (पूर्व में रूपये 2.60) का प्रावधान किया गया है जिसमें केन्द्र मद एवं राज्य मद से क्रमशः 75 : 25 की दर से भारित होगी।
- भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत रसोईघर निर्माण, खाना पकाने/बनाने/वितरण एवं भोजन ग्रहण करने के बर्तन एवं रसोई उपकरण क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार गत तीन वर्षों के कुल प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

क्र.स	मद	वर्ष 2008–09	वर्ष 2009–10	वर्ष 2010–11*
1	खाद्यान का आवंटन क्विं	12,45,638	13,24,438	11,50,499
2	खाद्यान का उठाव क्विं	12,44,000	13,00,241	11,41,483
3	खाद्यान का उपयोग क्विं	13,37,621	15,16,530	11,65,125
4	वित्तीय प्रावधान–कुल अ. केन्द्रीय मद ब. राज्य मद	44,500 लाख 35,000 लाख 9,500 लाख	54,000 लाख 44,500 लाख 9,500 लाख	59,500 लाख 50,000 लाख 9,500 लाख

*प्रगति माह दिसम्बर, 2010 तक

कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मूलभूत आवश्यकताएं

- राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे है। विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का सारांश निम्नानुसार है :–

क.सं.	सुविधा	विद्यालयों की संख्या
1.	किचन सुविधा	55,008
2.	बर्तन सुविधा	70,456
3.	पेयजल सुविधा	78,857
4.	गैस सुविधा	9,796

कार्यक्रम अन्तर्गत भोजन व्यवस्था

- कार्यक्रम अन्तर्गत उपस्थित छात्रों को दिनवार दिये जाने वाले भोजन का विवरण निम्नानुसार है :–

क॰सं॰	वर	भोजन का विवरण
1	**सोमवार**	रोटी – सब्जी
2	**मंगलवार**	चावल एवं दाल अथवा सब्जी
3	**बुधवार**	रोटी – दाल
4	**गुरूवार**	खिचडी (दाल,चावल,सब्जी आदि युक्त)
5	**शुक्रवार**	रोटी – दाल
6	**शनिवार**	रोटी – सब्जी
1. सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस भोजन में कम से कम कक्षा 1 से 5 तक के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है। 2. पूर्व की भांति सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य होगा		
3. सप्ताह में दिये जाने वाले व्यंजनों का विवरण, प्रत्येक व्यंजन के लिए आवश्यक सामग्री का विवरण विद्यालय के सूचना पट्ट पर दर्शाने का प्रावधान है।		

- भोजन पकाने का कार्य विद्यालयों में स्थित रसोईघर अथवा केन्द्रीय रसोईधर के माध्यम से किया जाता है। केन्द्रीय रसोईघर का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्ट

द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय रसोईघर संचालित हैं:–

वर्तमान में क्रियान्वित केन्द्रीयकृत रसोईघरों की सूची

क.सं	जिला	संस्था का नाम	स्थान	विद्यालयों की संख्या	नामांकन
1	2	3	4	5	6
1	अजमेर	नान्दी फाउण्डेशन	किशनगढ़ (अजमेर)	230	22562
2	अलवर	क्यू. आर. जी. फाउण्डेशन	एम.आई.ए. (अलवर)	163	15262
3	भीलवाड़ा	नान्दी फाउण्डेशन	बापू नगर (भीलवाड़ा)	529	47804
4	बीकानेर	नान्दी फाउण्डेशन	पूगल रोड़ (बीकानेर)	284	31619
5	चित्तौडगढ़	नान्दी फाउण्डेशन	गंगरार (चित्तौड़गढ़)	393	20753
6		नान्दी फाउण्डेशन	मण्डाफिया (चित्तौड़गढ़)	384	29617
7		नान्दी फाउण्डेशन	कपासन (चित्तौड़गढ़)	517	25669
8		नान्दी फाउण्डेशन	निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)	242	22340
9		नान्दी फाउण्डेशन	गाँधी नगर (चित्तौड़गढ)	281	25225
10	डूंगरपुर	नान्दी फाउण्डेशन	सागवाड़ा (डूँगरपुर)	245	23529
11	जयपुर	अक्षय पात्र फाउण्डेशन	जगतपुरा (जयपुर)	1397	131240
12		नान्दी फाउण्डेशन	गोविन्दगढ़ (जयपुर)	266	20713
13		इस्कॉन	दुर्गापुरा (जयपुर)	178	14274
14	झालावाड़	नान्दी फाउण्डेशन	झालरापाटन (झालावाड़)	274	38932
15	जोधपुर	अदम्य चेतना ट्रस्ट	उमेद कलब के पास (जोधपुर)	528	75916
16	कोटा	नान्दी फाउण्डेशन	बोरखण्डी स्कूल के पास (कोटा)	281	32303
17	राजसमन्द	अक्षय पात्र	नाथद्वारा (राजसमन्द)	164	14759
18	उदयपुर	नान्दी फाउण्डेशन	(बुहाना)उदयपुर	1017	86129
19		नान्दी फाउण्डेशन	सलूम्बर (उदयपुर)	461	36760
20		नान्दी फाउण्डेशन	झाड़ोल (उदयपुर)	127	17157
कुल		20 केन्द्रीयकृत रसोईघर		7,961	7,32,563

- अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों को एक पंचायत के सभी पात्र विद्यालयों मं मिड डे मील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में इन समितियों द्वारा लगभग 3070 विद्यालयों में 2.93 लाख छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है।

जन सहभागिता बढाने के प्रयास

- जन सहभागिता को बढावा देने के उद्देश्य से ''मिड–डे–मील ट्रस्ट, राजस्थान'' का पंजीयन करवाया गया है।
- मिड–डे–मील कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, भोजन की गुणवत्ता मे और वृद्धि करने एवं स्थानीय जन सुमदाय को जोड़ने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है। गैर सरकारी संस्थाओं आदि के चयन का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा करने का प्रावधान है।
- कई औद्याोगिक घरानों एवं धर्मार्थ संस्थानों द्वारा रसोईघर का निर्माण एवं अन्य सुविधा के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त सहयोग का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.स	सस्था का नाम	कार्य क्षेत्र	राशि (अनुमानित)
1.	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा	जयपुर	100.00 लाख
2.	डी.सी.एम. श्रीराम ग्रुप	झालावाड	100.00 लाख
3.	आर.के.मार्बल	किशनगढ़ (अजमेर)	45.00 लाख
4.	आर.एस.एम.एम.एल	सलूम्बर (उदयपुर)	32.50 लाख
5.	आर.एस.एम.एम.एल	झाडौल (उदयपुर)	60.00 लाख
6.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	उदयपुर, चित्तौडगढ, भीलवाडा	100.00 लाख
7.	जनसहयोग	भीलवाडा	25.00 लाख
8.	बोहरा कम्यूनिटी	डूंगरपुर	100.00 लाख
9	दुग्गढ चेरिटेबल ट्रस्ट	बीकानेर	15.00 लाख
10.	जें.के सीमेन्ट	चित्तोडगढ	55.00 लाख
11.	ए.बी.बिरला ग्रुप	चित्तौडगढ	25.00 लाख
12.	अक्षय पात्र	जयपुर	450.00 लाख
13.	अक्षय पात्र	नाथद्वारा (राजसमन्द)	50.00 लाख
14.	नान्दी फाउन्डेशन	उदयपुर	105.00 लाख
15.	अदम्य चेतना ट्रस्ट	जोधपुर	90.00 लाख
16.	यू.आई.टी जोधपुर	जोधपुर	25.00 लाख
17.	जे.के.सीमेन्ट	जोधपुर	26.00 लाख
18.	यू.आई.टी बीकानेर	बीकानेर	60.00 लाख
19.	जे.के.सीमेन्ट	राजसमन्द	07.65 लाख
20.	जे.के.सीमेन्ट	सिरोही	07.65 लाख
	योग		**1478.80 लाख**

*** प्राप्त राशि का सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत शुरू से आज दिनांक तक का विवरण है।**

राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया

- केन्द्र सरकार द्वारा राशि का हस्तान्तरण सीधे ही राज्य कोष में किया जाता है।
- वर्ष के बजट प्रावधानों, जिलों के नामांकन, आवंटन शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा जिलों को राशि हस्तांतरित करने के आदेश जारी किये जाते हैं। वित्त विभाग द्वारा राशि का हस्तांतरण जिला परिषदों के पी.डी. खाते में किया जाता है।
- जिला परिषद द्वारा जिले की पंचायत समितियों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालयों मे अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुपात में राशि का हस्तान्तरण संबंधित संस्था को किया जाता है।
- पंचायत समिति/स्थानीय निकायों द्वारा प्रत्येक विद्यालयों की शाला प्रबंध समिति अथवा केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालक को सीधे ही राशि का हस्तान्तरण किये जाने का प्रावधान है।
- अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों के माध्यम से प्रत्येक पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों मे मिड–डे–मील कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए राशि सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को उपलब्ध कराई जाती है।

प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास

- पूर्व में भारत सरकार से शत–प्रतिशत उपस्थिति एवं अधिक कार्य दिवसों के आधार पर खाद्यान्न का आवंटन किया जाता था। विभाग द्वारा 75 व 90 प्रतिशत औसतन उपस्थिति मानते हुए खाद्यान्न का आवंटन करवाना प्रारम्भ किया गया।
- प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर एवं खण्ड स्तर पर समीक्षा एवं संचालन समितियों का गठन किया गया है। इन समिति में जिले का सांसद, जिले से दो एवं अन्य जन प्रतिनिधि सदस्य है। इन समितियों की नियमित बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।
- कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर, जिला स्तरीय अधिकारी एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों के लिए निरीक्षण के निर्धारित मापदण्ड तय किये गये है एवं प्रत्येक तिमाही के पश्चात् सघन निरीक्षण भी करवाए जा रहे है।
- विभिन्न जन प्रतिनिधियों से भी कार्यक्रम का नियमित निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया है। निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु भी विभाग द्वारा सूचीबद्ध किये हुए है।
- विद्यालयों में रसोई गैस सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में खाना बनाने, वितरण करने एवं खाने के पर्याप्त बर्तन उपलब्ध करवाए जा रहे है।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर जिलों को समीक्षात्मक नोट लिखे जा रहे है। शिक्षा विभाग को नियमित रूप से प्रगति से सूचित किया जाता है।
- जिला स्तरीय समितियों द्वारा दिये गये सुझावों अथवा कार्यक्रम में पायी गयी कमियों पर त्वरित गति से अमल किया जाता है।

- खाद्यान्न के परिवहन हेतु स्वतंत्र परिवहन संस्था को नियुक्त किया गया (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मामलात विभाग)।
- कई बाहरी एवं स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु मूल्यांकन एवं अध्ययन करवाया जाता है।
- जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहें है। इस हेतु दिनांक **14 जनवरी, 06** को विस्तृत पोलिस जारी की गई। पी.पी.पी के तहत अभी तक **20** स्थानों पर केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालित किये जा रहे है।

वर्ष 2010–11 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- कार्यक्रम अन्तर्गत भोजन बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 से प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन के लिए लागत राशि में वृद्धि की गई है। अब प्राथमिक स्तर के प्रतिछात्र प्रतिदिन राशि रूपये 2.69 (पूर्व में रूपये 2.08) तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए रूपये 4.03 (पूर्व में रूपये 2.60) का प्रावधान किया गया है जिसमें केन्द्र मद एवं राज्य मद से क्रमशः 75 : 25 की दर से भारित होगी। रसोईघर निर्माण मद में प्रति इकाई राशि में वृद्धि 60000 से 90000 हजार कर दी गई है तथा भोजन पकाने के लिए, प्रति व्यक्ति रूपये 1000 प्रतिमाह का मानदेय पर, कुक कम हेल्पर का, 0–50 नांमाकन पर एक, 51–150 नांमाकन पर, दो एवं 150 से उपर नांमाकन होने पर, तीन व्यक्तियों का सहयोग लिया जा रहा है।
- राज्य के **25 हजार** विद्यालयों में प्रति विद्यालय 4 हजार रू. की दर से भोजन पकाने के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हेतु राशि 10.00 करोड़ जारी की जा चुकी है जिसमें से माह दिसम्बर 2010 तक 12015 विद्यालयों में गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष विद्यालयों में वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।
- भोजन पकाने के लिए स्थानीय लोगों को कुक कम हेल्पर के रूप में सेवाएं देने के लिए नियोजित किया गया जिसमें प्रति व्यक्ति रूपये 1000 प्रतिमाह का मानदेय निर्धारित किया गया। इस प्रकार लगभग 1.40 लाख व्यक्तियों का सहयोग इस कार्य के लिए लिया जावेगा जिसमें से अभी तक 98430 कुक कम हेल्पर नियुक्त किए जा चुके हैं। लगभग 41000 को ओर लगाया जाना है जो कि प्रक्रियाधीन है तथा इस वर्ष के अन्त तक नियोजित कर लिए जाएंगे तथा इस कार्य में विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग की महिला, विधवा एवं परित्यक्तता को प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किया जा रहा है।
- विभाग द्वारा विस्तृत एवं स्पष्ट दिशा–निदेशों की पुस्तिका प्रकाशित कर राज्य के प्रत्येक विद्यालय में इसकी प्रतियां भिजवाई गई।
- वर्तमान में स्वयं सेवी संस्था के द्वारा **20** स्थानों पर केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालित है जिनसे **7960 विद्यालयों में 7.33 लाख** विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त मिड डे मील से लाभान्वित किया जा रहा है। **यह संख्या सभी राज्यों में सर्वाधिक है।**
- जिला/खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी नियमित रूप से कार्यक्रम का निरीक्षण किया जा रहा है जिससे पोषाहार पकाने एवं वितरण में निगरानी रखी जा सके। जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए निरीक्षण के लक्ष्य भी निर्धारित किए हुए हैं

जिसके अनुसार वर्ष 2010–11 (माह दिसम्बर तक) के दौरान लगभग 94298 निरीक्षण किए गए।

- कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक पक्का रसोईघर निर्मित करने के क्रम में, अभी तक कुल स्वीकृत 77298 रसोईघरों में से लगभग 55073 रसोईघरों का निर्माण पूर्ण हो चुका हैं एवं 9030 रसोईघरों का निर्माण प्रगति पर हैं।
- कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए देश का पहला अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर विकसित कर ऑन लाईन किया गया तथा वर्तमान में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा निरन्तर इसमें कार्यक्रम सम्बन्धित सारी सूचनाएं फीड की जा रही है, जिससे कार्यक्रम की ऑन लाईन रिपोर्टिंग सम्भव हो सकी है। भारत सरकार द्वारा इस प्रयास की सराहना करते हुए राज्य सरकार द्वारा विकसित इस सॉफ्टवेयर को दिनांक 1 अप्रेल, 2011 से देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

****

परिशिष्ट–1

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वर्ष 2009–2010 की वित्तीय प्रगति

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	संभावित प्राप्तियां			वास्तविक प्राप्तियां			व्यय
		केन्द्र	राज्य	योग	केन्द्र	राज्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एस.जी.एस.वाई.	6243.00	2081.00	8324.00	6580.86	2193.65	8774.51	9207.90
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	निर्धारित नही			594264.00	39526.00	633790.00	566905.40
3	इन्दिरा आवास योजना (नवीन + क्रमोन्नत +सी.सी.एस.)	18705.35	6235.12	24940.47	18850.84	14169.31	33020.15	29440.55
4	डी.डी.पी	9900.00	3300.00	13200.00	5291.27	1646.43	6937.70	11052.27
5	डी.डी.पी.(कोम्बेटिंग)	डी.डी.पी. में सम्मिलित			4847.54	2134.99	6982.53	8865.84
6	डी.पी.ए.पी.	1500.00	500.00	2000.00	1870.84	543.69	2414.53	2713.13
7	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	2750.00	250.00	3000.00	2252.70	210.67	2463.37	3402.41
8	डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना	2195.09	731.70	2926.79	2604.75	888.51	3493.26	3510.23
9	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	7200.00	0.00	7200.00	4100.00	0.00	4100.00	3796.76
10	सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना	9363.23	0.00	9363.23	9343.23	0.00	9343.23	9145.22
11	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	0.00	16000.00	16000.00	0.00	16000.00	16000.00	12601.82
12	मेवात विकास योजना	0.00	497.50	497.50	0.00	497.50	497.50	535.70
13	गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.86
14	स्व–विवेक जिला विकास योजना	0.00	1650.00	1650.00	0.00	1650.00	1650.00	533.14
15	डांग क्षेत्रीय विकास योजना	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	77.00	305.99
16	मगरा क्षेत्रीय विकास योजना	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	423.35

परिशिष्ट–2

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वर्ष 2009–2010 की भौतिक प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5
1	एस.जी.एस.वाई.	लाभान्वित स्वरोजगारियों की संख्या	56421	59347
		साख सृजन (रूपये लाखों में)	13759.35	19221.50
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मानव दिवस (लाखों में)	निर्धारित नही	4498.09
3	इन्दिरा आवास योजना	पूर्ण आवासों की संख्या	91670	81287
	इन्दिरा आवास योजना (क्रमोन्नत)	क्रमोन्नत आवासों की संख्या	–	2496
	सी.सी.एस.	पूर्ण आवासों की संख्या	–	0
4	डी.डी.पी एवं सी.डी.पी	स्वीकृत वाटरशैड प्रोजेक्ट्स (स्वीकृत 1999–2000 से)	6737	2852 प्रोजेक्ट पूर्ण 3885 प्रोजेक्ट प्रगति पर
5	डी.पी.ए.पी.	स्वीकृत वाटरशैड प्रोजेक्ट्स (स्वीकृत 1999–2000 से)	925	498 प्रोजेक्ट पूर्ण 427 प्रोजेक्ट प्रगति पर
6	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	स्वीकृत वाटरशैड प्रोजेक्ट्स (स्वीकृत 1999–2000 से)	88	55 प्रोजेक्ट पूर्ण 33 प्रोजेक्ट प्रगति पर
7	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	पूर्ण कार्यो की संख्या	निर्धारित नही	1480
8	सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना	पूर्ण कार्यो की संख्या	निर्धारित नही	927
9	मेवात क्षेत्रीय विकास योजना	पूर्ण कार्यों की संख्या	निर्धारित नही	93
10	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	पूर्ण कार्यों की संख्या	निर्धारित नही	7867
11	गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना	पूर्ण कार्यों की संख्या	निर्धारित नही	589
12	डांग क्षेत्रीय विकास योजना	पूर्ण कार्यों की संख्या	निर्धारित नही	87
13	मगरा क्षेत्रीय विकास योजना	पूर्ण कार्यों की संख्या	निर्धारित नही	69
14	स्व–विवेक जिला विकास योजना	पूर्ण कार्यों की संख्या	निर्धारित नही	178

परिशिष्ट–3

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वर्ष 2010–2011 (माह दिसम्बर, 2010 तक) की वित्तीय प्रगति

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	संभावित प्राप्तियां			वास्तविक प्राप्तियां			व्यय
		केन्द्र	राज्य	योग	केन्द्र	राज्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एस.जी.एस.वाई.	7200.00	2400.00	9600.00	4010.06	1200.02	5210.08	5655.92
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	निर्धारित नही			329021.68	23754.84	352776.53	249316.31
3	इन्दिरा आवास योजना (नवीन + क्रमोन्नत एवं सी.सी.एस.)	21384.64	7128.21	28512.85	17725.21	4673.68	22398.89	19696.01
4	डी.डी.पी	9900.00	3300.00	13200.00	3405.07	1363.93	4769.00	5092.31
5	डी.डी.पी.(कोम्बेटिंग)	डी.डी.पी. में सम्मिलित			5467.61	1875.91	7343.52	3760.76
6	डी.पी.ए.पी.	1500.00	500.00	2000.00	1729.10	500.00	2229.10	1099.48
7	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	3850.00	350.00	4200.00	417.09	22.78	439.87	879.73
8	डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना	2333.08	777.70	3110.78	1546.60	348.22	1894.82	2489.88
9	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	7000.00	0.00	7000.00	4300.00	0.00	4300.00	3137.33
10	सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना	8696.00	0.00	8696.00	7046.87	0.00	7046.87	4372.21
11	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	0.00	20000.00	20000.00	0.00	18000.00	18000.00	9795.95
12	मेवात विकास योजना	0.00	750.00	750.00	0.00	363.75	363.75	252.91
13	ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना	0.00	2500.00	2500.00	0.00	1829.33	1829.33	0.00
14	स्व–विवेक जिला विकास योजना	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	889.28
15	डांग क्षेत्रीय विकास योजना	0.00	200.00	200.00	0.00	90.41	90.41	236.77
16	मगरा क्षेत्रीय विकास योजना	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	196.04

परिशिष्ट–4

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वर्ष 2010–2011 (माह दिसम्बर, 2010 तक) की भौतिक प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5
1	एस.जी.एस.वाई.	लाभान्वित स्वरोजगारियों की संख्या	67072	35795
		साख सृजन (रूपये लाखों में)	15818.55	11836.57
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मानव दिवस (लाखों में)	निर्धारित नही	2477.43
3	इन्दिरा आवास योजना	पूर्ण आवासों की संख्या	63362	26116
	इन्दिरा आवास योजना (क्रमोन्नत)	क्रमोन्नत आवासों की संख्या	–	130
	सी.सी.एस.	पूर्ण आवासों की संख्या	–	0
4	डी.डी.पी एवं सी.डी.पी	स्वीकृत वाटरशैड प्रोजेक्ट्स (स्वीकृत 1999–2000 से)	6737	2852 प्रोजेक्ट पूर्ण 3885 प्रोजेक्ट प्रगति पर
5	डी.पी.ए.पी.	स्वीकृत वाटरशैड प्रोजेक्ट्स (स्वीकृत 1999–2000 से)	925	498 प्रोजेक्ट पूर्ण 427 प्रोजेक्ट प्रगति पर
6	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	स्वीकृत वाटरशैड प्रोजेक्ट्स (स्वीकृत 1999–2000 से)	88	55 प्रोजेक्ट पूर्ण 33 प्रोजेक्ट प्रगति पर
7	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	पूर्ण कार्यो की संख्या	निर्धारित नही	1245
8	सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना	पूर्ण कार्यो की संख्या	निर्धारित नही	405
9	मेवात विकास योजना	पूर्ण कार्यो की संख्या	निर्धारित नही	110
10	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	पूर्ण कार्यो की संख्या	निर्धारित नही	6676
11	डांग क्षेत्रीय विकास योजना	पूर्ण कार्यो की संख्या	निर्धारित नही	32
12	मगरा क्षेत्रीय विकास योजना	पूर्ण कार्यो की संख्या	निर्धारित नही	50
13	स्व–विवेक जिला विकास योजना	पूर्ण कार्यो की संख्या	निर्धारित नही	371

परिशिष्ट–5

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऑनगोईंग बहुराज्यीय विशेष परियोजनाएँ

क्र. स.	परियोजना का नाम	कार्यकारी एजेंन्सी	स्वीकृत दिनॉक	परियोजना लागत (लाख में)	परियोजना अवधि	कुल लाभार्थियों की संख्यां	कवर्ड जिले/राज्य
1	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई फोर स्कील प्रोग्राम फॉर इन्क्लुसिव ग्रॅथ प्लेसमेंट लिंक्ड स्कील डवलपमेंट प्रोग्राम फॉर बीपीएल यूथस् इन लेदर इण्डस्ट्री बाई आईएल एण्ड एफएस पायलेट प्रोजेक्ट फॉर नॉर्थ इण्डिया।	आई.एल. एण्ड एफ.एस.	16.10.2008	1092.50	3 वर्ष	11500	उत्तरी भारत
2	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई फोर स्कील डवलपमेंट ऑफ रूरल यूथ थ्रू ग्रामीण लैब्स जॉन 3 बेस्ट फेज–II	डॉ. रेड्डी फाउण्डेशन, हैदराबाद	18.5.2009	.....	1 वर्ष	1200	जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर (राजस्थान)
3	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई प्रोग्राम एम्पलोयमेंट क्रीयेशन थ्रू ट्रेनिंग एण्ड स्कील डवपलपमेंट टू रूरल यूथ इक्लूडिंग वीमन इन डीमाण्ड ड्रायवन एम्पलोयबिलीटी सेक्टर फॉर बीपीएल यूथ फेमिली।	एफ.आई.डब्ल्यु.ई. नई दिल्ली	22.5.2009	829.40	3 वर्ष	10000	उदयपुर, डूगंरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, (राजस्थान), मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा
4	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई फोर स्कील डवलपमेंट इन राजस्थान उत्तरप्रदेश ऑन पायलट बेसिक बाई कैरियर लॉचर एजूकेशन फाण्डेशन	सी.एल.ई.एफ.	22.5.2009	544.00	3 वर्ष	6400	राजस्थान , उत्तरप्रदेश
5	स्कील डवलपमेंट प्रोग्राम फॉर बीपीएल यूथ फोर एम्पलयोमेंट इन सिक्योरिटी सेक्टर इन 15 स्टेटस्	सिक्योरिटी स्कील काउन्सिल ऑफ इण्डिया	24.6.2009	1494.84	1 वर्ष	14335	15 स्टेटस
6	स्कील डवलपमेंट एण्ड कैपासिटी बिल्डिंग ऑफ अन एम्पलोयड रूरल यूथ इन यूपी एण्ड राजस्थान	दृष्टि फाउण्डेशन	26.11.2009	808.12	18 माह	7000	उत्तरप्रदेश एण्ड राजस्थान
7	सेटिंग अप स्कील ट्रेनिंग रिसोर्स सेन्टर फौर लाइवलीहुड अर्पोचूनिटी एण्ड जॉब प्लेसमेंट फॉर बीपीएल रूरल यूथ एण्ड वीमन थ्रू पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप एप्रोच इन	आरोह फाउण्डेशन	22.12.2009	686.00	2 वर्ष	7000	उत्तरप्रदेश राजस्थान एण्ड हरियाणा
8	प्लेसमेंट लिंक्ड स्कील डवपलमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल बीपीएल यूथ इन सर्विस सेक्टर स्कील फॉर एम्पलोयमेंट इन सर्विस सेक्टर नॉर्थ	आई.एल. एण्ड एफ.एस.	31.12.2009	1495.54	3 वर्ष	9400	11 स्टेटस्
9	स्कील डवपलमेंट ऑफ बीपीएल	एन.आई.आई.टी.,	13.1.2010	1488.47	2 वर्ष	7800	गोवा, गुजरात,

	यूथ इन वेर्स्टन इण्डिया	नई दिल्ली					महाराष्ट्र एवं राजस्थान
10	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई फॉर प्लेसमेंट लिंक्ड स्कील उवपलमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल बीपीएल यूथ	पीपल ट्री वेन्चरर्स प्रा. लि., मुम्बई (महाराष्ट्र)	22.01.10	1488.47	3 वर्ष	7800	आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान
11	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई फोर प्रोवाईडिंग प्लूमिंग स्कील टू बीपीएल यूथ	मैसर्स भास्कर फाउण्डेशन, नई दिल्ली	02.02.2010	319.75	2 वर्ष	2000	मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब हरियाणा गुजरात
12	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई फोर जॉब ओरियण्टेड स्कील बेस ट्रेनिंग प्रोग्राम टू मेक द इकोनिमिकली चैलेंज्ड बीपीएल यूथ इन नॉर्थ इण्डिया	टेली इण्डिया प्रा0 लि0 नई दिल्ली	03.02.10	1488.47	1 वर्ष	7800	राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड पंजाब हरियाणा जम्मू–कश्मीर एण्ड हिमाचल प्रदेश
13	ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट इन हैल्थ केयर सेक्टर इन 6 स्टेटस्	कैप फाण्डेशन, हैदराबाद	12.3.2010	1499.65	.....	8370	हरियाणा राजस्थान गुजरात आन्ध्रप्रदेश तमिलनाडू उत्तरप्रदेश
14	स्कील डवलपमेंट ट्रेनिंग टू अनएम्पलोयड बीपीएल यूथ इन 4 स्टेट	ग्रेट इण्डिया ड्रीम फाण्डेशन	12.3.2010	1285.44	.....	9600	उत्तरप्रदेश राजस्थान, मध्यप्रदेश आसाम
15	स्कील ट्रेनिंग फॉर एम्पलोयमेंट इन एपेरल मैन्यूफैक्चिरिंग(सीम) इन 8 स्टेटस	टेक्नोपार्क	25.3.2010	1497.78	2 वर्ष	7950	उत्तरप्रदेश पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्यप्रदेश उड़ीसा बिहार पश्चिम बंगाल
16	स्कील डवलपमेंट फॉर ट्रेनिंग एण्ड सर्टिफिकेशन ऑफ रूरल बीपीएल यूथ	ए फॉर ई इण्डिया लि0 नई दिल्ली	30.3.2010	1498.65	21 माह	8370	पंजाब राजस्थान महाराष्ट्र बिहार झारखण्ड उड़ीसा
17	स्कील डवलपमेंट एण्ड प्लेसमेंट ऑफ रूरल बीपीएल यूथ इन अपेरल इण्डस्ट्री	ओरियण्ट क्राफ्ट फैशन इन्स्टीटयूट एण्ड टेक्नोलोजी	22.2.2010	1491.28	2 वर्ष	8000	हरियाणा झारखण्ड राजस्थान
18	स्कील डवलपमेंट इन टेलेकॉम एण्ड बीपीओ सेक्टर	एनआईएस स्पार्टा नई दिल्ली	23.2.2010	900.00	3 वर्ष	6000	उत्तरप्रदेश पंजाब हरियाणा राजस्थान उड़ीसा
19	स्कील डवलपमेंट एण्ड प्लेसमेंट ऑफ रूरल बीपीएल यूथ इन हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एण्ड मध्यप्रदेश	आईएपी कम्पनी लि0	22.07.2010	1488.47	.....	7800	हरियाणा राजस्थान उत्तरप्रदेश एण्ड मध्यप्रदेश
20	प्लेसमेंट लिंक्ड स्कील डवलपमेंट प्रोग्राम फॉर बीपीएल यूथ इन इन्जिीनियरिंग इण्डस्ट्री	आईएल एण्ड एफएस	02.02.2010	3778.62	3 वर्ष	7800	.....

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत राज्यीय ऑनगोईंग विशेष परियोजनाएं

क्र. स.	परियोजना का नाम	कार्यकारी एजेंन्सी	स्वीकृत दिनॉक	अवधि	कुल लाभान्वित	नॉडल जिला/ फण्ड रूटीन एजेन्सी	परियोजना लागत				कुल उपलब्ध राशि	व्यय/ निर्मुक्त राशि
							सेन्ट्रल शेयर	स्टेट शेयर	इम्पली मेंन्टिग एजेन्सी शेयर	योग		
1	कोम्परीहैन्सिव डवलमेंट ऑफ सहरिया फेमिलीज इन बारां जिला	डीआरडीए / बायफ	3.1.2006	5 वर्ष	936 सहरिया परिवार	जिला परिषद, बारां	412.35	137.45	--	549.80	439.84	251.01
2	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई फॉर सेटिंग अप कौशल इन्स्टीटयूट	ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाण्डेशन, भतरपुर	20.2.2009	2 वर्ष	12000 (6 District)	जिला परिषद, भरतपुर/ एसआईआरडी , जयपुर	1020.15	--	340.05	1360.20	255.04+ 85.01= 340.05	423.23
3	स्कील डवपलमेंट फॉर नॉन फॉर्मस लाइवलीहुडस इन द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान (भीलवाड़ा, चित्तौडगढ, उदयपुर, राजसमंद)	आईएल एण्ड एफएस क्लस्टर डवपलमेंट इनीसिएटिव लि0	12.3.2010	5 वर्ष	7800	जिला परिषद भीलवाड़ा/ एसआईआरडी जयपुर	1116.36	--	372.11	1488.47	279.09	N.A
4	स्कील डवपलमेंट एण्ड प्लेसमेंट ऑफ रूरल यूथ लीडिंग टू गेनफूल एम्पलोयमेंट इन 4 डिस्ट्रिक्स (भीलवाड़ा, बूंदी राजसमंद एण्ड उदयपुर) बाई विश्वास संस्थान उदयपुर	विश्वास संस्थान, 51, अशोक नगर, मेन रोड़, उदयपुर	12.3.2010	3 वर्ष	8000	एसआईआरडी जयपुर	394.86	131.62	------	526.48 (Phase Ist)	131.62	NIL
5	कैपासिटी बिल्डिंग एण्ड स्कील डवपलमेंट ऑफ 1200 वीमन फोर सेटिंग अप ए प्रोड्यूसर ऑन्ड कम्पनी फॉर गारमेंट मैन्यूफैक्चरिंग इन भीलवाड़ा	आईएल एण्ड एफएस क्लस्टर डवपलमेंट इनीसिएटिव लि0	23.07.2010	3 वर्ष	1200	जिला परिषद भीलवाड़ा	282.00	----	371.00	653.00	----	NIL
6	कंन्स्ट्रक्शन ऑफ मॉल फॉर मार्केटिंग ऑफ एसजीएसवाई प्रोडक्टस	जिला परिषद, उदयपुर	27.07.2010	--	...	जिला परिषद, उदयपुरं	225.00	75.00	-----	300.00	----	NIL